रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938
No. 159] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHALGUNA 15, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2017

सा.का.नि. 199(अ).—कतिपय नियमों के प्रारुप अर्थात व्यापार चिह्न नियम 2015, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i), में तारीख 17 नवम्बर, 2015 को भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सा.का.नि. 879(अ) को प्रकाशित किए गए थे और जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पूर्व जनता को उक्त अधिसूचना उपलब्ध कराई गई थी;

और जबकि राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 17 नवंबर 2015 को उपलब्ध कराई गई थी;

और जबकि अधिसूचना में उक्त प्रारुप नियम पर निर्दिष्ट समय में विभिन्न व्यक्तियों और पणधारियों से आक्षेप और सुझाव प्राप्त हुए है और आक्षेपों और सुझाव पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व्यापार चिह्न नियम 2002 के उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण किया गया है या लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात-

भाग-1

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिह्न नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकर्ता" से अधिनियम की धारा 145 के अधीन कार्य करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन"के अन्तर्गत माल या सेवाओं के लिए वह व्यापार चिह्न है जो उसमें अन्तर्विष्ट है;

(घ) "व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय" से नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का सुसंगत कार्यालय अभिप्रेत है;

(ड.) "वर्ग फीस" से किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन फाइल करने के लिए विहित फीस अभिप्रेत है;

(च) "कन्वेंशन देश" से धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन उस रूप में घोषित कोई देश या देशों का समूह या देशों का संघ या देशों के अंदर सरकारी संगठन अभिप्रेत है;

(छ) "कन्वेंशन आवेदन" से धारा 154 के आधार पर बनाए गए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन अभिप्रेत है;

(ज) "प्रभागीय आवेदन" से अभिप्रेत है-

(I) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन जिसके वर्ग में वस्तुओं या सेवाओं के प्रभाग के लिए अनुरोध किया है; या

(II) किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए एकल आवेदन के विभाजन के लिए किया गया आवेदन जो विभाजित वस्तुओं या सेवाओं के लिए है;

(झ) "विभाजनीय फीस" से प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 14 के सामने विहित फीस अभिप्रेत है;

(ञ) "प्ररूप" से द्वितीय या तृतीय अनुसूची में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है;

(ट) "ग्राफीय निरुपण" से कागजपत्र के रूप में प्रदर्शित अथवा प्रदर्शन योग्य माल या सेवाओं के लिए किसी व्यापार चिह्न की समाकृति अभिप्रेत है और इसमें अभिकल्पित स्वरूप में किया गया प्रदर्शन भी समाविष्ट है;

(ठ) "जरनल" से महानियंत्रक, एकस्व अभिकल्प और व्यापार चिह्न के शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध व्यापार चिह्न जरनल अभिप्रेत है;

(ड) "अधिसूचित तारीख" से यह तारीख अभिप्रेत है जिसको ये नियम प्रवृत होते हैं;

(ढ) "पुरानी विधि" से अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है;

(ण) "विरोध" से यथास्थिति किसी व्यापार चिह्न या सामुहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई विरोध अभिप्रेत है और भारत को नामित किसी अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण की संरक्षा अनुदान का विरोध और रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न में परिवर्तन का विरोध शामिल है;

(त) "भारत में कारबार का मुख्य स्थान" से नियम 3 में यथा विनिर्दिष्ट भारत में कारबार का सुसंगत स्थान अभिप्रेत है;

(थ) "प्रकाशन" से व्यापार चिह्न जरनल में प्रकाशित करना अथवा महानियंत्रक, एकस्व अभिकल्प और व्यापार चिह्न के शासकीय वेबसाइट पर उपलब्ध करना अभिप्रेत है;

(द) "रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता" से यह व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता अभिप्रेत है जिसका नाम नियम 142 के अधीन रखे गए व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता के रजिस्टर में वास्तव में प्रविष्टि है;

(ध) "नवीकरण" से यथास्थिति किसी व्यापार चिह्न या किसी प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न या समूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है;

(न) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(प) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(फ) लघु उद्यम का अर्थ है:

(i) वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन करने वाली किसी उद्यम के संदर्भ एक उद्यम जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (1) का खंड (क) के तहत मध्यम उद्यम के लिए निर्धारित सीमा से अधिक ना हो; और

(ii) सेवा उपलब्ध कराने या प्रदान करने का कार्य करने वाले किसी उद्यम के संदर्भ एक उद्यम जहाँ यंत्र निवेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप-धारा (1) का खंड (ख) के तहत मध्यम उद्यम के लिए निर्धारित सीमा से अधिक ना हो।

व्याख्या: "उद्यम" से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी उद्योग से किसी भी प्रकार संबद्ध वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन अथवा ऐसे उद्योग में सेवा उपलब्ध कराने या प्रदान करने में संलिप्त ऐसे औद्योगिक निकाय या व्यवसाय संबद्ध या किसी अन्य प्रतिष्ठान, किसी भी नाम से ज्ञात, का अभिप्राय है।

(iii) किसी विदेशी उद्यम के संदर्भ में, एक उद्यम जो उपर्युक्त खंड (i) और (ii) में यथा उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

व्याख्या: संयंत्र और मशीनरी में निवेश की गणना करते समय भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा का संदर्भ दर लागू होगा।

(ब) "विनिर्देश" से उस माल या सेवाओं का अभिधान अभिप्रेत है जिनके संबंध में व्यापार चिह्न या व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है या किए जाने की प्रस्थापना की जाती है;

(भ) "स्टार्ट-अप" का आशय है,

(i) स्टार्ट-अप इंडिया पहल के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की एक इकाई।

(ii) विदेशी इकाई के संदर्भ में, स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अनुसार टर्न-ओवर और अपने निर्माण/पंजीकरण की अवधि संबंधी मानदंड पूरा करने और इस विषयक उद्घोषणा दाखिल करने वाली एक इकाई।

व्याख्या: टर्न-ओवर की गणना करते समय भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा का संदर्भ दर लागू होगा।

(म) उस सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में या माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999(1999 का 48), प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) में परिभाषित है, वे ही अर्थ होंगे जो कि उन अधिनियमों में क्रमश: उनके हैं।

(2) इन नियमों में, अन्यथा उपदर्शित के सिवाय, किसी धारा के प्रति निर्देश अधिनियम में उस धारा के प्रति निर्देश है, किसी नियम के प्रति निर्देश उन नियमों में उस नियम के प्रति निर्देश है, किसी अनुसूची के प्रति निर्देश इन नियमों की उस अनुसूची के प्रति निर्देश है और किसी प्ररूप के प्रति निर्देश यथास्थिति, इन नियमों की द्वितीय या तृतीय अनुसूची में वर्णित उस प्ररूप के प्रति निर्देश है।

3. भारत में कारबार का मुख्य स्थान-"भारत में कारबार के मुख्य स्थान" से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) जहां कोई व्यक्ति व्यापार चिह्न से संबद्ध माल या सेवाओं का कारबार करता है वहां-

(क) जहां कारबार भारत में केवल एक ही स्थान में किया जाता है, वहां वह स्थान,

(ख) यदि कारबार भारत में एक से अधिक स्थानों पर किया जाता है तो वह स्थान, जिसका वह व्यक्ति भारत में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में उल्लेख करें;

(ii) जहां कोई व्यक्ति किसी व्यापार चिह्न से संबद्ध माल या सेवाओं का कारबार नहीं करता है, वहां

(क) जहां वह भारत में कोई अन्य कारबार केवल एक स्थान में कर रहा है, वहां वह स्थान,

(ख) यदि वह भारत में कोई अन्य कारबार एक से अधिक स्थानों में कर रहा है, वह स्थान, जिसका वह भारत में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में उल्लेख करें; और

(iii) जहां कोई व्यक्ति भारत में कोई कारबार नहीं करता है किन्तु उसका भारत में निवास स्थान है, वहां भारत में ऐसा निवास स्थान।

4. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय- धारा 18 के अधीन व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण के लिए या धारा 21 के अधीन विरोध की सूचना देने या धारा 47 के अधीन किसी व्यापार चिह्न को हटाने के लिए या धारा 57 के अधीन किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या उसमें परिवर्तन करने के लिए या अधिनियम या नियमों के अधीन किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के लिए आवेदन करने के प्रयोजनों के लिए "व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय"-

(अ) अधिसूचित तारीख को व्यापार चिह्न रजिस्टर में किसी व्यापार चिह्न के संबंध में रजिस्ट्री का वह कार्यालय होगा जिसकी राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर-

(i) ऐसी तारीख को रजिस्टर में यथाप्रविष्ट व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रकृत स्वत्वधारी का भारत में कारबार का मुख्य स्थान स्थित है,

(ii) जहां रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के भारत में कारबार के मुख्य स्थान के बारे में रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं है, वहां ऐसी तारीख को रजिस्टर में यथाप्रविष्ट भारत में तामील के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है;

(iii) यदि संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों के मामले में उस स्वत्वधारी का भारत में कारबार का मुख्य स्थान स्थित है जिसका नाम ऐसी तारीख को भारत में ऐसे कारबार का स्थान रखने वाले के रूप में रजिस्टर में सबसे पहले प्रविष्ट किया जाता है;

(iv) जहां संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों में से किसी को भी भारत में मुख्य स्थान रखने वाले के रूप में रजिस्टर में नहीं दिखाया जाता है, वहां ऐसी तारीख को रजिस्टर में यथाप्रविष्ट संयुक्त स्वत्वधारियों के भारत में तामील के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है;

(v) यदि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का या संयुक्त रजिस्ट्रीकरण की दशा में व्यापार चिह्न के संयुक्त स्वत्वधारियों में से किसी का भारत में कारबार का कोई मुख्य स्थान रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं है और रजिस्टर में भारत में तामील के लिए कोई पता नहीं दिया गया है, तो व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के कार्यालय का वह स्थान जहां व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया था, स्थित है; और

(आ) उस व्यापार चिह्न के संबंध में, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण कोई आवेदन अधिसूचित तारीख को लम्बित है या अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् किया गया है व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का वह कार्यालय जिसकी राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर-

(i) आवेदक के आवेदन में प्रकट किए गए रूप में आवेदक का भारत में कारबार का मुख्य स्थान या संयुक्त आवेदकों की दशा में, उस आवेदक का भारत में कारबार का मुख्य स्थान स्थित है जिसका नाम कारबार का ऐसा स्थान रखने वाले के रूप में आवेदन में सबसे पहले उल्लिखित है;

(ii) जहां यथास्थिति, न तो आवेदक का और न संयुक्त आवेदकों में से किसी का भारत में कारबार का मुख्य स्थान है वहां आवेदन में, यथा विनिर्दिष्ट भारत में तामील के लिए पते में उल्लिखित स्थान स्थित है;

5. कारबार के मुख्य स्थान में या तामील के लिए पते में परिवर्तन के कारण समुचित कार्यालय की अधिकारिता में परिवर्तन न होना-किसी ऐसे परिवर्तन से जो-

(अ) अधिसूचित तारीख को रजिस्टर में किसी व्यापार चिह्न के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के या संयुक्त रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों में से किसी के भारत में कारबार के मुख्य स्थानमें या भारत में तामील के लिए पते में, उस तारीख के पश्चातवर्ती किया गया है या प्रभावी किया गया है, या

(आ) किसी व्यापार चिह्न के संबंध में, जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन अधिसूचित तारीख को लंबित है या उस तारीख को अथवा उसके पश्चात् किया गया है रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक के या रजिस्ट्रीकरण के लिए संयुक्त आवेदकों में से किसी के भारत में कारबार के मुख्य स्थान में या भारत में तामील के लिए पते में, यथास्थिति, उस तारीख को या ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख को किया गया या प्रभावी किया गया है, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. रजिस्टर में समुचित कार्यालय की प्रविष्टि- अधिसूचित तारीख को या उसके पश्चात् रजिस्टर में किए गए प्रत्येक व्यापार चिह्न के संबंध में रजिस्ट्रार रजिस्टर में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय की प्रविष्टि कराएगा और रजिस्ट्रार इस प्रकार की गई प्रविष्टि में किसी भी समय कोई गलती ठीक कर सकेगा।

7. लंबित आवेदन और कार्यवाहियों का व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालयों को हस्तांतरित करना- व्यापार चिह्न के संबंध में अधिसूचित तारीख को रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित प्रत्येक आवेदन और कार्यवाही की बाबत यह समझा जाएगा कि वह व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय को हस्तांतरित करा दी गई है।

8. दस्तावेजों को छोड़ना, आदि- अधिसूचित तारीख को व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार में किसी व्यापार चिह्न के संबंध में, जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन लम्बित है, अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित सभी आवेदन रजिस्ट्री के समुचित

कार्यालय में किए जाएंगे, सूचनाओं की तामील वहां की जाएगी, विवरण या अन्य दस्तावेज वहां दिए या भेजे जाएंगे, या फीस का संदाय वहां किया जाएगा।

बशर्ते परंतु रजिस्ट्रार जरनल में अधिसूचना जारी कर व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के अतिरिक्त कोई प्ररुप या दस्तावेज व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के किसी अन्य कार्यालय में दाखिल करने की अनुमति दे।

9. नोटिसें आदि का जारी किया जाना- अधिनियम या नियमों के अधीन किसी आवेदन, विषय या कार्यवाही से संबंधित नोटिस या संसूचना अध्यक्ष या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी।

10. फीस- (1) अधिनियम और नियमों के अधीन आवेदनों, विरोधों, रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण, त्वरित परीक्षा या रिपोर्टों या किन्हीं अन्य विषयों के संबंध में दी जाने वाली फीसें, वे होंगी जो कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(2)जहां किसी विषय के संबंध में नियमों के अधीन फीस दी जानी अपेक्षित है, वहां उससे संबंधित प्ररूप या आवेदन या प्रार्थना या याचिका के साथ विहित फीस होगी।

(3)फीस इलेक्ट्रोनिक माध्यम से या नकद दी जा सकेगी या व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रार को संबोधित मनीआर्डर से या अनुसूचित बैंक द्वारा बैंक ड्राफ्ट द्वारा या उक्त बैंक पर बैंककार चेक द्वारा उस स्थान पर, जहां व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय अवस्थित है, भेजी जा सकेगी और यदि वह डाक द्वारा भेजी जाती है तो उस समय संदत्त की गई समझी जाएगी जब मनीआर्डर या उचित रूप से संबोधित बैंक ड्राफ्ट या बैंककार चेक कार्यालय में प्राप्त होगा।

(4) बैंक ड्राफ्ट और बैंककार चैक रेखांकित होंगे और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समुचित कार्यालय में रजिस्ट्रार को संदेय होंगे और इन्हें उस स्थान के अनुसूचित बैंक पर लिखा जाएगा जहां कि व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय अवस्थित है।

(5)जहां किसी दस्तावेज के फाइल करने के संबंध में कोई फीस संदेय है और जहां दस्तावेज बिना फीस के या अपर्याप्त फीस के साथ फाइल किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसा दस्तावेज इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए फाइल नहीं किया गया है।

11. प्ररूप- (1) द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में दिए प्ररूपों का प्रयोग उन सभी मामलों में किया जाएगा जिनमें वे लागू होते हैं और अन्य मामलों में लागू करने के लिए उन्हें रजिट्रार के निर्देशों के अनुसार उपांतरित किया जा सकेगा।

(2) कोई प्ररूप जब व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में फाइल किया जाएगा तब उसके साथ विहित फीस होगी।

(3) इस नियम के तहत अनुसूची में यथा निर्धारित प्ररूप के उपयोग की अपेक्षा इसके प्रतिरूप के उपयोग से भी पूर्ण होती है जिसमें प्ररूप के लिए आवश्यक सभी सूचना निहित हो और ऐसे प्ररूप के उपयोग संबंधी निदेश का अनुपालन किया गया हो।

(4) रजिस्ट्रार जनता को जरनल में अथवा शासकीय वेबसाइट पर आमसूचना देने के पश्चात् ऐसे प्ररूपों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो इलैक्ट्रानिक तरीके से प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हों। उसके पश्चात् ऐसे प्ररूपों को ऐसी रीति में पूरा किया जाएगा जो कंप्यूटर में अर्न्तवस्तु के निवेश को स्वत: ही जैसे संप्रतीक अभिज्ञान या क्रमवीक्षण द्वारा अनुज्ञात करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जा सके।

12. दस्तावेज का आकार आदि-(1) किन्हीं अन्य ऐसे निदेशों के जो रजिस्ट्रार द्वारा दिए जाएं, अधीन रहते हुए, व्यापार चिह्नों को छोड़कर वे सभी आवेदन, सूचनाएं, विवरण या अन्य दस्तावेज, जो व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को या वहां या रजिस्ट्रार के पास या उसको किए जाने, तामील किए जाने, छोड़े जाने या भेजे जाने या संदत्त किए जाने के लिए अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित है, A-4 या लिगल आकार के मजबूत कागज पर केवल एक ओर गहरी अमिट स्याही में सुपाठ्य अक्षरों में अंग्रेजी और हिन्दी में टाइप किए और प्रिंट आउट किए जाएंगे और कागज में बाई ओर कम से कम 4 सेंटीमीटर का हाशिया होगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार किसी समय अपेक्षा करता है तो दस्तावेजों की दूसरी प्रतियां, जिनके अन्तर्गत व्यापार चिह्नों की प्रतियां भी है व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में फाइल की जाएंगी।

(3) रजिस्ट्रार जरनल में जनता को सूचित करने के पश्चात् सभी आवेदनों, सूचनाओं, विवरणों या अन्य दस्तावेजों और प्ररूपों के, जो नियमों के अधीन इलैक्ट्रानिक रीति से समरूप बनाए जाने के लिए अपेक्षित हैं, आकार में परिर्वतन कर सकेगा।

(4) रजिस्ट्रार जरनल में जनता को सूचना दिए जाने के पश्चात् आवेदनों, सूचनाओं, विवरणों और अन्य दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक रीति द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों के अधीन रहते हुए, जो वह जरनल में विनिर्दिष्ट करे, फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

13. दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना- (1) इस अधिनियम और नियम के तहत हस्ताक्षर किए जाने वाले दस्तावेज पर आवेदक या विरोधकर्ता या इस प्रयोजन के लिए सम्यक प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

(2) किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षरों के साथ हिन्दी में या हस्ताक्षर अंग्रेजी में हैं, तो बड़े अक्षरों में हस्ताक्षरकर्ता का नाम होगा।

(3) दस्तावेज ऑनलाइन फाइल करने की स्थिति में "हस्ताक्षरित" कहने में अंकीय आंगुलिक हस्ताक्षर शामिल है।

14. दस्तावेजों की तामील-(1) रूपण चिपके हुए सभी आवेदन, नोटिंसे, कथन, कागजपत्र या अन्य दस्तावेज, जो व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को या वहां या रजिस्ट्रार या किसी अन्य व्यक्ति के पास या उसको किए जाने, तामील किए जाने, छोड़ जाने या भेजे जाने के लिए अधिनियम या नियमों द्वारा प्राधिकृत या अपेक्षित हैं, हाथ से दिए या डाक से ऐसे पत्र द्वारा भेजे जा सकेंगे जिसके लिए डाक महसूल दे दिया गया है अथवा रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से इलैक्ट्रानिक रूप में दाखिल किए जा सकेंगे।

(2) इस प्रकार भेजा गया कोई आवेदन या कोई दस्तावेज उस समय किया गया तामील किया गया व छोड़ दिया गया या भेज दिया गया समझा जाएगा जब वह पत्र जिसमें वह आवेदन या दस्तावेज है, डाक से साधारण अनुक्रम में परिदत्त कर दिया जाता।

(3) ऐसा भेजा जाना साबित करना पर्याप्त होगा कि पत्र पर उचित रूप से पता लिख कर उसे डाक में डाल दिया गया था।

(4) व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के पास कोई आवेदन फाइल करने के पश्चात् कोई व्यक्ति उससे संबंधित पत्राचार करते समय निम्नलिखित विशिष्टयां देगा, अर्थात्:-

(क) आवेदन की संख्या या संख्याएं, यदि कोई हो;

(ख) फाइल करने की तारीख और स्थान:

(ग) यथास्थिति, समुचित वर्ग या कोई वर्ग, जिसके या जिनके संबंध में आवेदन किया गया हो।

(घ) संसूचना के लिए पता; और

(ड़) संबंधित अभिकर्ता का कोड, यदि कोई हो, और संबंधित स्वत्वधारी का कोड, यदि आबंटित किया गया हो।

(5) रजिस्ट्रार जरनल के माध्यम से जनता को सूचित करने के बाद इस प्रयोज्य के लिए प्रदत्त गेटवे के ऑनलाइन माध्यम से आवेदन, सूचना, कथन या अन्य दस्तावेज, अथवा उन दस्तावेजों जिनके लिए किसी फीस का संदाय अपेक्षित नहीं है, इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत ई-मेल के माध्यम से स्वीकार कर सकेगा।

15. आवेदकों और अन्य व्यक्तियों के पतों की विशिष्टियां-(1) आवेदकों और अन्य व्यक्तियों के पूरे नाम और पते दिए जाएंगे और उसके साथ उनकी राष्ट्रिकता, अजीविका और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो उनकी पहचान के लिए आवश्यक है।

(2) किसी भागीदारी फर्म की दशा में, उसके प्रत्येक भागीदार के पूरे नाम और राष्ट्रीयता का कथन दिया जाएगा।

(3) कन्वेंशन देश में किसी आवेदन की दशा में और भारत में कारबार का काई मुख्य स्थान न रखने वाले व्यक्तियों की दशा में, उनके अपने देश में उनके पते भारत में तामील के लिए उनके पते के अतिरिक्त दिए जाएंगे।

(4) किसी निगम निकाय या फर्म की दशा में, यथास्थिति, निगमन देश या रजिस्ट्रीकरण की प्रकृति दी जाएगी।

16. किसी आवेदन में भारत में कारबार के मुख्य स्थान का कथन- (1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में आवेदक के भारत में कारबार के मुख्य स्थान का, यदि कोई हो, या संयुक्त आवेदकों की दशा में, संयुक्त आवेदकों में से ऐसे आवेदकों के, जिनका भारत में कारबार का मुख्य स्थान है, ऐसे कारबार के मुख्य स्थान का उल्लेख किया जाएगा।

(2) नियम 17, नियम 18, और नियम 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में किसी आवेदक को, संयुक्त आवेदकों की दशा में संयुक्त आवेदक को आवेदन में उसके द्वारा दिए गए उसके भारत में कारबार के मुख्य स्थान के पते पर कोई लिखित संसूचना संबोधित की जाती है तो वह उचित रूप से संबोधित की गई समझी जाएगी।

17. तामील के लिए पता- (1) अधिनियम और नियम के तहत किसी कार्यवाही से संबन्धित प्रत्येक आवेदक या विरोधकर्ता या अन्य व्यक्ति रजिस्ट्रार को भारत में तामील के लिए पता उपलब्ध कराएगा जिसमें भारत का एक डाक का पता और एक मान्य ई-मेल पता शामिल होगा और उस पते को उस आवेदक या विरोधकर्ता या व्यक्ति का तामील के लिए पता माना जाएगा:
परंतु कि व्यापार चिन्ह अभिकर्ता के लिए भी भारत में रजिस्ट्रीकृत एक मोबाईल नंबर देना आवश्यक होगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति को भारत में तामील के लिए उसके द्वारा दिए गए पते पर पूर्वोक्त रूप से लिखित संसूचना सम्बोधित की जाती है तो वह उचित रूप से सम्बोधित की गई समझी जाएगी।

(3) जब तक कि उपनियम (1) में अपेक्षित रूप में भारत में तामील के लिए कोई पता नहीं दिया जाता है तब तक रजिस्ट्रार अधिनियम या नियमों के द्वारा अपेक्षित रूप में कोई सूचना भेजने के लिए बाध्य नहीं होगा और कार्यवाहियों में कोई

IndiaCode

पश्चातवर्ती आदेश या विनिश्चिय इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि सूचना की तामील में कोई कमी थी उसको तामील नहीं की गई थी।

18. रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेज संप्रेषण- (1) आवेदन या विरोध मामले या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न से संबंधित सभी संवाद और दस्तावेज रजिस्ट्रार द्वारा संबद्ध पक्ष के पते पर पहुँचाया या डाक द्वारा भेजा जाएगा अथवा ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

(2) इस प्रकार प्रेषित कोई संवाद या दस्तावेज उस पत्र के डाक की साधारण प्रक्रिया द्वारा प्रदान किए जाने अथवा ई-मेल द्वारा भेजे जाने के समय प्रदान किया गया माना जाएगा।

(3) इसे प्रदान किया हुआ प्रमाणित करने के लिए, यह प्रमाणित करना पर्याप्त होगा कि पत्र पर उपयुक्त पता लिखकर उसे डाक में दिया गया है या संबद्ध पत्र द्वारा प्रदत्त ई-मेल आईडी पर ई-मेल संप्रेषण किया गया है।

19. अधिकरण- (1) धारा 145 के प्रयोजनों के लिए किसी अभिकर्ता का प्राधिकार प्ररूप व्या. चि.-एम में निष्पादित किया जाएगा।

(2) ऐसे प्राधिकार की दशा में कार्यवाही या मामले से संबंधित किसी दस्तावेज की अभिकर्ता पर तामील, उसे इसप्रकार प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर तामील समझी जाएगी; कार्यवाही या मामले की बाबत ऐसे व्यक्ति को की जाने के लिए निर्दिष्ट सभी संसूचनाएं, ऐसे अभिकर्ता को संबोधित की जाएंगी, और रजिस्ट्रार के समक्ष उससे संबंधित सभी हाजिरियां ऐसे अभिकर्ता द्वारा या उसकी मार्फत की जा सकेंगी।

(3) किसी विशिष्ट मामले में रजिस्ट्रार किसी आवेदक, विरोधकर्ता, स्वत्वधारी, रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता या अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत ह्स्ताक्षर या उसकी उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) अभिकर्ता द्वारा कार्यवाही से अथवा किसी अन्य कार्य से जिसके लिए वह प्राधिकृत हो प्रतिहरण के मामले में, ऐसे आवेदन या विरोध के संदर्भ में जहाँ भारत में व्यवसाय का कोई मूल स्थान उल्लिखित ना हो, आवेदक या विरोधकर्ता वैसे प्रतिहरण की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर भारत में सेवार्थ पता प्रदान करेगा। यदि वह उस अवधि के भीतर भारत में सेवार्थ पता प्रदान करने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि उसने आवेदन या विरोध यथास्थिति का परित्याग कर दिया है।

(5) उस आवेदन या विरोध की बाबत जहाँ भारत में व्यवसाय का मूल स्थान उल्लिखित ना हो, आवेदक या विरोधकर्ता द्वारा प्राधिकार के प्रतिसंहरण के मामले में, आवेदक या विरोधकर्ता, यथास्थिति उस प्रतिसंहरण से दो महीने की अवधि के भीतर भारत में सेवार्थ पता उपलब्ध कराएगा। यदि वह उस अवधि के भीतर भारत में सेवार्थ पता प्रदान करने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि उसने यथास्थिति आवेदन या विरोध का परित्याग कर दिया है।

20. माल और सेवाओं का वर्गीकरण-(1) व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए माल और सेवाएं उस रीति में वर्गीकृत की जाएगी जो विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (वायपो) द्वारा प्रकाशित "माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (एनआईसीई वर्गीकरण)" की वर्तमान संस्करण में विनिर्दिष्ट है।

(2) रजिस्ट्रार, यथासाध्य, माल और सेवाओं के वर्गीकरण की वर्णक्रम अनुक्रमणिका में भारतीय मूल के माल या सेवाओं की पहचान करेगा और उन्हें सम्मिलित करेगा।

21. सुभिन्नता के बारे में रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक सलाह-(1) धारा 133 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभिक सलाह के लिए कोई आवेदन माल या सेवाओं के संबंध में नियम 20 के उप नियम (2) के तहत रजिस्ट्रार द्वारा यथा प्रकाशित और प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 14 में यथा निर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप व्या. चि.-एम में किया जाएगा और उसके साथ व्यापार चिह्न के तीन व्यपदेशन होंगे।

22. कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार से प्ररूप- (1) व्या. चि.-सी में तलाशी करवाने के लिए और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन इस प्रभाव का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निवेदन कर सकेगा कि ऐसी कलात्मक कृति के जिसे प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए चाहा गया है, तदरूप या इतना समरूप जिससे धोखा हो जाए, कोई व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन व्यापार चिह्न के रूप में आवेदक से भिन्न किसी व्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या कि आवेदक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा पुन: रजिस्ट्रीकरण के लिए उस अधिनियम के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया है। प्रमाणपत्र सामान्यत: निवेदन की तारीख से कार्यकरण के 30 दिन के भीतर जारी किए जाएंगे;

परन्तु रजिस्ट्रार आवेदक से अपेक्षाओं के विवरण के लिए मांग कर सकेगा और यदि अपेक्षाओं का उस विवरण के ऐसे मांगे जाने की तारीख से दो मास के भीतर अनुपालना नहीं किया जाता है तो प्ररूप व्या. चि.- सी पर उस निवेदन के बारे में यह माना जा सकेगा कि उसका परित्याग कर दिया गया है।

(2) रजिस्ट्रार ऊपर वर्णित उपनियम (1) के अधीन जारी किए गए प्रमाणपत्र को सूचना देने और उन आधारों का कथन करने के पश्चात् जिन पर रजिस्ट्रार प्रमाणपत्र को रद्द करने की प्रस्थापना करता है और सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, रद्द कर सकेगा।

(3) उप नियम (1) के परन्तुक या उप नियम (2) के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार ऐसी तलाशी के लिए प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट आवेदन शुल्क के संदाय पर प्ररूप व्या. चि.- सी में प्राप्त निवेदन पर प्रतिलिप्यधिकार अधिकार, 1957 (1957 का 14) की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन त्वरित प्रमाणपत्र साधारणतया सात दिनों के भीतर जारी करेगा।

(4) यथास्थिति, प्ररूप व्या. चि.-सी में उस निवेदन का परित्याग करने से पूर्व मांगी गई अपेक्षाओं के विवरण की अननुपालना के लिए रजिस्ट्रार उस मामले में सुनवाई के अवसर की प्रस्थापना करेगा।

अध्याय 2
व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया

23. आवेदन का प्रारूप और हस्ताक्षर करना- (1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए माल या सेवाओं से संबंधित आवेदन व्या.चि.-ए पर दाखिल किया जाएगा और आवेदन पर आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) माल या सेवाओं के लिए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में-

(क) व्यापार चिह्न को, यदि आवश्यक हो तो, पर्याप्त सक्षमता के साथ शब्दों में वर्णित करके स्पष्ट किया जाएगा ताकि आवेदक का अधिकार अवधारित किया जा सके;

(ख) व्यापार चिह्न का ग्राफीय नमूनों में चित्रण करने में समर्थ होगा;

(ग) इसे तीन विमाओं वाले व्यापार चिह्नों के रूप में समझा जाएगा, यदि आवेदन में इस आशय का विवरण अंतर्विष्ट है;

(घ) इसे रंग समंजन वाला व्यापार चिह्न समझा जाएगा, यदि आवेदन में इस आशय का विवरण अंतर्विष्ट है;

(3) धारा 22 के परंतुक के अधीन आवेदन को विभाजित करने के लिए प्ररूप व्या.चि.-एम में संशोधन किया जाएगा।

(4) यदि वह श्रृंखला व्यापार चिह्न नहीं है तो कितने भी वर्ग या वर्गों के माल या सेवाओं के लिए केवल एक व्यापार चिह्न की बाबत एक ही आवेदन किया जाएगा।

(5) किसी वर्ग में सम्मिलित सभी माल या सेवाओं या किसी वर्ग में माल या सेवाओं के किसी वृहत किस्म की बाबत रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की दशा में रजिस्ट्रार उस आवेदन को स्वीकार करने से मना कर सकेगा अब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विनिर्देश उस चिह्न के उपयोग को न्यायसंगत ठहराता है जो आवेदक ने दिया है, या उसे वह देना चाहता है और यह तब जब वह रजिस्ट्रीकृत कर दिया जाता है;

परंतु व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय आवेदन में लिखित माल और सेवाओं के नाम, जहाँ तक संभव हो नियम 20 के उपनियम (2) के तहत रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित माल और सेवाओं के वर्गीकरण के अनुरूप हो।

(6) जहां आवेदक एक से अधिक वर्गों के लिए एकल आवेदन फाइल करता है, और रजिस्ट्रार अवधारित करता है कि आवेदित माल या सेवा उन वर्ग या वर्गों के अतिरिक्त वर्ग या वर्गों के अंतर्गत आते हैं, तो वह उस आवेदक को पहले से आवेदित वर्ग या वर्गों के माल या सेवाओं के विनिर्देश तक निबंधित कर सकेगा या उपयुक्त फीस के साथ प्ररूप व्या. चि.-एम पर आवेदन दाखिल कर अतिरिक्त वर्ग या वर्गों को जोड़ने के लिए आवेदन में संशोधन कर सकेगा।

बशर्ते कि सभी माल या सेवाएँ निर्दिष्ट वर्ग के अतिरिक्त किसी वर्ग में आते हैं, रजिस्ट्रार व्या. चि. -एम प्ररूप अनुरोध दाखिल कर वर्ग के सुधार की अनुमति दे सकता है।

24. कन्वेंशन ठहराव के अधीन आवेदन-(1) जहां धारा 154 के अधीन किसी कन्वेंशन देश में सम्यक रूप से फाइल किए गए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के कारण पूर्विक्ता के अधिकार का दावा किया जाता है वहां रजिस्ट्री या व्यापार चिह्न कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र के लिए और उस आवेदन में चिह्न, देश या देशों में व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ फाइल किया जाएगा और आवेदन के फाइल करने की तारीख या तारीखों की विशिष्टियां और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित हों, सम्मिलित होंगी।

(2) जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के लिए उस आवेदन को फाइल करने के समय ऐसा प्रमाण पत्र फाइल नहीं किया गया है आवेदन के अंतर्गत आने वाले उस आवेदन के फाइल करने की तारीख, देश, चिह्न की समाकृति और माल और सेवाओं को रजिस्ट्रार

के समाधान के लिए प्रमाणित करते हुए या सत्यापित करते हुए ऐसे आवेदन के फाइल करने के दो मास के भीतर वह फाइल किया जाएगा।

(3) आवेदन में कन्वेंशन आवेदन के फाइल करने की तारीख, उस कन्वेंशन देश का नाम, जहां यह फाइल किया गया, क्रम सं., यदि कोई हो, और ऐसा कोई विवरण जिसमें यह उपदर्शित किया गया हो कि पूर्विक्ता का दावा किया गया है, सम्मिलित होंगे:

परन्तु और कि जहां आवेदक ने उसी व्यापार चिह्न की बाबत धारा 154 के अधीन एक से अधिक पूर्विक्ता दावे फाइल किए हैं, वहां रजिस्ट्रार, कन्वेंशन देश में किए गए पूर्वतर आवेदन की तारीख को, पूर्विक्ता की तारीख के रूप में लेगा:

परन्तु यह और भी कि ऐसी पूर्विक्ता तारीख कन्वेंशन आवेदन के तहत नहीं आने वाले मालों या सेवाओं के लिए अनुमत्त नहीं होगी जो पहले निर्दिष्ट किए गए हैं,

परन्तु यह भी कि नियम 23 (1) के तहत दाखिल व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में उल्लिखित सभी मालों या सेवाओं के संदर्भ में केवल एकल पूर्विक्ता का दावा किया जाय।

25. आवेदन में उपयोगकर्ता का कथन- (1) जब तक कि व्यापार चिह्न का उपयोग करने की प्रस्थापना न की गई हों, व्यापार चिह्न को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन में उस कालावधि का, जिसके दौरान में और उस व्यक्ति का जिसने आवेदन में उल्लिखित माल या सेवाओं के संबंध में इसका उपयोग किया है, विवरण अंतर्विष्ट होगा।

(2) आवेदन की तारीख के पूर्व व्यापार चिह्न के उपयोग का दावा करने की स्थिति में आवेदक ऐसे उपयोग के समर्थन में सहायक दस्तावेज के साथ एक शपथ पत्र फाइल करेगा।

26. चिह्न की रुपण- (1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में और जहां कि आवेदन की अतिरिक्त प्रतियां अपेक्षित हैं, वहां अन्य प्रतियों में चिह्न की रुपण उस स्थान (8 सें.मी x 8 सें.मी.) दी जाएगी जो कि आवेदन में उस प्रयोजन के लिए नियम है,

(2) यदि आवेदन में इस प्रभाव का एक कथन शामिल है कि आवेदक चिह्न के एक सुभिन्न विशेषता के रूप में रंगों के समन्वय का दावा करने का इच्छुक है, उस आवेदन के साथ चिह्न का रंग संयोजन प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) जहाँ आवेदन में इस प्रभाव का एक कथन शामिल है कि व्यापार चिह्न एक त्रिआयामी चिह्न है, वहां उस चिह्न की प्रस्तुति में दो आयामी ग्राफिक या फोटोग्राफिक प्रस्तुति निम्न रूप में सम्मिलित होगी, अर्थात:-

(i) प्रदत्त प्रस्तुति में व्यापार चिह्न के तीन विभिन्न दृश्य शामिल होंगे;

(ii) जहाँ रजिस्ट्रार यह समझता है कि आवेदक द्वारा प्रदत्त चिह्न की प्रस्तुति में त्रिआयामी चिह्न के विवरण पूरी तरह प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, वह आवेदक को दो महीने के भीतर उस चिह्न के पाँच पृथक दृश्य प्रस्तुत करने और उस चिह्न को शब्दों में वर्णित करने को कहेगा;

(iii) जहाँ रजिस्ट्रार यह समझता है कि उपबंध (ii) में इंगित चिह्न के विभिन्न दृश्य और/या वर्णन अब भी त्रिआयामी चिह्न के विवरणों का पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर रहा है, वह आवेदक को उस व्यापार चिह्न का नमूना उपलब्ध कराने को कहेगा।

(4) (i) जहाँ व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रकरण के लिए आवेदन में वस्तुओं के आकार या उसकी पैकिंग शामिल हो, प्रदत्त प्रस्तुति में उस चिह्न के पाँच पृथक दृश्य प्रस्तुत और उसका शाब्दिक विवरण शामिल होगा-

(ii) यदि रजिस्ट्रार यह विचार करता है कि उपबंध (i) के चिह्न के विभिन्न दृश्य और विवरण अब भी वस्तुओं के आकार या उसकी पैकिंग के विवरणों का पर्याप्त प्रदर्शन नहीं करता है तो वह आवेदक को उस वस्तु या पैकिंग, यथास्थिति का नमूना प्रस्तुत करने को कहेगा।

(5) जहाँ व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में व्यापार चिह्न के रूप में ध्वनि शामिल है, उसकी प्रस्तुति MP3 फॉर्मेट में दाखिल की जाएगी जो अधिकतम तीस सेकेण्ड की होगी और वैसे माध्यम में अभिलिखित की गई होगी जिसे आसानी और स्पष्टता से सुना जा सके और उसके साथ उसके संकेतन की ग्राफीय प्रस्तुति भी होगी।

(6) यदि रजिस्ट्रार चिह्न की किसी प्रस्तुति से समाधान नहीं होता है तो वह किसी भी समय दूसरी प्रस्तुति की अपेक्षा कर सकता है जो उसे समाधान कर सके और कार्यवाही के पहले आवेदन के साथ प्रतिस्थापित हो सके।

27. व्यापार चिह्नों की श्रृंखला:- (1) जहां कि धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यापार चिह्न की समाकृति की प्रतियां आवेदन के साथ नियम 26 में उपवर्णित रीति में भेजी जाएंगी। रजिस्ट्रार यदि इस बात से समाधान है कि वह चिह्न एक क्रम का अनुसरण करते हैं तो वह आवेदन पर आगे कार्यवाही करेगा।

(2) व्यापार चिह्न जनरल में आवेदन के प्रकाशन के पूर्व किसी भी समय उपनियम (1) के अधीन आवेदन करने वाला आवेदक उस अवलि के एक या अधिक चिह्नों की बाबत यथास्थिति प्रथम आवेदन या आवेदनों में उस आवेदन के विभाजन का प्ररूप व्या. चि.-एम पर निवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि निवेदित विभाजन धारा 15 की उपधारा (3) के अनुरूप है उस आवेदन या आवेदनों को तदनुसार प्रभागीय फीस के भुगतान के बाद विभाजित करेगा।

28. लिप्यांतर और अनुवाद:- जहां किसी व्यापार चिह्न में एक या अधिक शब्द और/या संख्या हिन्दी या अंग्रेजी लिपि से भिन्न लिपि के हैं, आवेदक आवेदन में प्रत्येक वैसे शब्द और संख्या का सटीक लिप्यांतर और अनुवाद अंग्रेजी या हिन्दी में प्रस्तुत करेगा और यह भी बताएगा कि वह शब्द और/या संख्या किस भाषा का है।

29. जीवित व्यक्तियों या हाल ही में मृतक व्यक्तियों के नाम और रुपण- जहां कि किसी व्यक्ति का नाम या रुपण व्यापार चिह्न में दी हुई है, वहां आवेदक अपने से यह अपेक्षा रजिस्ट्रार द्वारा किये जाने पर यथास्थिति उस अवस्था में, जिसमें कि वह व्यक्ति जीवित है, ऐसे व्यक्ति की उस अवस्था में, जिसमें कि उसकी मृत्यु उस तारीख के पूर्व बीस वर्ष के अन्दर हो गई थी, जिसको कि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दिया गया था, उसके वैद्य प्रतिनिधि को इस बात के लिए लिखित सम्मति कि उसके नाम या उसकी समाकृति का ऐसा उपयोग किया जा सकता है, रजिस्ट्रार को देगा और यदि ऐसी सम्मति नहीं दी जाती तो व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर कोई कार्यवाही करने से रजिस्ट्रार इंकार कर सकेगा।

30. व्यापार चिह्न पर माल या सेवाओं का नाम या वर्णन:- (1) जहाँ किसी माल या सेवाओं का नाम या अभिवर्णन व्यापार चिह्न में दिया हुआ है, वहां रजिस्ट्रार ऐसे दिए नाम या अभिवर्णन वाले माल या सेवाओं से भिन्न किसी माल या सेवाओं के संबंध में ऐसे व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

(2) जहाँ कि किसी माल या सेवाओं का नाम वर्णन व्यापार चिह्न में दिया हुआ है और वह नाम और वर्णन उपयोग में लाये जाने में परिवर्तित होता रहता है, वहां रजिस्ट्रार उन माल या सेवाओं और अन्य माल या सेवाओं के लिए चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञा तब दे सकेगा जब कि आवेदक यह वचन दे कि नाम और अभिवर्णन में परिवर्तन उस सूरत में किया जायेगा जिसमें कि वह नामांकित या वर्णित माल या सेवाओं से भिन्न ऐसी माल या सेवाओं पर उपयोग में लाया जाता है जो कि विनिर्देश के अंतर्गत आ जाती है; इस भांति दिया गया वचन आवेदन के उस विज्ञापन में सम्मिलित किया जायेगा जो कि जनरल में धारा 20 के अधीन किया जाता है।

31. कमियाँ- जहां नियम 10 के उपनियम (2) के अधीन किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन अधिनियम या नियमों उपबंधों में से किन्हीं अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है वहां रजिस्ट्रार कमियों के उपचार के लिए आवेदक को उनकी सूचना भेजेगा और यदि उस सूचना की तारीख से एक मास के भीतर उसको इस प्रकार अधिसूचित किसी कमी का उपचार करने में असफल रहता है तो आवेदन को परित्यक्त समझा जाएगा।

32. आवेदन की अभिस्वीकृति - किसी माल या सेवाओं के बारे में व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृत सिस्टम जनित इलेक्ट्रोनिक रसीद देकर या ऐसे रसीद को इस प्रयोजन के लिए दिए गए ई-मेल पते पर भेजकर की जाएगी।

33. परीक्षण, स्वीकृति का विरोध, सुनवाई.—(1) रजिस्ट्रार, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आवेदन का परीक्षण कराएगा जहाँ पंजीकृत या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदित पूर्व के व्यापार चिह्न में खोज भी संचालित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदित व्यापार चिह्न के समरूप या छद्म रूप से समान कोई चिह्न उसी वस्तु या सेवा या समान वस्तुओं या सेवाओं के संदर्भ में अभिलिखित है या नहीं। आवेदन की स्वीकृति के पूर्व रजिस्ट्रार किसी भी समय पूर्व चिह्न के पुन: खोज सहित उस आवेदन का पुन: परीक्षण करवा सकता है, किन्तु वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।

(2) यदि किसी व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी साक्ष्य के प्रयोग या सुभिन्नता या किसी अन्य मामले पर विचार करते हुए, रजिस्ट्रार को आवेदन की स्वीकृति में कोई आपत्ति है। या वह उसे धारा 18 की उपधारा (4) के तहत कुछ शर्तों, संशोधनों, सुधारों या सीमाओं के अधीन उसे स्वीकार करने का प्रस्ताव करता है, जैसा उसे उपयुक्त लगे, रजिस्ट्रार वह लिखित आपत्ति या प्रस्ताव एक परीक्षण रिपोर्ट के रूप में आवेदन को प्रेषित करेगा।

(3) यदि किसी व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले किसी साक्ष्य के प्रयोग या सुभिन्नता या किसी अन्य मामले पर विचार करते हुए, रजिस्ट्रार आवेदन को रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्णतया स्वीकार करता है, तो वह इस स्वीकृति की सूचना आवेदक को प्रेषित करेगा और धारा 20 की उपधारा (1) के तहत उस आवेदन का विज्ञापन स्वीकृत रूप में करेगा।

(4) यदि, परीक्षण रिपोर्ट की स्वीकृति की तारीख से एक महीने के भीतर आवेदक उस संवाद का प्रत्युत्तर देने या सुनवाई के लिए आवेदन करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार उस आवेदन को परित्यक्त मान लेगा।

(5) उपर्युक्त समय के भीतर परीक्षण रिपोर्ट का प्रत्युत्तर प्राप्त होने की स्थिति में, उस पर सम्यक विचार किया जाएगा और यदि रजिस्ट्रार पंजीकरण हेतु आवेदन स्वीकार करें तो वह इस स्वीकृति की सूचना आवेदक को देगा और उस आवेदन को धारा 20 (1) के तहत स्वीकृत रूप में विज्ञापित कराएगा।

(6) यदि परीक्षण रिपोर्ट का प्रत्युत्तर संतोषप्रद न हो या जहाँ आवेदक ने सुनवाई का अनुरोध किया हो, रजिस्ट्रार आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और नियम 115 के तहत उसका संचालन करेगा।

(7) आवेदक के सुनवाई की निश्चित तारीख को उपस्थित न होना और कार्यालय को कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में, रजिस्ट्रार उस आवेदन को परित्यक्त मान लेगा।

(8) जहाँ आवेदक ने परीक्षण रिपोर्ट का प्रत्युत्तर उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत किया है या सुनवाई में उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन दिया है, रजिस्ट्रार उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

34. आवेदन का त्वरित निपटान-(1) आवेदन की शासकीय संख्या प्राप्त होने के बाद, आवेदक प्ररूप व्या.चि.- एम पर प्रथम अनुसूची में यथा निर्दिष्ट आवेदन शुल्क का भुगतान कर व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण हेतु किए गए आवेदन के त्वरित निपटान का अनुरोध कर सकता है। वैसे आवेदन का त्वरित परीक्षण साधारणतया आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन महीने के भीतर किया जाएगा। उसके बाद, निम्नलिखित कार्यवाहियाँ अर्थात् परीक्षण रिपोर्ट के प्रत्युत्तर पर विचार, कारण बताओ सुनवाई की तारीख तय करना, यदि अपेक्षित हो, आवेदन का प्रकाशन और उसका विरोध, यदि कोई हो, से आवेदन का अंतिम निपटान तक का कार्य भी व्यापार चिह्न जरनलमें रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में दिशानिदेश प्रकाशित कर त्वरित किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न आवेदन के त्वरित निपटान प्रक्रिया के लिए आवेदनों की संख्या व्यापार चिह्न जरनल में इसे प्रकाशित कर सीमित कर सकता है।

35. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रत्याहरण करने की नोटिस- व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रत्याहरण धारा 133 की उपधारा (2) या नियम 24 के उपनियम (2) के अधीन करने की इस प्रयोजन से सूचना कि आवेदन फाइल करने के अवसर पर दी गई किसी फीस का प्रतिसंदाय करा लिया जाए नियम 33 के उपनियम (2) में वर्णित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर लिखित रूप में दी जाएगी।

36. रजिस्ट्रार का निर्णय - (1) नियम 33, 34 या नियम 41 के तहत रजिस्ट्रार के निर्णय की लिखित संसूचना आवेदक को दी जाएगी और यदि आवेदक ऐसे निर्णय की अपील करने का आशय रखता है, तो वह ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप व्या. चि.-एम पर रजिस्ट्रार से यह अपेक्षा करने वाला आवेदन कर सकेगा कि रजिस्ट्रार अपने निर्णय के आधारों का और उन सामग्रियों का जिनका उपयोग उसने अपना विनिश्चय करने के लिए किया है, लिखित कथन दे।

(2) उस दशा में जिसमें कि रजिस्ट्रार ऐसी कोई अपेक्षाएं करता है आवेदक को जिनकी बाबत कोई आपत्ति नहीं है, आवेदक उन अपेक्षाओं का अनुवर्तन रजिस्ट्रार द्वारा उपनियम (1) के अधीन लिखित कथन दिए जाने से पूर्व करेगा।

(3) जिस तारीख को लिखित कथन उपधारा (1) के अधीन आवेदक द्वारा प्राप्त होता है, वह तारीख अपील के प्रयोजन के लिए वह तारीख समझी जाएगी जिसको रजिस्ट्रार ने अपना विनिश्चय किया है।

37. आवेदन में शुद्धि और संशोधन- व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक, अपने आवेदन में या तत्संबंधी किसी गलती को शुद्ध करने के लिए या अपने आवेदन में कोई संशोधन करने के लिए आवेदन उसके साथ विहित फीस देकर अपने आवेदन के प्रतिग्रहण के या तो पूर्व या पश्चात् किंतु चिह्न के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व प्ररूप व्या. चि.-एम में कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो मूल व्यापार चिह्न को सारभूत रूप से परिवर्तन करने या माल या सेवाओं के ऐसे नए विनिर्देश को रखने का प्रभाव रखता हो जो मूल आवेदन में समाविष्ट नहीं किया गया हो।

38. स्वीकार को रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिसंदाय कर लेना- (1) यदि रजिस्ट्रार को आवेदन के प्रतिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति आवेदन के प्रतिग्रहण के पश्चात् किंतु व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व इस आधार पर कि वह गलती से प्रतिग्रहीत कर लिया गया है, या उस चिह्न मामले की उन अवस्थाओं में प्रतिग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए था, या रजिस्ट्रार यह प्रस्थापना करता है कि वह चिह्न केवल उन शर्तों, मर्यादाओं, विभाजनों के अधीन भी, या उन शर्तों या मर्यादाओं के जिन पर कि आवेदन प्रतिग्रहीत किया गया है अतिरिक्त या उससे भिन्न शर्तों पर रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए, तो रजिस्ट्रार ऐसी आपत्ति की लिखित संसूचना आवेदक को देगा।

(2) आवेदक जब तक कि रजिस्ट्रार की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की दृष्टि से अपने आवेदन को संशोधन उपनियम (1) में वर्णित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या सुनवाई के लिए आवेदन नहीं कर देता है, आवेदन के प्रतिग्रहण की बाबत यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रार ने उसे प्रत्यहृत कर लिया है और आवेदन की बाबत ऐसी कार्यवाही की जायेगी मानो कि उसे प्रतिग्रहीत नहीं किया गया हो।

(3) जहां कि रजिस्ट्रार को आवेदक उपनियम (2) में उल्लिखित कालावधि के भीतर यह सूचित करता है कि मेरी यह इच्छा है कि मेरी सुनवाई हो तो आवेदक को रजिस्ट्रार उस तारीख की नोटिस देगा जिसको रजिस्ट्रार उसकी सुनवाई करेगा। जब तक कि आवेदक इससे अल्पकाल वाली सूचना के लिए सम्मत न हो जाये, ऐसी सुनवाई की तारीख सूचना की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन बाद की रखी जाएगी। आवेदक यह कथन कर सकेगा कि वह अपनी व वैयक्तिक सुनवाई कराना नहीं चाहता और वह वे बातें पेश कर सकेगा जिन्हें कि वह वांछनीय समझता है।

(4) रजिस्ट्रार आवेदक की सुनवाई के पश्चात् या यदि आवेदक ने कोई बातें उसके समक्ष लिखित रूप में पेश की है तो उन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकेगा जैसे कि वह ठीक समझता है।

आवेदन का विज्ञापन

39. विज्ञापन की रीति-(1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन की बाबत धारा 20 की उपधारा (1) में यह अपेक्षा की जाती है कि उसे विज्ञापित किया जाए या उस धारा की उपधारा (2) द्वारा उसे पुन: विज्ञापित किया जाए उसे जरनल में विज्ञापित किया जाएगा।

40. आवेदन में शुद्धि या संशोधन करने की अधिसूचना- रजिस्ट्रार इस आवेदन की दशा में जिसे धारा 20 की उपधारा (2) का खंड (ख) लागू है, उस सूरत में जिसमें कि वह ऐसा विनिश्चय करता है, आवेदन को पुन: विज्ञापित कराने के बजाय आवेदन की संख्या, वह वर्ग जिसमें वह किया गया है, आवेदक का नाम और उसके कारबार का भारत में मुख्य स्थान का पता, यदि कोई हो, या जहां आवेदन का कोई कारबार का भारत में मुख्य स्थान नहीं है वहां भारत में तामील के लिए उसका पता, उस जरनल की संख्या जिसमें यह विज्ञापित किया गया है और आवेदन में की गई शुद्धि या संशोधन उपवर्णित करने वाली अधिसूचना जरनल में दे सकेगा:

परंतु व्यापार चिह्न या माल और/या सेवाओं की बाबत विज्ञापन में त्रुटि (छोटी वर्तनी भूलों के अतिरिक्त) या श्रेणी या व्यापार चिह्न के उपयोग का कथन के संदर्भ में या किसी अन्य संदर्भ में जिसे रजिस्ट्रार ठीक समझे, वह पूर्व के विज्ञापन को निरस्त करते हुए उस व्यापार चिह्न का पुन: विज्ञापन करेगा।

41. चिह्न के विज्ञापन की विशिष्टियां देने के लिए रजिस्ट्रार से निवेदन- प्ररूप व्या. चि.-एम में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार से यह निवेदन कर सकेगा कि रजिस्ट्रार उस जरनल की संख्या, तारीख की जानकादी दे जिसमें प्ररूप में विनिर्दिष्ट उस व्यापार चिह्न का विज्ञापन हुआ था जिसका रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है और रजिस्ट्रार निवेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियां देगा।

रजिस्ट्रीकरण का विरोध

42. विरोध की नोटिस- (1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के विरोध की नोटिस धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन, नियम 43 में यथा निर्दिष्ट विवरणों के साथ, व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन विज्ञापित या पुनर्विज्ञापित करने वाले व्यापार चिह्न जरनल के प्रकाशन की तारीख चार मास के अंदर प्ररूप व्या.चि.-ओ में दी जाएगी।

(2) जहां विरोध की नोटिस माल और सेवाओं के विभिन्न वर्गों के व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी एकल आवेदन की बाबत फाइल किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसे वर्ग की बाबत उस पर फीस दी जाएगी जिसके सबंध में व विरोध फाइल किया जाता है।

(3) जहां कोई विरोध किसी एकल आवेदन की बाबत में केवल किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के लिए धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन फाइल किया जाता है वहां शेष वर्ग या वर्गों के आवेदन पर रजिस्ट्रीकरण के लिए आगे की कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि आवेदक द्वारा प्रभागीय फीस के साथ आवेदन के विभाजन के लिए कोई निवेदन प्ररूप व्या.चि.-एम में नहीं किया जाता है।

(4) जहां किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी एकल आवेदन की बाबत किसी वर्ग या वर्गों में विरोध की सूचना फाइल नहीं की जाती है वहां ऐसे वर्ग या वर्गों की बाबत ऐसा आवेदन धारा 19 और धारा 23 की उपधारा (1) के अध्याधीन होगा, उस आवेदन पर उस वर्ग या वर्गों में आवेदन के विभाजन के पश्चात् जिसकी बाबत कोई विरोध लंबित नहीं है रजिस्ट्रीकरण के लिए आगे कार्यवाही की जाएगी।

(5) विरोध की नोटिस की एक प्रति समुचित कार्यालय द्वारा उसकी प्राप्ति के तीन मास के भीतर आवेदकों को रजिस्ट्रार द्वारा तामील कराई जाएगी।

परंतु जहाँ आवेदक ने शासकीय वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनुक रुप में उपलब्ध विरोध की सूचना की प्रति के आधार पर प्रति-कथन पहले ही दाखिल कर दिया है, उस आवेदक को विरोध की सूचना की प्रति प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

43. विरोध की सूचना की अपेक्षाएं- (1) विरोध की नोटिस में निम्नलिखित होगा:-

(क) उस आवेदन की बाबत जिसके विरुद्ध विरोध दर्ज किया जाता है-

(i) उस आवेदन की आवेदन संख्या जिसके विरुद्ध विरोध दर्ज किया जाता है;

(ii) उस व्यापार चिह्न के आवेदन में सूचीबद्ध उन माल या सेवाओं का उपदर्शन जिसके विरुद्ध विरोध दर्ज किया जाता है; और

(iii) व्यापार चिह्न के आवेदक का नाम।

(ख) उस पूर्वत्तर चिह्न या पूर्वत्तर अधिकार की बाबत जिस पर विरोध आधारित है-

(i) जहां विरोध किसी पूर्वत्तर चिह्न पर आधारित है वहां उस प्रभाव का वर्णन और पूर्वत्तर चिह्न की प्रास्थिति का कोई उपदर्शन;

(ii) जहां उपलब्ध ही पूर्वत्तर चिह्न की आवेदन संख्या या रजिस्ट्रीकरण संख्या और फाइल करने की तारीख जिसके अंतर्गत पूर्वत्तर चिह्न की तारीख भी है;

(iii) जहां विरोध किसी पूर्वत्तर चिह्न पर आधारित है जिसके बारे में अभिकथन है कि वह धारा 11 की उपधारा (2) के अर्थान्तर्गत एक सुविख्यात व्यापार चिह्न है, वहां उस आशय का उपदर्शन और उस देश या देशों का उपदर्शन जिसमें पूर्वत्तर चिह्न को सुविख्यात रूप से मान्यता दी गई है;

(iv) जहां विरोध किसी ऐसे पूर्वत्तर व्यापार चिह्न पर आधारित है जिसकी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के पैरा (ख) के अर्थान्तर्गत एक प्रतिष्ठा है वहां उस आशय का उपदर्शन और यह उपदर्शन कि वह पूर्वत्तर चिह्न रजिस्ट्रीकृत है या उपयोजित है अथवा नहीं;

(v) विरोधी के चिह्न की समाकृति और जहां समुचित हो उस चिह्न या पूर्वत्तर अधिकार का एक अभिवर्णन; और

(vi) जहां उन माल या सेवाओं जिनकी बाबत पूर्वत्तर चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया गया है या उपयोजित किया गया है या जिसकी बाबत पूर्वत्तर चिह्न धारा 11 की उपधारा (2) के अर्थान्तर्गत सुविख्यात है या उस धारा के अर्थान्तर्गत उसकी एक प्रतिष्ठा है वहां वह विरोधी उन सभी माल या सेवाओं को उपदर्शित करते समय जिसके लिए पूर्वत्तर चिह्न संरक्षित है उन माल या सेवाओं को भी उपदर्शित करेगा जिन पर विरोध आधारित है।

(ग) विरोध करने वाले पक्षकार की बाबत-

(i) जहां विरोध पूर्वत्तर चिह्न के या पूर्वत्तर अधिकार के स्वत्वधारी द्वारा दर्ज किया जाता है वहां उसका नाम और पता तथा यह उपदर्शन कि वह ऐसे चिह्न या अधिकार का स्वत्वधारी है;

(ii) जहां विरोध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता न होने के कारण रजिस्ट्रीकृत किया जाता है वहां अनुज्ञप्तिधारी का नाम और उसका पता तथा ऐसा कोई उपदर्शन कि यह विरोध दर्ज करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(iii) जहां विरोध किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के उस हक उत्तराधिकरी द्वारा दर्ज किया जाता है जिसका नए स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया है उस आशय का उपदर्शन विरोध करनेवाले पक्षकार का नाम और पता ओर उस तारीख का उपदर्शन जिसको नए स्वत्वधारी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उस समुचित कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया था या जहां वह जानकारी उपलब्ध नहीं है वहां उस समुचित कार्यालय को वह आवेदन भेजा गया था; और

(iv) जहां विरोध करने वाले पक्षकार का कारबार का भारत में कोई स्थान नहीं है वहां विरोधकर्ताओं का नाम और भारत में उसकी तामील करने का पता।

(घ) वे आधार जिन पर विरोध आधारित है:-

(2) विरोध की सूचना को विरोधी या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अधोभाग पर सत्यापित किया जाएगा।

(3) सत्यापित करने वाला व्यक्ति विरोध की सूचना के संख्यांकित पैराओ के प्रतिनिर्देश से जो वह अपने स्वयं के ज्ञान से और जो यह प्राप्त सूचना के आधार पर और उसे सत्य मान कर सत्यापित करता है, विनिर्दिष्ट रूप से कथन करेगा।

(4) सत्यापन, उसे सत्यापित कने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और जिस तारीख को वह हस्ताक्षरित किया गया था और जिस स्थान पर वह हस्ताक्षरित किया गया था कथन करेगा।

IndiaCode

44. प्रतिकथन- (1) धारा 21 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार प्रतिकथन रजिस्ट्रार से विरोध की सूचना की प्रति के आवेदक द्वारा प्राप्त होने से दो मास के भीतर प्ररूप व्या.चि.-ओ में भेजा जाएगा और उसमें यह भी वर्णित होगा कि विरोध की सूचना में अभिकथित वे तथ्य यदि कोई हो, कौन से हैं जिन्हें आवेदक ने स्वीकार कर लिया है रजिस्ट्रार प्रतिकथन की एक प्रति की तामील उसकी प्राप्ति की तारीख से सामान्यत: दो मास के भीतर विरोधी पर कराएगा।

(2) प्रतिकथन को उसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जो नियम 43 के उपनियम (2), (3) और (4) में वर्णित है।

45. विरोध के समर्थन में साक्ष्य- (1) प्रतिकथन की प्रति की तामील जिस दिन करा दी हो उससे दो महीने के भीतर विरोध या तो रजिस्ट्रार के पास ऐसा साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा देगा जैसा कि वह अपने विरोध के समर्थन में देना चाहता है या रजिस्ट्रार को और आवेदक को यह लिखित प्रज्ञापन देगा कि मैं अपने विरोध के समर्थन में साक्ष्य नहीं देना चाहता हूँ, किंतु मेरा यह आशय है कि विरोध की सूचना में कथित तथ्यों का मैं सहारा लूंगा। वह आवेदक को ऐसे किसी साक्ष्य, प्रतिदर्श सहित यदि कोई हो, की प्रतियां देगा जिन्हें उसने रजिस्ट्रार के पास इस उपनियम के अधीन दिया है और ऐसी प्रतियां देने की लिखित में रजिस्ट्रार को सूचना देगा। प्रतिकथन की प्रति की तामील जिस दिन करा दी हो उससे दो महीने के भीतर या उसके पश्चात् कुल मिलाकर एक मास से अनधिक की ऐसी आगे की अवधि के भीतर जो निवदेन पर रजिस्ट्रार अनुज्ञात करे, विरोध या तो रजिस्ट्रार के पास ऐसा साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा देगा जैसा कि वह अपने विरोध के समर्थन में देना चाहता है या रजिस्ट्रार को और आवेदक को यह लिखित प्रज्ञापन देगा कि मैं अपने विरोध के समर्थन में साक्ष्य नहीं देना चाहता हूँ, किंतु मेरा यह आशय है कि विरोध की सूचना में कथित तथ्यों का मैं सहारा लूंगा। वह आवेदक को ऐसे किसी साक्ष्य, प्रतिदर्श सहित यदि कोई हो, की प्रतियां देगा जिन्हें उसने रजिस्ट्रार के पास इस उपनियम के अधीन दिया है और ऐसी प्रतियां देने की लिखित में रजिस्ट्रार को सूचना देगा।

(2) यदि विरोधी उपनियम (1) के अधीन उसमें वर्णित समय के भीतर कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो यह समझ जाएगा कि विरोधी ने अपने विरोध का परित्याग कर दिया है।

46. आवेदन के समर्थन में साक्ष्य-(1) आवेदक रजिस्ट्रार के पास शपथ पत्र के रूप में ऐसा साक्ष्य विरोध के समर्थन में शपथ पत्रों की प्रतियों अपने को मिलने से या अपने को यह प्रज्ञापना मिलने से कि विरोधी अपने विरोध के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता दो मास के भीतर देगा जैसा कि वह अपने आवेदन के समर्थन में देना चाहता है और उसकी प्रतियां वह विरोधी को देगा या रजिस्ट्रार को और विरोधी को वह यह प्रज्ञापना देगा कि मैं कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता, किंतु मेरा यह आशय है कि प्रतिकथन में कथित तथ्यों का और/या प्रश्नास्पद आवेदन के संबंध में अपने द्वारा पेश कर दिए गए साक्ष्य का सहारा लूंगा। उस अवस्था में जिसमें आवेदक आवेदन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करता है या अपने द्वारा पेश किये जा चुके किसी साक्ष्य का सहारा लेता है, वह उसकी प्रतियां प्रतिदर्श सहित यदि कोई हो के साथ विरोधी को देगा। आवेदक रजिस्ट्रार के पास शपथ पत्र के रूप में ऐसा साक्ष्य विरोध के समर्थन में शपथ पत्रों की प्रतियों अपने को मिलने से या अपने को यह प्रज्ञापना मिलने से कि विरोधी अपने विरोध के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता दो मास के भीतर या उसके पश्चात् कुल मिलाकर एक मास से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर जो निवेदन पर रजिस्ट्रार अनुज्ञात करे देगा जैसा कि वह अपने आवेदन के समर्थन में देना चाहता है और उसकी प्रतियां वह विरोधी को देगा या रजिस्ट्रार को और विरोधी को वह यह प्रज्ञापना देगा कि मैं कोई साक्ष्य नहीं देना चाहता, किंतु मेरा यह आशय है कि प्रतिकथन में कथित तथ्यों का और/या प्रश्नास्पद आवेदन के संबंध में अपने द्वारा पेश कर दिए गए साक्ष्य का सहारा लूंगा। उस अवस्था में जिसमें आवेदक आवेदन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करता है या अपने द्वारा पेश किये जा चुके किसी साक्ष्य का सहारा लेता है, वह उसकी प्रतियां प्रतिदर्श सहित यदि कोई हो के साथ विरोधी को देगा और इसकी सूचना लिखित रूप में रजिस्ट्रार को देगा।

(2) यदि आवेदक उपनियम (1) में वर्णित समय के भीतर कोई कार्यवाही नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने आवेदन का परित्याग कर दिया है।

47. विरोधी द्वारा दिए गए उत्तर में साक्ष्य-विरोध द्वारा आवेदक के शपथपत्र की प्रतियां प्राप्त करने से एक मास के भीतर विरोधी उत्तर में शपथ पत्र द्वारा रजिस्ट्रार को साक्ष्य देगा और आवेदक को उसकी प्रतियां,प्रतिदर्श सहित यदि कोई हो, के साथ परिदत्त करेगा।

48. अधिक साक्ष्य- किसी की ओर से कोई और साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, किन्तु रजिस्ट्रार के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में वह किसी भी समय, यदि उचित समझे, तो वह आवेदक को या विरोधी को ऐसे निबंधनों और खर्चे पर या जिसे वह अन्यथा ठीक समझे कोई साक्ष्य देने की इजाजत दे सकेगा।

49. दस्तावेजों का अनुवाद- जहां कि हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न भाषा वाली किसी दस्तावेज के प्रति निर्देश विरोध की सूचना में प्रतिकथन में या विरोधी कार्यवाहियों में फाइल किए गए शपथ-पत्र में किया गया है वहां हिंदी या अंग्रेजी में उसे अभिप्रमाणित अनुवाद रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराएगा और उसकी एक प्रति विरोधी पक्ष को देगा।

50. सुनवाई और विनिश्चय-(1) साक्ष्य के पूरा होने पर रजिस्ट्रार इस बात की सूचना पक्षकारों को देगा कि प्रथम बार सुनवाई कब होगी। सुनवाई की तारीख प्रथम सूचना की तारीख से कम से कम एक मास के बाद की होगी।

(2) सुनवाई का स्थगन - किसी कार्यवाही के पक्षकार प्ररूप व्या. चि. -एम पर विहित फीस के साथ सुनवाई स्थगन का अनुरोध युक्तिसंगत कारण देते हुए सुनवाई की तारीख से कम-से-कम तीन दिन पहले करेगा और रजिस्ट्रार, यदि ऐसा करना उचित समझे, उयाए ऐसी शर्तों पर जैसा वो निदेश दे, सुनवाई स्थगित करेगा और पक्षकारों को इसकी सूचना देगा:

परंतु किसी पक्षकार को दो से अधिक स्थगन नहीं दिया जाएगा और प्रत्येक स्थगन तीस दिन से अधिक का नहीं होगा।

(3) यदि आवेदक सुनवाई की स्थगित तारीख पर उपस्थित नहीं है तो आवेदन का परित्याग किया जाना समझा जाएगा।

(4) यदि विरोधी सुनवाई की स्थगित तारीख पर उपस्थित नहीं है तो अभियोजन के अभाव में विरोध को रद्द कर दिया जाएगा और आवेदन पर धारा 19 के अध्यधीन रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

(5) रजिस्ट्रार लिखित बहस पर विचार करेगा, यदि कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा दाखिल हो।

(6) रजिस्ट्रार का निर्णय लिखित रूप में पक्षकारों को उनके प्रदत्त तामील के पते पर प्रेषित किया जाएगा।

51. खर्चों के लिए प्रतिभूति- खर्चों के लिए जो प्रतिभूति रजिस्ट्रार धारा 21 की उपधारा (6) के अधीन अपेक्षित रूप में वह इतनी किसी रकम की नियत की जा सकेगी जितनी कि रजिस्ट्रार ठीक समझे और विरोध विषयक कार्यवाहियां के किसी प्रक्रम में यह रकम रजिस्ट्रार द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।

रजिस्ट्रीकरण अननुपालन की नोटिस

52. सूचना देने के लिए प्रक्रिया-आवेदक को जो सूचना देने की रजिस्ट्रार से अपेक्षा धारा 23 की उपधारा (3) द्वारा की गई है वह आवेदक को उसके तामील के पते पर प्ररूप ओ-1 में भेजी जाएगी। सूचनाएं रजिस्ट्रीकरण पूरा करने के लिए सूचना की तारीख से इक्कीस दिन का समय या एक मास से अनधिक की ऐसा और समय जो रजिस्ट्रार द्वारा प्ररूप व्या.चि.-एम में किए गए अनुरोध पर अनुज्ञात किया जाए, विनिर्दिष्टि होगा।

रजिस्ट्रीकरण

53. रजिस्टर में प्रविष्टि- (1) जहाँ जरनल में विज्ञापित या पुनःर्विज्ञापित आवेदन के विरोध की कोई सूचना धारा 21 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर फाइल नहीं की जाती है या जहाँ कोई विरोध फाइल किया जाता है और वह खारिज कर दिया जाता है वहाँ रजिस्ट्रार धारा 23 की उपधारा (1) या धारा 19 के उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यापार चिह्न की रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा।

(2) व्यापार चिह्न की जो प्रविष्टि रजिस्टर में है उसमें आवेदन के फाइल करने की तारीख, रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख, वे माल या सेवाएं और वर्ग या वर्गों जिनकी बाबत व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया गया है और धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सभी विशिष्टियां, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित विशिष्टियां हैं:-

(क) व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी के कारबार का भारत में मुख्य स्थान, का यदि कोई हो, पता या संयुक्त स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न के ऐसे संयुक्त स्वत्वधारियों के कारबार का भारत में मुख्य स्थान का पता जिनके कारबार का भारत में मुख्य स्थान है।

(ख) जहाँ व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी के कारबार का कोई स्थान भारत में नहीं है, वहां उसके अपने स्वदेश वाले पते के साथ भारत में तामील के लिए उसका यह पता जो कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रविष्ट है।

(ग) संयुक्त स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न के मामले में, उस दशा में जिसमें कि संयुक्त स्वत्वधारियों में से किसी के भी किसी कारबार का भारत में मुख्य स्थान नहीं है, वहां संयुक्त स्वत्वधारियों में से प्रत्येक के अपने स्वदेश वाले पते के साथ भारत में तामील के लिए उनका वह पता, जो कि आवेदन में दिया गया है।

(घ) स्वत्वधारी के या संयुक्त स्वामित्व वाले व्यापार चिह्न की अवस्था में व्यापार चिह्न के संयुक्त स्वत्वधारियों के व्यापार, कारबार, वृद्धि, उपजीविका की विशिष्टियां, या अन्य वर्णन जो कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रविष्ट हैं।

(ड़) रजिस्ट्रीकरण के विषय या रजिस्ट्रीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रभावित करने वाली विशिष्टियाँ, और

(च) कन्वेंशन आवेदन की तारीख यदि कोई हो, धारा 154 के अधीन, की गई किसी कन्वेंशन देश के आवेदकों की आवेदन के अनुसरण में प्रदान की जाएगी।

(छ) जहाँ वह चिह्न सामूहिक या प्रमाणीकरण चिह्न है, वह तथ्य

IndiaCode

(ज) जहाँ कोई पूर्वत्तर व्यापार चिह्न या अन्य पूर्वत्तर अधिकार के स्वत्वधारी की सहमति से धारा 11 की उपधारा (4) के अनुसरण में वह चिह्न रजिस्ट्रीकृत किया जाता है वहाँ वह तथ्य

(झ) उस व्यापार चिह्न से संबंधित चिह्न रजिस्ट्री का समुचित कार्यालय विनिर्दिष्ट होंगी।

(3) रजिस्ट्रार समय-समय पर कम्प्यूटर विशेषज्ञों से विचार विमर्श करते हुए शासकीय अभिलेख इलैक्ट्रानिक रूप में रखने के लिए दिशा निर्देश बनाएगा।

54. सम्बद्ध व्यापार चिह्न-(1) जहाँ कि व्यापार चिह्न किन्हीं अन्य चिह्नों से सम्बद्ध होने के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहाँ रजिस्ट्रार प्रथम वर्णित चिह्न के संबंध में उन चिह्नों की रजिस्ट्रीकरण संख्याएं रजिस्टर में लिखेगा, जिनके साथ वह सम्बद्ध है और ऐसे चिह्नों में से प्रत्येक के संबंध में रजिस्टर में उसके साथ सम्बद्ध चिह्न होने के नाते प्रथम वर्णित चिह्न की रजिस्ट्रीकरण संख्या भी लिखेगा।

(2) सम्बद्ध व्यापार चिह्नों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्नों में से किसी का सहबद्धता भंग करने के लिए धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन आवेदन प्ररूप व्या.चि.-पी में किया जायेगा और आवेदन के आधारों का कथन उसमें किया जाएगा।

55. रजिस्ट्रीकरण के पूर्व आवेदक की मृत्यु- आवेदन की तारीख के पश्चात् और व्यापार चिह्न के रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने के पूर्व यदि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो रजिस्ट्रार अनुरोध किए जाने पर प्ररूप व्या.चि.-एम पर आवेदक की मृत्यु के सबूत पर और मृत व्यक्ति के हित के संप्रेषित की सबूत पर आवेदन में ऐसे मृतक के उत्तराधिकारी के नाम को रखेगा और तत्पश्चात् यथासंशोधित आवेदन पर कार्यवाही की जायेगी।

56. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र-(1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का यह प्रमाण-पत्र को रजिस्ट्रार द्वारा धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन दिया जाता है प्ररूप आरजी-2 में व्यापार चिह्न शामिल करेगा। उस पर व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का मुहर लगा होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के जिस प्रमाण-पत्र के प्रति निर्देश उपनियम (1) में किया गया है उसका उपयोग विधि कार्यवाहियों में या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने के लिए नहीं किया जायेगा। इन प्रयोजनों के लिए धारा 137 के तहत जारी प्रमाण पत्र का प्रयोग किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति या अतिरिक्त प्रतियां रजिस्ट्रार विहित फीस सहित प्ररूप व्या.चि.-एम में अपने से निवेदन रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा किये जाने पर दे सकेगा:

परंतु कि ऐसी कोई प्रतिलिपि या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति जारी नहीं किया जाएगा जहाँ रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण और रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के प्रत्यावर्तन के लिए समय सीमा की समाप्ति के बाद अनुरोध प्राप्त हुआ हो।

अध्याय-3
रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण का प्रत्यावर्तन

57. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण-(1) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप व्या.चि.-आर में किया जाएगा और यह व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान से पूर्व एक वर्ष के भीतर किसी समय किया जा सकेगा।

(2) विहित समय के भीतर दाखिल व्यापारचिह्न के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का अनुरोध अनुमत्त होगा यदि व्यापारचिह्न हटाया या निरस्त न कर दिया गया हो या अधिनियम और नियम के किसी उपबंध या न्यायालय अथवा रजिस्ट्रार के किसी आदेश के तहत नवीकरण से अन्यथा न हो।

58. रजिस्टर से व्यापार चिह्न के हटाने से पूर्व नोटिस-(1) यदि विहित प्ररूप पर निर्धारित फीस के साथ रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु कोई आवेदन प्राप्त न हो तो रजिस्ट्रार व्यापारचिह्न के रजिस्ट्रीकरण के अवसान से अधिकतम छः मास पहले प्ररूप आर जी-3 पर एक नोटिस तामील के पते पर भेजकर रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को अवसान की आगत तारीख और शर्तें, यदि कोई हो, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्राप्त किया जा सकता है, की सूचना देगा।

(2) जहां किसी चिह्न की दशा में जिसका रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख के प्रति निर्देश से) नवीकरण के लिए शोध्य हो जाता है वह चिह्न उस तारीख से पूर्व जिसकी नवीकरण होना नियम है छह मास के भीतर किसी भी समय रजिस्ट्रीकृत हो जाता है रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख के पश्चात् छह मास के भीतर नवीकरण फीस के संदाय पर नवीकृत किया जा सकेगा और जहां उस अवधि के भीतर नवीकरण फीस का संदाय नहीं किया जाता है वहां रजिस्ट्रार नियम 60 के अधीन रहते हुए उस चिह्न को रजिस्टर से हटा देगा।

(3) जहां ऐसे चिह्न की दशा में जिसका रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख के प्रति निर्देश से) नवीकरण के लिए शोध्य हो जाता है वह चिह्न नवीकरण की तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किया जाता है यहां रजिस्ट्रीकरण की वास्तविक तारीख के छह मास के भीतर नवीकरण फीस के संदाय पर रजिस्ट्रीकरण नवीकृत किया जा सकेगा और जहां उस अवधि

के भीतर नवीकरण फीस का संदाय नहीं किया जाता है वहां रजिस्ट्रार नियम 60 के अधीन रहते हुए उस चिह्न को रजिस्टर से हटा देगा।

(4) सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्ररूप व्या. चि.-आर में होगा और उसके साथ वह फीस होगी जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

59. रजिस्टर से व्यापार चिह्न हटाने का विज्ञापन- यदि व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान पर नवीकरण फीस नहीं दी गई है, तो रजिस्ट्रार रजिस्टर से व्यापार चिह्न को हटा सकेगा और तत्क्षण इस तथ्य को जनरल में विज्ञापित कर सकेगाः

परन्तु रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न को रजिस्टर से नहीं हटाएगा यदि अधिभार के संदाय के लिए कोई आवेदन धारा 25 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन प्ररूप व्या.चि.-आर में व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के अवसान से छह मास के भीतर कर दिया जाता है।

60. प्रत्यावर्तन और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण-रजिस्टर में व्यापार चिह्न का प्रत्यावर्तन और इसके रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का आवेदन धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन विहित फीस सहित प्ररूप व्या.चि-आर में व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के अवसान के एक वर्ष के भीतर किया जाएगा। रजिस्ट्रार ऐसे प्रत्यावर्तन और नवीकरण के लिए अनुरोध पर विचार करते समय ऐसे अन्य व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखेगा, जो प्रभावित है।

61. नवीकरण और प्रत्यावर्तन की नोटिस और विज्ञापन- रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण या प्रत्यावर्तन और नवीकरण पर, उक्त आशय की एक सूचना रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को भेजी जाएगी और नवीकरण या प्रत्यावर्तन और नवीकरण जरनल में विज्ञापित किया जाएगा।

अध्याय-4

मैड्रिड प्रोटोकाल के अधीन अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के माध्यम से व्यापार चिह्न के संरक्षण से संबंधित उपबंध

62. परिभाषाएं-(1) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;-

(क) "अनुच्छेद" से मैड्रिड प्रोटोकाल को निर्दिष्ट अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ख) "इलेक्ट्रानिक रूप" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 उपधारा (1) के खंड (द) में समनुदेशित है;

(2) अधिनियम के अध्याय 4क के अधीन अंतरराष्ट्रीय आवेदन या अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां किन्तु जो परिभाषित नहीं हैं का वही अर्थ होगा जो क्रमश: उनका मैड्रिड प्रोटोकाल या सामान्य विनियमों में है;

63. भाषा- कोई अंतरराष्ट्रीय आवेदन या उससे संबंधित अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को कोई संसूचना या अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप भारत को संरक्षण के लिए सलाह के माध्यम से विस्तार की अधिसूचना अंग्रेजी में होगी।

64. सूचना या नोटिसें आदि का जारी करना और उनके प्रत्युत्तर- धारा 36घ के अधीन अंतरराष्ट्रीय आवेदन और अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण जहां भारत को धारा 36ड़ के अधीन पदनामित किया गया है दोनों से संबंधित कोई सूचना या संसूचना रजिस्ट्रार द्वारा केवल इलैक्ट्रानिक रूप में जारी की जाएगी और उसका कोई प्रत्युत्तर भी केवल उसी रूप में अभिप्राप्त किया जाएगा।

65. अंतरराष्ट्रीय आवेदन जिनके संबंध में भारत मूल देश है- भारत से प्रारंभ होने वाले अंतरराष्ट्रीय आवेदन या सामान्य विनियमों के अनुसार उनसे संबंधित कोई संसूचना अंतरराष्ट्रीय व्यापार चिह्न आवेदन प्रणाली के माध्यम के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल की जाएगी।

66. अंतरराष्ट्रीय आवेदन, जिनके संबंध में भारत मूल देश है, का सत्यापन और प्रमाणन-(1) जहां अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषण के लिए धारा 36घ के अधीन अंतरराष्ट्रीय आवेदन फाइल किया जाता है वहां रजिस्ट्रार पहली अनुसूची की प्रविष्टि सं. 23 में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के अधीन रहते हुए अंतराष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा यथा उपलब्ध कराए गए अनुसार प्ररूप डड(2)ड़ में अंतर्वस्तु को प्रमाणित करेगा।

(2) जहां अंतरराष्ट्रीय आवेदन अपेक्षाओं को पूरा करता है, वहां रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय आवेदन में उस तारीख को जिसको आवेदन अभिप्राप्त किया गया था उपदर्शित करते हुए उसे प्रमाणित करेगा; और उक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अग्रेषित करेगा।

(3) जहां अंतरराष्ट्रीय आवेदन अपेक्षाओं को पूरा करता है, वहां रजिस्ट्रार उसे अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अग्रेषित नहीं करेगा और आवेदक से सूचना द्वारा उसमें यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने की अपेक्षा करेगा और उस सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे अनुपालना को पूरा करने के पश्चात् ही अंतरराष्ट्रीय आवेदन को अग्रेषित करेगा।

67. संभलाई (हैंडलिंग) फीस- रजिस्ट्रार को अंतरराष्ट्रीय आवेदन को प्रमाणित और अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए, पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रहस्तन फीस संदेय होगी और ऐसी फीस का संदाय आवेदन के साथ इलैक्ट्रानिक रूप से भारतीय रुपए में किया जाएगा।

68. अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण, जिनके संबंध में भारत को नामनिर्दिष्ट किया गया है, के अभिलेखों को रखने की रीति-(1) अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो से भारत को नामनिर्दिष्ट करने के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सलाह की प्राप्ति पर और ऐसे अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप संरक्षण विस्तार की अधिसूचना पर रजिस्ट्रार उसकी सभी विशिष्टियों को इलैक्ट्रानिक रूप से "अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियों का अभिलेख" नामक अभिलेख में दर्ज करेगा। अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो से जैसे और जब प्राप्त विशिष्टियों में किसी परिवर्तन को उक्त अभिलेख में दर्ज किया जाएगा।

(2) ऐसे अभिलेख में की गई कोई प्रविष्टि जहां तक वह भारत को नामनिर्दिष्ट पक्षकार के रूप में लागू होती है का वही प्रभाव होगा मानो कि वह रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार चिह्न के रजिस्टर में दर्ज की गई थी।

69. धारा 36 ड. के अधीन आवेदन की जांच- (1) नियम 68 में निर्दिष्ट सलाह की सधारणतया ऐसी सलाह की प्राप्ति से दो मास के भीतर जांच की जाएगी।

(2) जहां रजिस्ट्रार यह पाता है कि कोई चिह्न जो भारत में नामनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण की विषयवस्तु है का संरक्षण नहीं किया जा सकता है, तो वह मैड्रिड प्रोटोकाल के अनुच्छेद 5 के अधीन लागू इंकार की अवधि के अवसान से पूर्व अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अनंतिम इंकार से अधिसूचित करेगा।

(3) जहां संरक्षण से इंकार करने का कोई आधार नहीं है वहां रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 20 के अधीन अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विशिष्टियों को, साधारणतया सलाह की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर व्यापार चिह्न पत्र में, एक पृथक भाग में विज्ञापित करेगा।

(4) जहां अधिनियम की धारा 21 के अधीन कोई विरोध फाइल किया जाता है वहां रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को इस तथ्य को एक अनंतिम इंकार के रूप में प्रोटोकाल और सामान्य विनियमों के अनुसार विरोध के आधार से अधिसूचित करेगा।

(5) अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण का उस पर किसी विरोध की प्राप्ति पर व्यापार चिह्न नियम के नियम 41 से नियम 51 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार प्रसंस्करण किया जाएगा।

(6) जहां उपनियम (1) से उपनियम (5) के अधीन वर्णित प्रकिया को पूरा कर लिया गया है और रजिस्ट्रार ने सभी मालों और सेवाओं के लिए जिनके लिए संरक्षण का अनुरोध किया गया है, को चिह्न के संरक्षण से इंकार की पुष्टि करने का विनिश्चय कर लिया है, रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को इस प्रभाव का एक विवरण भेजेगा।

(7) जहां अनंतिम इंकार का पूर्णत: या भागत: प्रतिसंहृरण कर लिया गया है, रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को इस प्रभाव का एक विवरण कि अनंतिम इंकार का प्रतिसंहृरण कर लिया गया है (क) उन सभी मालों और सेवाओं के लिए चिह्न का संरक्षण प्रदान किया गया है जिनके लिए संरक्षण का अनुरोध किया गया था; या (ख) शर्तों या सीमाओं जिनके अधीन माल या सेवाओं की बाबत संरक्षण प्रदान किया गया है, को उपदर्शित करते हुए एक विवरण भेजेगा।

(8) जहां संरक्षण से इंकार करने का कोई आधार नहीं है वहां रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को इस प्रभाव से सूचित करेगा कि भारत में चिह्न को संरक्षण प्रदान कर दिया गया है।

(9) जहां भारत में किसी चिह्न के संरक्षण को प्रभावित करने के लिए और विनिश्चय है, रजिस्ट्रार इस प्रभाव का अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को एक विवरण भेजेगा।

70. संरक्षण का अविधिमान्यकरण- किसी अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के फलस्वरूप किसी संरक्षण का अधिनियम के अधीन भारत में विधिक कार्यवाहियों के फलस्वरूप प्रभाव समाप्त हो गया है, या उसमें परिवर्तन आ गया है, रजिस्ट्रार तदनुसार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अधिसूचित करेगा।

71. अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रभाव- जहां उद्गम कार्यालय के अनुरोध पर किसी अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है प्रोटोकाल के अनुच्छेद 9 के उपबंध अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण को जहां तक वह भारत में नामनिर्दिष्ट हुआ है नौ गुना लागू होंगे।

72. सामूहिक और प्रमाणन चिह्न- जहां कोई अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण भारत को सामूहिक चिह्न या प्रमाणन चिह्न के संबंध में नामनिर्दिष्ट करता है, ऐसे सामूहिक चिह्न या प्रमाणन चिह्न के शासित करने वाले विनियम प्रत्यक्षत: उस अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के धारक द्वारा रजिस्ट्रार को अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो की सलाह की तारीख से एक मास के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे।

73. अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण का प्रतिस्थापन- जहां कोई अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण भारत में धारा 36ड. की उपधारा (6) के अधीन धृत रजिस्ट्रीकरण को प्रतिस्थापित करता हुआ प्रतीत होता है, तो रजिस्ट्रार अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के धारक के अनुरोध पर अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण पर ध्यान देगा और धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में अपेक्षित प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात् रजिस्ट्रार सामान्य विनियमों के नियम 21 के अधीन तदनुसार अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो को अधिसूचित करेगा।

74. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए मैड्रिड प्रोटोकाल, सामान्य विनियम और प्रशासनिक अनुदेश भारत से आरंभ होने वाले अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में और अंतरराष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरणों जहां भारत को नामनिर्दिष्ट किया गया है, को लागू होंगे।

अध्याय-5
समनुदेशन और पारेषण

75. समनुदेशन और पारेषण की प्रविष्टि करने के लिए आवेदन- जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का हकदार समनुदेशन या पारेषण द्वारा बन जाता उस व्यक्ति के हक को रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का हक को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन प्ररूप व्या.चि.-पी किया जाता है।

76. आवेदन के साथ मामला-(1) नियम 75 के अधीन अपने हक के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप व्या.चि.-23 और व्या.चि.-24 पर अनुरोध के साथ आवेदन करते समय मूल दस्तावेज, मूल लिखत या विलेख, यथास्थिति सम्यक मुहर लगाते हुए दाखिल किया हो जिसमें व्यापार चिह्न के हक का हस्तांतरण और उस अनुरोध के समर्थन में कथन शामिल हो।

(2) साधारणतया रजिस्ट्रार नियम 75 के अधीन किए गए आवेदन का निपटान आवेदन करने की तारीख से तीन मास के भीतर करेगा और इससे आवेदक को संसूचित करेगा।

77. हक का सबूत- जब किसी प्रस्तुत कथन या दस्तावेज की सत्यता के बारे में तर्कपूर्ण संदेह हो, तो रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकरण व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति से अपने हक का ऐसा सबूत या अतिरिक्त सबूत देने के लिए कहेगा, जो रजिस्ट्रार को उपयुक्त लगता हो।

78. लिखतों का परिबध्द- यदि रजिस्ट्रार की यह राय है कि किसी व्यक्ति के हक की सिद्धि में पेश की गई कोई लिखत उचित या पर्याप्त मुद्रांक पर नहीं हैं, तो रजिस्ट्रार उसे परिबद्ध कर लेगा और उससे ऐसी रीति में बरतेगा जैसी कि भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अध्याय 4 में उपबंधित है।

79. भारत से बाहर धन के पारेषण के संबंध में समनुदेशन.- यदि भारत से बाहर धन के पारेषण का विनियमन करने वाली कोई विधि प्रवृत्त है तो जो व्यक्ति व्यापार चिह्न के लिए हकदार ऐसे पारेषण करने वाले समनुदेशन द्वारा हो जाता है उसके हक का रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रार ऐसा पारेषण करने के लिए उस प्राधिकारी की अनुज्ञा जो ऐसी विधि में उल्लिखित है, पेश किये जाने पर करने के सिवाय न करेगा।

80. व्यापार चिह्न का जो समनुदेशन उस कारबार के गुडविल बिना किया जाता है उसका विज्ञापन करने के वास्ते रजिस्ट्रार के निदेश के लिए आवेदन-(1) धारा 42 के अधीन निदेशों के लिए आवेदन प्ररूप व्या.चि.-पी में किया जायेगा और उसमें वह तारीख दी जायेगी जिसको समनुदेशन किया गया था। आवेदन में उस अवस्था में, जिसमें कि यह रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न है, रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियाँ दी जायेंगी और उस अवस्था में जिसमें कि वह अनरजिस्ट्रीकृत चिह्न के, जो कि उसके साथ समनुदिष्टि किया गया है, उपयोग सहित उसकी विशिष्टियाँ दी जायेंगी। रजिस्ट्रार कोई साक्ष्य या और जानकारी मांग सकेगा और यदि विभिन्न बातों के संबंध में उसका समाधान हो जाता है, तो वह समनुदेशन का विज्ञापन करने विषयक लिखित में निदेश देगा।

(2) जब तक किस रजिस्ट्रार का अनुमोदन धारा 41 के अधीन अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है और रजिस्ट्रार के अनुमोदन विषयक अधिसूचना को प्रकट करने वाला निर्देश आवेदन में नहीं दे दिया जाता, रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन पर विचार करने से इंकार उस मामले में कर सकेगा जिसके संबंध में वह धारा लागू है।

(3) उस कालावधि बढाने के लिए, जिसके अंदर यह आवेदन जो उपनियम (1) में वर्णित है, अनुरोध किया जायेगा यह अनुरोध प्ररूप व्या.चि.-पी में किया जाएगा।

81. गुडविल के बिना समनुदेशन के प्रविष्टि करने के लिए आवेदन- किन्हीं माल या सेवाओं के संबंध में व्यापार चिह्न के समनुदेशन संबंधी आवेदन जो नियम 75 के अधीन किया जाता है उसमें यह कथत होगा कि-

(क) क्या उस व्यापार चिह्न का उपयोग उन माल या सेवाओं में होने वाले किसी कारबार में किया जा चुका था या किया गया था, और

(ख) क्या समनुदेशन उस कारबार की गुडविल के संबंध में अन्यथा किया गया है,

और यदि दोनों परिस्थितियां विद्यमान है, तो समनुदेशन का विज्ञापन करने के लिए जो निर्देश नियम 80 के अधीन आवेदन करने पर प्राप्त किये गये हैं, उनकी एक प्रति और विज्ञापन की प्रतियों सहित सबूत या अन्यथा जैसी कि अपेक्षा रजिस्ट्रार करे, आवेदक व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में यह बात संदर्शित करने के लिए पेश कर देगा कि रजिस्ट्रार के निदेशों की पूर्ति की जा चुकी है और यदि रजिस्ट्रार का समाधान इस बात में नहीं होता है कि निदेशों की पूर्ति हो गई है, तो वह आवेदन के संबंध में कार्यवाही नहीं करेगा।

82. पृथक रजिस्ट्रीकरण- जहाँ कि नियम 75 के अधीन आवेदन के अनुसारण में और रजिस्ट्रीकरण के माल या सेवाओं के विभाजन और पृथक्करण या स्थानों अथवा बाजारों के विभाजन और पृथक्करण के फलस्वरूप विभिन्न व्यक्ति व्यापार चिह्न के तत्पश्चात् स्वत्वधारियों के रूप में एक ही रजिस्ट्रीकरण संख्या के अधीन पृथकत: रजिस्ट्रीकृत हो जाते हैं, तो उन विभिन्न व्यक्तियों के नामों में परिणामत: हुए पृथक रजिस्ट्रीकरणों में से प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण की बाबत इस अधिनियमके सभी प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वह पृथक रजिस्ट्रीकरण है।

83. कुछ समनुदेशनों और पारेषणों के लिए रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र या अनुमोदन- कोई व्यक्ति जो धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र या धारा 41 के अधीन उसके अनुमोदन की अधिसूचना प्राप्त करना चाहता है, वह अपने आवेदन के साथ मामले का कथन, जिसमें वे परिस्थितियाँ उपवर्णित हैं, प्ररूप व्या. चि.-पी में दो प्रतियों में और समनुदेशन या पारेषण को प्रभावित करने वाली कोई लिखत या प्रस्थापित लिखत भी रजिस्ट्रार को भेजेगा। रजिस्ट्रार कोई साक्ष्य या और जानकारी, जिसे वह आवश्यक समझता है, मांग सकेगा और मामले का कथन उस दशा में जिसमें कि उसमें सभी सुसंगत परिस्थितियों को सम्मिलित करने की अपेक्षा की गई है, संशोधित किया जायेगा ओर यदि यह अपेक्षा की जाये, तो उसे शपथपत्र द्वारा सत्यापित करेगा। रजिस्ट्रार आवेदक को उस दशा में, जिसमें कि उससे ऐसी अपेक्षा की गई है और किसी अन्य व्यक्ति की, जिसकी बाबत रजिस्ट्रार का यह विचार है कि वह अन्तरण में, हित रखता है, सुनने के पश्चात् मामले पर विचार करेगा और यथास्थिति उसका प्रमाण-पत्र या उस मामले के अनुमोदन या अननुमोदन की लिखत में अधिसूचना आवेदक को देगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को भी इतिला तदनुसार देगा। जहाँ कि मामले का कथन संशोधित किया जाता है, वहाँ उसके अंतिम रूप वाली तीन प्रतियाँ व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में पेश कर दी जाएगी। रजिस्ट्रार मामले के कथन के अंतिम रूप वाली एक प्रति प्रमाणपत्र या अधिसूचना में अपनी मुद्रा लगाकर जोड़ देंगे।

84. समनुदेशन की विशिष्टियों का रजिस्टर में प्रविष्ट करना- जहां रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन किसी व्यापार चिह्न के समनुदेशन को अनुज्ञात कर चुका है वहां रजिस्टर में समनुदेशन को निम्नलिखित विशिष्टियों की प्रविष्टि की जायेगी, अर्थात्:-

(i) समनुदेशितों का नाम और पता;

(ii) समनुदेशन की तारीख;

(iii) जहां समनुदेशन उस चिह्न में किसी अधिकार की बाबत है वहां समनुदेशित अधिकार का वर्णन;

(iv) वह आधार जिसके अधीन समनुदेशन किया गया है; और

(v) वह तारीख जिसको रजिस्टर में प्रविष्टि की जाती है।

85. धारा 46 के अधीन किसी कंपनी के लिए समनुदेशन का रजिस्ट्रीकरण- धारा 46 की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए वह कालावधि जिसमें किसी कंपनी को नियम 75 के अधीन किए गए आवेदन पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के पश्चातवर्ती स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा, व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के जनरल में विज्ञापन की तारीख से छह मास होगी या छह मास के अनधिक इतनी और कालावधि होगी जितनी कि रजिस्ट्रार उस कालावधि के पूर्व या दौरान जितनी कालावधि तक कि यह वृद्धि समनुज्ञात की जा सकती है, किसी समय यथास्थिति हक के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा किए गए प्ररूप व्या. चि.-पी में आवेदन पर अनुज्ञात करें।

अध्याय-6
रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता

86. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन- (1) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए जो आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाता है वह उस व्यक्ति और व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा संयुक्तत: प्ररूप व्या. चि.-यू में किया जायेगा और उसके साथ होगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रस्तावित उपयोक्ता ऐसे अन्य दस्तावेजें भी पेश और फाइल करेंगे और ऐसा अपर साक्ष्य और जानकारी भी देंगे जैसे कि रजिस्ट्रार उस निमित्त अपेक्षित करे।

(3) जब तक कि कोई आवेदन धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट करार की तारीख से छह मास के भीतर फाइल नहीं किया जाए, वह ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(4) जहां रजिस्ट्रकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए एक से अधिक आवेदन उसी करार के अंतर्गत आने वाले व्यापार चिह्नों की बाबत उसी रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और उसी प्रस्थापित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा की जाती है वहां धारा 49 की उप धारा (1) में वर्णित दस्तावेज किसी एक आवेदन के साथ फाइल किए जा सकेंगे और अन्य आवेदन या आवेदनों में दिए गए ऐसे दस्तावेजों के प्रति निर्देश किया जाएगा।

87. रजिस्ट्रार द्वारा विचार- धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदन और उसके साथ के दस्तावेज अधिनियम और नियमों के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करते हैं तो उन मालों या सेवाओं की बाबत जिसके संबंध में वह इस प्रकार संतुष्ट हो जाता है, प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

88. आवेदन के इंकार के पूर्व सुनवाई या प्रतिबंधित करना - (1) रजिस्ट्रार संबद्ध पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे शर्त (शर्तों) के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह उपयुक्त समझे, आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा और उस आदेश की सूचना लिखित रूप में पक्षकारों को देगा।

89. रजिस्टर में प्रविष्टि- (1) जहां रजिस्ट्रार धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन को प्रतिग्रहण करता है वहां वह रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकृत करेगा और उसे जरनल में प्रकाशित करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता विषयक जो प्रविष्टि रजिस्टर में है उसमें वह तारीख दी गई होगी जिसको रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया था और उस तारीख की बाबत यह समझा जायेगा कि वह रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में उस व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण की वह तारीख है जो कि प्रविष्टि में वर्णित है धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iv) में वर्णित विशिष्टियों और कथनों के अतिरिक्त रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के नाम का वर्णन और उसके कारबार के भारत में स्थान का और यदि वह भारत में कारबार नहीं करता है, तो भारत में उसकी तामील के लिए उसका पता भी उस प्रविष्टि में दिया होगा।

90. रजिस्ट्रीकरण से भारत के बाहर धन का पारेषण करने के लिए प्राधिकार विविक्षित नहीं है- किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण से उस करार का अनुमोदन विविक्षित नहीं समझा जायेगा जहां तक उसका संबंध किसी धन के पारेषण से है जो भारत से बाहर किसी स्थान के लिए उक्त व्यापार चिह्न के उपयोग के लिए प्रतिफल के रूप में हो।

91. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण की संसूचना- रजिस्ट्रीकरण उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण की लिखित सूचना रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी की रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को और प्रत्येक अन्य ऐसे रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को जिसका नाम उसी व्यापार चिह्न के बारे में प्रविष्ट किया गया है, भेजेगा और रजिस्ट्रार में ऐसी प्रविष्टि के तीन मास के भीतर जनरल में भी उसी अंत:स्थापित किया जाएगा।

92. प्रविष्टि में परिवर्तन कराने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का आवेदन- (1) धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन यथास्थिति प्ररूप व्या. चि.-यू में होगा।

93. रजिस्ट्रीकरण उपयोक्ता के रजिस्ट्रकरण का रद्दकरण- (1) धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (ख) से खंड (घ) तक के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के लिए आवेदन यथास्थिति प्ररूप व्या. चि.-यू या प्ररूप व्या. चि.-यू में होगा और जिन आधारों पर यह किया गया है उसका कथन इसके साथ होगा।

(2) धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (ख) के पैरा (iv) के अनुसार एक कालावधि के लिए रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्ररकरण की दशा मंे रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि को उस कालावधि के अंत पर रद्द कर देगा जहां कि कुछ या सब माल या सेवाएं उनमें से छोड़ दी जाती है जिनके बारे में व्यापार चिह्न कर रजिस्ट्रीकरण हुआ है वहां रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न के उन रजिस्ट्रीकृत उपयोगों के वृत्तों से, जिनमें कि वे समाविष्ट हैं, उन्हें छोड़ देगा। इस उपनियम के अधीन जिन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं का अनुज्ञात उपयोग उससे प्रभावित होता है उनका और उसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारियों का प्रत्येक छोड़ा जाना या अपखंडन रजिस्ट्रार अधिसूचित करेगा।

94. रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की बाबत जानकारी मांगने की रजिस्ट्रार की शक्ति-(1) रजिस्ट्रार, किसी भी समय लिखित में सूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा वह उसे 51 की उपधारा (2) के अधीन जानकारी प्रस्तुत करे और उस धारा की उपधारा (2) के अनुसार कार्रवाई करें।

95. प्रविष्टी को परिवर्तित करने या रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के आवेदन के संबंध में प्रक्रिया-

(1) रजिस्ट्रार, व्यापार रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को (जो किसी भी दशा में आवेदक नहीं है) धारा 50 के अधीन लिखित में आवेदनों को अधिसूचित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित कोई व्यक्ति को कार्यवाहियों में भाग लेने का आशय रखता है वह रजिस्ट्रार को उस आशय की सूचना ऐसी अधिसूचना की प्राप्ति के एक मास के भीतर प्ररूप व्या.चि.-यू में देगा और उसके साथ अपने भाग लेने के आधारों का कथन भेजेगा। तदुपरि रजिस्ट्रार ऐसी सूचना और कथन की प्रतियों को तामील अन्य पक्षकार, अर्थात् आवेदक पर रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी पर, उस रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता पर, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रश्नास्पद है कार्यवाही को विषयवस्तु है और अन्य किसी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या अनुज्ञाप्राप्त उपयोक्ता जो भाग लेता है, करेगा या करायेगा।

(3) धारा 50 के अधीन किए गए किसी आवेदन की दशा में आवेदन और उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित कोई व्यक्ति ऐसे समय या समयों के भीतर जैसा या जैसे कि रजिस्ट्रार नियत करें, अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और रजिस्ट्रार पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् आवेदन को प्रतिग्रहीत कर सकेगा या नामंजूर कर सकेगा या ऐसी किन्हीं शर्तों पर संशोधन, या रूपभेदों सहित या मर्यादाओं के अंतर्गत उसे प्रतिग्रहीत कर सकेगा जिन्हें यह अधिसूचित करना ठीक समझता है और तदनुसार वह पक्षकारों को लिखित में इत्तिला देगा।

(4) धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन करने के लिए या रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण धारा 50 की उपधारा (1) के खंड (ग) की मद (i) से (iv) तक में वर्णित आधारों में से किसी पर किए गए आवेदन पर रजिस्ट्रार प्ररूप व्या. चि.-यू में की किसी सूचना और फाइल किए गए मामले के कथन सहित विचार करेगा और आवेदन का निपटारा करेगा और तदनुसार पक्षकारों को लिखित इत्तिला भी देगा।

96. रजिस्ट्रीकरण उपयोक्ता आवेदन- धारा 58 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा या प्राधिकृत उपयोक्ता द्वारा उसकी ओर से विधिवत प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्ररूप व्या. चि.-पी में दिया जायेगा और ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा रजिस्ट्रार कर सकेगा जैसा कि उन परिस्थितियों में ठीक समझता है जिनमें आवेदन किया गया है।

अध्याय-7

रजिस्टर का परिशोधन तथा संशोधन, रजिस्टर का परिवर्तन या परिशोधन

97. व्यापार चिह्न में परिशोधन या उसे रजिस्टर से हटाने के लिए आवेदन- रजिस्टर में व्यापार चिह्न से संबोधित किसी प्रविष्टि के करने, विलुप्त करने या परिवर्तन करने के लिए धारा 47, 57, 68, या 77 के अधीन जो आवेदन रजिस्ट्रार को किया जाता है वह यथास्थिति प्ररूप व्या. चि.-ओ में किया जायेगा और आवेदक के हित का स्वरूप, वे तथ्य जिन पर उसका मामला धारित है, और वह अनुतोष जिसे वह चाहता है, को पूर्णतया उपवर्णित करने वाला एक कथन उसके साथ होगा। जहां कि आवेदन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कि प्रश्नास्पद व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी नहीं है, वहां वह आवेदन और पूर्वोक्त कथन व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में दिया जाएगा। उस अवस्था में, जिसमें कि रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है ऐसे आवेदन ओर कथन के साथ उनकी उतनी अतिरिक्त प्रतियां होंगी जितनी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है। प्रत्येक आवेदन और कथन की एक-एक प्रति रजिस्ट्रार द्वारा एक मास के भीतर रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिसके बारे में रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता हे कि उसका व्यापार चिह्न में हित है, साधारणत: एक मास के भीतर भेजेगा। आवेदन उसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जो विरोध की सूचना के सत्यापन के लिए नियम 43 के उपनियम (ग) के खंड (i) के अधीन विहित है।

98. अतिरिक्त प्रक्रिया -नियम- 97 में वर्णित आवेदन की प्रति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा प्राप्ति से दो मास के भीतर या कुल मिलाकर एक मास में अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर वह रजिस्ट्रार को प्ररूप व्या.चि.-ओ में उन आधारों का एक प्रतिकथन भेजेगा जिस पर आवेदन के बारे में प्रति विरोध किया गया है और यदि वह ऐसा करता है कि जो रजिस्ट्रार प्रतिकथन की एक प्रति की तामील आवेदन करने वाले व्यक्ति पर उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर करेगा। नियम 97 में उल्लिखित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर यदि कोई प्रतिकथन फाइल नहीं किया जाता तो संशोधन हेतु आवेदक नियम 45(1) के प्रावधानों के तहत संशोधन हेतु अपने आवेदन के समर्थन में साक्ष्य फाइल करेगा। नियम 46 से नियम 51 तक के उपबंध इस आवेदन विषयक और कार्यवाहियों के संबंध में उसके पश्चात् यथा-परिवर्तित रूप में लागू हो।

99. पक्षकारों द्वारा मध्यक्षेप-रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी से भिन्न कोई व्यक्ति जो व्यापार चिह्न के संबंध में अपने हित, जिसके बारे में नियम 99 के अधीन आवेदन किया गया है, वह मध्यक्षेप करने के लिए इजाजत के लिए अपने हित का स्वरूप का कथन करके प्ररूप व्या. चि.-ओ में आवेदन कर सकेगा और रजिस्ट्रार संबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् (यदि ऐसा अपेक्षित हो) ऐसी शर्तों

और निबंधनों पर दे जैसी कि वह लागत की सुरक्षा के लिए अधिरोपित करना ठीक समझे ऐसी इजाजत देने से इंकार कर सकेगा या ऐसी इजाजत दे सकेगा।

100. रजिस्ट्रार द्वारा स्वप्रेरणा से रजिस्टर का परिशोधन-(1) रजिस्ट्रार ऐसी सूचना की धारा 57 की उपधारा (4) के अधीन देनी अपेक्षित है, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता को, यदि कोई हो, और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी बाबत यह प्रतीत होता है कि व्यापार चिह्न में उसका कोई हित है, लिखित रूप में भेजी जाएगी और इसमें उन आधारों का कथन करेगा जिन पर रजिस्ट्रार रजिस्टर का परिशोधन करने की प्रस्थापना करता है और उसमें ऐसी सूचना की तारीख से अन्यून एक मास का वह समय भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसके भीतर सुनवाई के लिए आवेदन किया जाएगा:

परंतु की रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को कोई सूचना न भेजी गयी हो, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ने लिखित रूप में रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण हेतु अनुरोध या सहमति दी हो; और तदनुरूप रजिस्टर संशोधित किया जाएगा।

(2) जब कि पूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार अधिसूचित किया गया है, रजिस्ट्रार को उन तथ्यों को देते हुए, जिन पर वह सूचना में कथित आधारों को पूरा करने के लिए भरोसा करता है, लिखित में कथन नहीं भेजता है, या सुनवाई किए जाने के लिए आवेदन नहीं करता है, तो यह समझा जाएगा कि वह कार्यवाहियों में भाग नहीं लेना चाहता और रजिस्ट्रार तदनुसार कार्रवाई कर सकेगा।

(3) यदि रजिस्ट्रार रजिस्टर का परिशोधन करने या विनिश्चय करता है तो वह अपना विनिश्चय रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञात उपयोक्ता को यदि कोई हो लिखित रूप में संसूचित करेगा।

रजिस्टर में परिवर्तन या शुद्धियां

101. रजिस्टर में पते का परिवर्तन-(1) व्यापार चिह्न का वह रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता, जिसके यथास्थिति कारबार का भारत में मुख्य स्थान का या स्वदेश का पता या भारत में तामील का पता, यथास्थिति इस भांति परिवर्तित हो गया है, जिससे कि रजिस्टर में की प्रविष्टि अशुद्ध हो गई है, रजिस्ट्रार से यह निवेदन प्ररूप व्या. चि.-पी में तत्क्षण करेगा कि रजिस्टर में पते को समुचित रूप से बदल दे और यदि रजिस्ट्रार का समाधान इस बाबत हो जाता है तो वह रजिस्टर में तदनुसार परिवर्तित कर देगा।

(2) व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत अथवा अनुज्ञात उपयोक्ता जिसके कारबार का भारत में मुख्य स्थान का पता जिसके स्वदेश का पता या भारत में जिसकी तामील का पता लोक प्राधिकारी द्वारा ऐसे बदल दिया गया है कि परिवर्तित पते से भी वही परिसर अभिहित है जो कि रजिस्टर में प्रविष्ट है, रजिस्ट्रार से व्या. चि.-पी में पूर्वोक्त निवेदन करेगा और यदि वह ऐसा करता है, तो वह उसके साथ उक्त प्राधिकारी द्वारा दिए गए परिवर्तन का प्रमाणपत्र देगा। यदि रजिस्ट्रार का समाधान मामले में तथ्यों के संबंध में हो जाता है, तो वह रजिस्टर में तदनुसार परिवर्तन करेगा, किंतु प्ररूपों पर दी जाने वाली कोई फीस नियम 10 के उपनियम (2) या नियम 11 के उपनियम (2) के उपबंधों के होते हुए भी नहीं मांगेगा।

(3) (i) जहां कि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी उपनियम (1), (2) के अधीन निवेदन करता है वहां यदि कोई रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता है या है तो वह निवेदन कि प्रति तामील उस या उन पर करेगा और तदनुसार रजिस्ट्रार को इत्तिला देगा।

(ii) जहां कि पूर्वोक्त निवेदन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता द्वारा किया जाता है वहां वह निवेदन की प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी और प्रत्येक अन्य रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ताओं पर यदि कोई हो, करेगा और रजिस्ट्रार को इत्तिला देगा कि उससे यह बात कर दी है।

(4) व्यक्ति को जो पता व्यापार चिह्न के एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के भारत में तामील के लिए पते के रूप में लिखा हुआ है, उसे परिवर्तित कराने के मामले में रजिस्ट्रार प्ररूप व्या. चि.- पी में जिसे मामले के लिए उपयोज्य करने के लिए संशोधित कर लिया गया है उस व्यक्ति का वह आवेदन जो उस पते की बाबत है यह सिद्ध किए जाने पर कि उक्त पता आवेदक का पता है और उस दशा में जिसमें कि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि वैसा करना ठीक होगा, आवेदक के पते की प्रविष्टियों में समुचित परिवर्तन उन विभिन्न रजिस्ट्ररकरणों में, जिनकी विशिष्टियां प्ररूप में दी जायेगी उसे तामील के पते के रूप में करने के वास्ते ले सकेगा और तदनुसार प्रविष्टियों में परिवर्तन कर सकेगा।

(5) इस नियम के अधीन प्ररूप व्या. चि.-पी किए जाने वाले आवेदन यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता अथवा ऐसे आवेदन के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

(6) जहां कि धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन शुद्धि तबदीली रद्दकरण या माल या सेवाओं को काट देने के प्रयोजन से या ज्ञापन की प्रविष्टि कराने की दृष्टि से रजिस्टर में परिवर्तन करने के लिए किया गया है, वहां रजिस्ट्रार आवेदक से

अपेक्षा कर सकेगा कि आवेदक शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा ऐसा साक्ष्य जैसा कि रजिस्ट्रार ठीक समझता है उन परिस्थितियों के बारे में जिन परिस्थितियों में आवेदन किया गया है। ऐसा आवेदन प्ररूप व्या. चि.-पी में किया जाएगा और उसकी एक प्रति की तामील प्रश्नास्पद व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के अधीन रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता या उपयोक्ताओं पर और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति पर जिसकी बाबत रजिस्टर से यह प्रतीत होता है कि वह व्यापार चिह्न में हित रखने वाला है, आवेदक द्वारा की जाएगी।

102. रजिस्टर व्यापार चिह्न में परिवर्तन- जहां कि कोई व्यक्ति धारा 59 के अधीन अपने रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का परिवर्तन या परिवर्तन करने की इजाजत के लिए आवेदन करता है, वहां वह अपना आवेदन प्ररूप व्या.चि.-पी में लिखित रूप में करेगा और उस चिह्न की दो प्रतियां देगा जैसा कि वह ऐसा परिवर्धित किए जाने या परिवर्तित किए जाने के पश्चात् प्रतीत होगा। आवेदन और इस भांति संशोधित या परिवर्तित चिह्न की प्रति तामील आवेदक प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता पर, यदि कोई से, कराएगा।

103. निर्णय आदि के पूर्व विज्ञापन- (1) रजिस्ट्रार नियम 102 के अधीन आवेदन पर विचार करेगा और यदि उसे यह बात समीचीत प्रतीत हो, तो आवेदन पर निर्णय करने के पूर्व उसे जरनलमें विज्ञापित कराएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन विज्ञापन की तारीख से तीन मास के भीतर कोई व्यक्ति आवेदन का विरोध करने की सूचना प्ररूप व्या.चि.-पी में दे सकेगा। सूचना की एक प्रति रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को और प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञात उपयोक्ता को यदि कोई हो, ततक्षण भेजेगा और रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी अपने को ऐसी प्रतियों के मिलने से दो मास के भीतर उन आधारों वाला एक प्रतिकथन जिन पर विरोध का प्रतिविरोध किया गया है, रजिस्ट्रार को प्ररूप व्या. चि.-ओ में भेजेगा। यदि रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ऐसा प्रतिकथन भेजता है तो रजिस्ट्रार उसकी एक प्रति तामील विरोध की सूचना देने वाले व्यक्ति पर एक मास के भीतर करायेगा और विरोध पर होने वाली और कार्यवाहियों के संबंध में नियम 45 से लेकर नियम 51 तक के उपबंध यथापरिवर्तित रूप में लागू होंगेः

परंतु कि जहाँ रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी ऐसा प्रतिकथन निर्धारित समय के भीतर देने में असफल रहता है तो उस आवेदन को परित्यक्त हुआ सा मान लिया जाएगा।

(3) यदि उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विरोध नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार आवेदक को उस दशा में सुनने के पश्चात् जिसमें कि आवेदक ऐसी इच्छा प्रकट करता है, आवेदक को मंजूर या नामंजूर कर सकेगा और आवेदक को अपने विनिश्चय को लिखित संसचूना देगा।

104. विनिश्चय, विज्ञापन, अधिसूचना- यदि रजिस्ट्रार आवेदन को मंजूर करने का विनिश्चय करता है तो यह रजिस्टर में चिह्न परिवर्तित करेगा और जनरल में एक अधिसूचना प्रकाशित कर चिह्न परिवर्तित कर दिया गया है।

105. विद्यमान रजिस्ट्रीकरण की बाबत माल का पुनर्वर्गीकरण-(1) माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (एनआईसीई वर्गीकरण) का संशोधन होने पर, व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी प्ररूप व्या. चि.-पी में आवेदन रजिस्ट्रार से अपने व्यापार चिह्न विषयक विनिर्देश का संपरिवर्तन करने के वास्ते कर सकेगा कि वह विनिर्देश संशोधित वर्गीकरण के अनुरूप हो जाए।

(2) रजिस्ट्रार माल और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (एनआईसीई वर्गीकरण) के अनुसरण में माल और सेवाओं के विवरण या वर्गीकरण यथास्थिति में संशोधन करेगा।

(3) यदि अनुमोदित हो तो माल और सेवाओं का वर्णन या वर्गीकरण में संशोधन जरनल में विज्ञापित किया जाएगा और उसके बाद उस रजिस्ट्रीकरण से संबंधित रजिस्ट्री की प्रविष्टि तदनुरूप संशोधित की जाएगी।

अध्याय-8
प्रकीर्ण

106. भौगोलिक उपदर्शन का विरोध करने वाले व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण से इंकार करना और उसका अविधिमान्यताकरण- रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न से इंकार करने या उसको अविधिमान्य करने के लिए अनुरोध हितबद्ध पक्षकार द्वारा रजिस्ट्रार को मामले के कथन के साथ और एक शपथपत्र के साथ, व्या.चि.-सी में किया जा सकेगा जिसमें-

(क) ऐसा माल या मालों के वर्ग या वर्गों की बाबत ऐसा भौगोलिक उपदर्शन अंतर्विष्ट या समाविष्ट होगा, जो किसी देश के राज्यक्षेत्र में या उस देश के किसी प्रदेश या स्थान में उत्पादित नहीं होते हैं, जिसमें ऐसे भौगोलिक उपदर्शन उपदर्शित होते हैं, यदि ऐसे मालों के लिए व्यापार चिह्न में ऐसे भौगोलिक उपदर्शन का उपयोग ऐसी प्रकृति का है, जो व्यक्तियों की वास्तविक उत्पादन के स्थान के बारे में ऐसे माल या माल के वर्ग या वर्गों के बारे में संदेह पैदा करता है या भ्रमित करता है।

(ख) माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित माल या माल के वर्ग या वर्गों की पहचान करने वाले भौगोलिक उपदर्शन अंतर्विष्ट या समाविष्ट हैं।

107. धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन एकल आवेदन- (1) जहां माल या सेवाओं की विभिन्न वर्गों के लिए किसी व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन किया जाता है वहां उसमें अंतर्विष्ट माल या सेवाओं के विनिर्देश में न्यूनतम संख्या के साथ प्रारम्भ होने वाले लगातार संख्यांत्मक क्रम में उन वर्गों को और माल या सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के अधीन सूची जो उस वर्ग के लिए समुचित हो उपवर्णित होगी।

(2) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए आवेदनों को जब विज्ञापित करने के लिए आदेश दिया जाता है तब जनरल के पृथक खंड में उनको प्रकाशित किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रार धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन किसी ऐसे आवेदन की बाबत जिस पर रजिस्ट्रीकरण के लिए कार्यवाही की जा चुकी है, रजिस्ट्रीकरण का एकल प्रमाण पत्र जारी करेगा।

108. प्रभागीय आवेदन- (1) जहां किसी एकल लंबित आवेदन के विभाजन के लिए धारा 22 के परन्तुक के अधीन प्ररूप व्या. चि.-एम में कोई आवेदन किया जाता है, रजिस्ट्रार प्रभागीय फीस के भुगतान पर उस आवेदन को दो या अधिक पृथक आवेदनों में विभाजित करेगा।

(2) आवेदन के विभाजन के मामले में रजिस्ट्रार प्रत्येक प्रभागीय आवेदन को रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रारंभिक आवेदन के समान फाइल करने की तारीख के साथ पृथक आवेदन मानेगा।

(3) प्रभाग के समय पर मूल आवेदन के संबंध में आवेदक द्वारा किसी कार्य के लिए कोई समय सीमा प्रभाग की तारीख का विचार किए बिना विभाजन द्वारा सृजित प्रत्येक नए पृथक आवेदन को लागू होगी।

(4) आवेदन के विभाजन के मामले में जहां रजिस्ट्रार यथास्थिति अतिरिक्त पृथक नए क्रम संख्या या संख्यांक समनुदेशित करेगा और उसमें मूल आवेदन के साथ प्रतिनिर्देश करेगा।

(5) संदेह के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जब किसी एकल आवेदन को विभाजित किया जाता है कोई नया रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाता है। इसके विपरीत जो आवेदन पहले से ही फाइल किया जाता है उसको पृथक-पृथक फाइलों में केवल पृथक किया जाता है या विभाजित किया जाता है।

109. समय का विस्तार-(1) धारा 131 के अधीन ऐसे समय के बढ़ाने के लिए जो अधिनियम में अभिव्यक्ति रूपेण उपबंधित या नियम 86 या नियम 87 के उपनियम (3) द्वारा विहित समय नहीं है, या जो ऐसा समय नहीं है जिसके विस्तार के लिए नियमों में उपबंध किया गया है) आवेदन प्ररूप व्या. चि.-एम में किया जायेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन किए गए आवदन पर रजिस्ट्रार, यदि समाधान होता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिससे आवेदित समय विस्तार न्यायसंगत है, तो वह उस नियम के उपबंध के अधीन जहाँ अधिकतम समय विस्तार निर्धारित है और ऐसी शर्तों के अधीन जिसे अधिरोपित करना वह उचित समझता है, समय विस्तार कर सकता है और तदनुरूप पक्षकारों को सूचित कर सकता है और विस्तार का अनुमोदन किया जा सकता है भले ही कार्य करने या उस कार्यवाही को करने का समय पहले ही समाप्त हो चुका है जिसके लिए आवेदन किया गया है।

110. रजिस्ट्रार की वैवेकिक शक्ति का प्रयोग- कोई व्यक्ति जिसने रजिस्ट्रार की वैवेकिक या अन्य शक्ति के प्रयोग के लिए आवेदन किया है और धारा 128 के तहत सुनवाई की अपेक्षा रखता है, वह रजिस्ट्रार को अपने सुने जाने के आशय की लिखित सूचना, इस मामले का समाधान करने के पहले ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रार द्वारा दिए नोटिस की तारीख से एक महीने के भीतर देगा। इस सूचना, यदि कोई हो, के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार सुनवाई की तारीख निश्चित करेगा जो 21 दिनों से कम का न हो और इसकी सूचना देगा।

111. विनिश्चय की संसूचना- अधिनियम या नियमों द्वारा जो कोई वैवेकिक शक्ति रजिस्ट्रार को दी गई है उसके प्रयोग में किया गया रजिस्ट्रार का विनिश्चय उस व्यक्ति को सूचित किया जाएगा जिस पर प्रभाव पड़ता है।

112. प्रक्रिया विषयक अनियमिताओं का संशोधन और शुध्दिकरण-(1) व्यापार चिह्न के किसी दस्तावेज में या रेखाचित्र या अन्य समाकृति में संशोधन किया जा सकेगा और प्रक्रिया में हुई ऐसी किसी अनियमितता का, जो रजिस्ट्रार की यह राय में किसी व्यक्ति के हितों को हानि पहुंचाए बिना दूर की जा सकेगी।

(2) रजिस्ट्रार किसी आवेदन या व्यापार चिह्न की समाकृति को या किसी अन्य दस्तावेज को अधिनियम को यथारूप अपेक्षाओं के अनुरूप करने के लिए उसे संशोधित करने की या परिवर्धित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

113. अन्यथा विहित न किए गए निदेश- जहां कि रजिस्ट्रार की यह राय है कि अधिनियम या नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के उचित अभियोजन या उनकी समाप्ति के लिए यह बात किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह ऐसा कार्य करे, ऐसी दस्तावेज फाइल करे या ऐसा साक्ष्य पेश करे जिसके विषय में कोई उपबंध अधिनियम या नियमों में नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रार लिखित सूचना द्वारा उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कार्य करे, दस्तावेज फाइल करे या साक्ष्य पेश करे।

114. धारा 115(4) के अधीन रजिस्ट्रार की राय-(1) जहां धारा 115 की उपधारा (4) के परन्तुक के अधीन उसकी राय के लिए रजिस्ट्रार को कोई मामला निर्देशित कर दिया गया है वहां ऐसी राय को निर्देशित करने वाले प्राधिकारी को ऐसी लिखित संसूचना की प्राप्ति के कार्यकरण के सात दिन के भीतर सील बंद लिफाफे में अग्रेषित कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रार इस प्रकार निर्देशित मामले में पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

(2) इस नियम के अधीन राय, रजिस्ट्रार या अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दी जाएगी और अभिहित प्राधिकारी का नाम जनरल में प्रकाशित किया जाएगा।

115. सुनवाई-(1) अधिनियम और नियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में सुनवाई, यदि कोई हो, अधिसूचित तारीख और समय और उपयुक्त कार्यालय के भौगोलिक क्षेत्राधिकार के भीतर उस स्थान पर आयोजित की जाएगी जैसा रजिस्ट्रार को उपयुक्त लगे:

परन्तु कि वह सुनवाई वीडियो- कनफेरेंसिंग या किसी अन्य श्रवण-दृश्य संचार यंत्र के माध्यम से भी की जा सकती है।

स्पष्टीकरण– *इन नियम के लिए "संचार युक्ति " अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 की 2 की धारा 2 की उप धारा (ii) के खंड (जक) में समनुदेशित है।*

(2) रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाले जिस पदाधिकारी ने अधिनियम या नियमों के अधीन किसी मामले को सुन लिया है और उस पर आदेश बाद में देने के लिए उसे अपने पास रख लिया है, जहां कि उसकी बदली एक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय से दूसरी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को हो जाती है या उस पर आदेश देने या विनिश्चय करने से पूर्व वह दूसरी नियुक्ति पर वापिस चला जाता है वहां यदि रजिस्ट्रार ऐसा निदेश देता है तो वह वैसे ही आदेश दे सकेगा या विनिश्चय कर सकेगा जैसे कि वह उस अवस्था में देता या करता जिसमें कि वह उस रजिस्ट्रीकरण कार्यालय पदाधिकारी बना रहता जहां कि मामले कि सुनवाई हुई थी।

रजिस्ट्रार द्वारा खर्चों का दिलवाना

116. जिन मामलों में प्रतिविरोध नहीं किया गया है, उनमें खर्च- (1) जहाँ विरोध की सूचना दाखिल करने से पहले विरोधकर्ता द्वारा आवेदक को युक्तिसंगत नोटिस दिया गया है और आवेदक विरोध का प्रतिविरोध करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार चौथी अनुसूची में यथा निर्दिष्ट लागत अधिरोपित कर सकता है।

(2) जहाँ विरोध फाइल किया गया हो और आवेदक द्वारा प्रति कथन फाइल करने के बाद विरोधकर्ता कार्यवाही का प्रतिविरोध करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार चौथी अनुसूची में यथा निर्दिष्ट लागत अधिरोपित कर सकता है।

117. नियम 119 का अपवाद- नियम 116 में किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची की प्रविष्टयाँ 10, और 11 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस और कार्यवाही में दिए गए शपथपत्रों पर लगे और चिपकाए गए सभी मुद्रांकों लेखें हुआ खर्चा जयाज के अनुसार होगा।

118. खर्चों का मापमान- चौथी अनुसूची में उसके लिए अनुज्ञेय रकम से अनधिक ऐसे खर्चे रजिस्ट्रार, अपने समक्ष वाली सभी कार्यवाहियों में उस अवस्था के सिवाय जिसमें कि अधिनियम द्वारा अन्यथा अभिव्यक्त रूपेण उपबंधित है नियम 116 और 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए दिलवाएगा जिसे वह मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करके युक्तियुक्त समझता है।

रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चय का पुनर्विलोकन

119. रजिस्ट्रार के विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन- रजिस्ट्रार के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए धारा 127 के उप खण्ड (ग) के अधीन उससे आवेदन ऐसे विनिश्चय की तारीख से एक मास के अंदर या तत्पश्चात एक मास से अनधिक इतनी अपर कालावधि के अंदर, जितनी कि रजिस्ट्रार अपने से की गई प्रार्थना पर समनुज्ञात करे, प्ररूप व्या. चि.-एम में दिया जायेगा, और उन आधारों वाला, जिन पर पुनर्विलोकन चाहा गया है, एक कथन उसके साथ होगा। जहां कि प्रश्नास्पद विनिश्चय आवेदक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से भी समपृक्त है, वहां ऐसे आवेदन और कथन की तीन प्रतियां दी जाएंगी और रजिस्ट्रार आवेदन और कथन की एक-एक प्रति अन्य समपृक्त व्यक्ति को तत्क्षण भेजेगा। रजिस्ट्रार, पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् आवेदन को या तो नामंजूर कर देगा या बिना शर्त के या ऐसी किन्हीं शर्तों या मर्यादाओं के अधीन जैसी कि वह ठीक समझता है, उसे मंजूर कर लेगा।

शपथ पत्र

120. शपथ पत्रों के प्ररूप आदि-(1) अधिनियम और नियमों के अधीन जिन शपथ पत्रों की बाबत यह अपेक्षित है कि वे व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में फाइल किए जाए या रजिस्ट्रार को दिए जाएं, वे उस सूरत में के सिवाय, जिसमें कि द्वितीय अनुसूची में अन्यथा उपबंधित हैं, उस बात या बातों वाले शीर्षक से होंगे, जिससे या जिनसे कि वे संबद्ध है उत्तम पुरुष में लिखे होंगे क्रमवार संख्या वाले पैरों में विभाजित होंगे और प्रत्येक पैरा यावत्साध्य एक बात तक परिसीमित होगा और प्रत्येक शपथ पत्र में उसे करने वाले व्यक्ति का अभिवर्णन और उसका सही निवास स्थान दिया होगा, उसे फाइल करने वाले व्यक्ति का नाम और पता उसमें दिया होगा और उसमें यह भी कथित होगा कि किसी ओर से वह फाइल किया गया है।

(2) जहां कि दो या दो से अधिक व्यक्ति शपथ पत्र में सम्मिलित होते हैं वहां उनमें से प्रत्येक पृथक्त: ऐसे तथ्यों का अभिलक्ष्य देगा जो उसके निजि ज्ञान में हैं और वे तथ्य पृथक-पृथक पैरों में दिए जाएंगे।

(3) शपथ पत्र- (क) भारत में ऐसे किसी न्यायालय के या व्यक्ति के समक्ष, जिसे न्यायालय द्वारा शपथ दिलाने के लिए या रजिस्ट्रार के समक्ष या लेख्य प्रमाणक के समक्ष शपथ पत्र कराए जाएंगे;

(ख) भारत के बाहर किसी देश या स्थान में राजनयिक और कौसिलीय आफिसर (शपथ और फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) के अर्थ में ऐसे देश या स्थान के राजनयिक या वाणिज्य कौसिलीय आफिसर के समक्ष या देश या स्थान के लेख्य प्रमाणक के समक्ष या किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष, किए जाएंगे।

(4) जिस व्यक्ति के सामने शपथ पत्र किया जाएगा, वह उस तारीख को, जिस पर, और उस स्थान को, जहां शपथ पत्र किया गया है, लिख देगा और यदि उसकी अपनी मुद्रा है, तो उसे उस पर लगाएगा या उस कार्यालय की मुद्रा लगाएगा जिससे वह संलग्न है और उसके अंत में अपना नाम और अभिवर्णन देकर हस्ताक्षर करेगा।

(5) परिवर्तन और पंक्तियों के बीच लिखी बातों को इससे पूर्व कि शपथ पत्र शपथ लेकर या प्रतिज्ञान करके किया जाए, उस व्यक्ति के आद्याक्षरों द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा, जिसके समक्ष शपथ पत्र किया गया है।

(6) अधिनियम या नियमों के अधीन वाली किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में जो शपथ पत्र रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल किया जाता है वैसा प्रत्येक शपथ पत्र तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगने वाले मुद्रांक पर होगा।

IndiaCode

जनता द्वारा दस्तावेजों का निरीक्षण

121. दस्तावेजों का निरीक्षण- धारा 148 की उपधारा (1) में वर्णित दस्तावेज निरीक्षण के लिए व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के उपयुक्त कार्यालय में रजिस्ट्रार द्वारा यथा नियत समय पर सभी कार्य दिवसों में प्रथम अनुसूची में उल्लिखित फीस के भुगतान पर उपलब्ध होंगे।

प्रमाणपत्र

122. दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां- रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियां या धारा 148 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज की या रजिस्ट्रार के किसी विनिश्चय या आदेश की प्रमाणित प्रतियां या धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन वाले प्रमाण पत्र से भिन्न प्रमाण पत्र जो कि ऐसी किसी प्रविष्टि बात या चीज से सम्बद्ध है जिसे कि रजिस्ट्रार, अधिनियम या नियमों द्वारा करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है, रजिस्ट्रार विहित फीस सहित उसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्ररूप व्या.चि.-एम में किए गए अनुरोध के साथ प्रथम अनुसूचि में उल्लिखित फीस के भुगतान पर दे सकेगा,

परंतु रजिस्ट्रार उपर्युक्त वर्णित प्रमाणित प्रतियों को उसकी विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर उस आशय के लिए प्राप्त प्ररूप व्या.चि.-एम में आवेदन पर सात कार्य दिवस के भीतर शीघ्रता से दे देगा।

स्पष्टीकरण: रजिस्ट्रार के पास आंगुलिक रूप में उपलब्ध किसी अभिलेख की सत्यापित प्रति उस अभिलेख की सम्यक सत्यापित प्रति होगी।

123. अंतर्राष्ट्रीय अस्वत्वधारी नामों को अधिसूचित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति- रजिस्ट्रार धारा 13 की उपधारा (ख) में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अस्वत्वधारी नामों के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो शब्द घोषित किए जाते हैं उन्हें जरनल में समय-समय पर प्रकाशित कर सकेगा।

सुज्ञात व्यापार चिह्न

124. रजिस्ट्रार द्वारा सुज्ञात व्यापार चिह्न का निर्धारण- (1) कोई व्यक्ति प्ररूप व्या.चि.-एम में किए गए आवेदन और प्रथम अनुसूचि में उल्लिखित फीस के भुगतान के बाद रजिस्ट्रार के समक्ष किसी व्यापार चिह्न को सुज्ञात निर्धारित करने का अनुरोध कर

सकता है। ऐसे अनुरोध के साथ संदर्भ का कथन सभी साक्ष्य और दस्तावेज सहित होने चाहिए जिसे आवेदक अपने दावे के समर्थन में सहायक समझे।

(2) व्यापार चिह्न को सुज्ञात निर्धारित करने से पहले रजिस्ट्रार धारा 11 की उपधारा (6)से उपधारा (9) तक के उपबंधों का अवधारित लेगा।

(3) अवधारण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार ऐसे दस्तावेज की माँग कर सकेगा जो उसे उपयुक्त लगे।

(4) व्यापार चिह्न को सुज्ञात रूप में निर्धारित करने के पहले रजिस्ट्रार साधारण जनता से आपत्तियाँ आमंत्रित करेगा जो ऐसी आपत्तियों के आमंत्रण की तारीख से तीस दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा।

(5) व्यापार चिह्न के सुज्ञात चिह्न के रूप में निर्धारित होने की स्थिति में उसे व्यापार चिह्न जरनल में प्रकाशित किया जाएगा और रजिस्ट्रार द्वारा सुज्ञात व्यापार चिह्न की सूची में शामिल किया जाएगा।

(6) रजिस्ट्रार, किसी भी समय, यदि यह पाता है कि व्यापार चिह्न भूलवश या गैर इरादतन रूप से सुज्ञात व्यापार चिह्न की सूची में शामिल हो गया है तो वह संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद उसे सूची से हटा देगा।

बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड को अपील

125. अपील के लिए समय- अधिनियम या शर्तों के अधीन रजिस्ट्रार के किसी विनिश्चिय से बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड को अपील ऐसे विनिश्चिय की तारीख से तीन मास के भीतर की जाएगी।

126. रजिस्ट्रार को तामील- अधिनियम के अधीन बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड को किए प्रत्येक आवेदन की एक प्रति की तामील रजिस्ट्रार पर की जाएगी।

वैधता का प्रमाण पत्र

127. विधिमान्यता के प्रमाण पत्र का ध्यान लिया जाना- (1) जहां कि बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड ने रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न की विधि मान्यता के संबंध में, प्रमाण धारा 141 में यथा उपबंधित रूप में दिया है, वहां उसका रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी रजिस्ट्रार से प्ररूप व्या.चि.-47 में यह निवेदन कर सकेगा कि रजिस्टर में की प्रविष्टि में यह टिप्पण बढ़ाया जाए कि विधि मान्यता का प्रमाणपत्र, जिसकी विशिष्टियां निवेदन में दी जाएंगी, कार्यवाहियों के दौरान अनुदत्त किया गया है। प्रमाण पत्र की जो प्रति राजकीय रूप से प्रमाणित है वह इस निवेदन के साथ भेजी जाएगी और रजिस्ट्रार रजिस्टर में उस आशय का एक टिप्पण अभिलिखित करेगा और उस टिप्पण को जरनल में प्रकाशित करेगा।

प्रदर्श लौटना और अभिलेखों को नष्ट करना

128. प्रदर्श लौटाना-(1) जहां कि अधिनियम या नियमों के अधीन किसी मामले में या कार्यवाही में पेश किए गए प्रदर्श की व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय में आगे के लिए आवश्यकता नहीं रहती वहां रजिस्ट्रार संबद्ध पक्षकार को समाहृत कर सकेगा कि प्रदर्श रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर वापिस ले जाएं और यदि पक्षकार वैसा करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रदर्श नष्ट कर दिए जाएंगे।

(2) जहां अधिसूचित तारीख के पूर्व कोई प्रदर्श किसी कार्यवाही में पेश किए जा चुके हैं वहां रजिस्ट्रार उस दशा में, जिसमें कि उसका यह समाधान हो जाता है कि उनका लंबे समय तक रखा जाना आवश्यक नहीं है रजिस्ट्रार संबद्ध पक्षकार से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदर्श को वापिस ले जायं और यदि पक्षकार वैसा करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रदर्श नष्ट कर दिए जाएंगे।

129. अभिलेखों का नष्ट किया जाना- जहां कि व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रत्याहृत/परित्यक्त या खारिज कर दिया जाता है या कोई व्यापार चिह्न रजिस्टर से हटा दिया जाता है या विरोध या परिशोधन कार्यवाही में उस विषय को समाप्त कर दिया गया है और बौद्धिक सम्पदा अपील बोर्ड के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं है वहां रजिस्ट्रार यथास्थिति आवेदन के प्रत्याहृत या परित्यक्त या खारिज किए जाने के पश्चात् या रजिस्टर से व्यापार चिह्न के हटाए जाने के पश्चात् या विरोध या परिशोधन कार्यवाही के बंद हो जाने के पश्चात् एक वर्ष की समाप्ति पर आवेदन, विरोध या परिशोधन या उस संबद्ध व्यापार चिह्न से संबंधित सब अभिलेखों को या उनमें से किसी को नष्ट करा देगा।

IndiaCode

भाग-2

सामूहिक चिह्नों के लिए विशेष उपबंध

130. सामूहिक चिह्नों को लागू होने वाले नियम- इन नियमों के भाग 1, भाग 4 और भाग 7 के उपबंध सामूहिक चिह्नों को, वहां तक जहां तक कि उनके लागू होने का संबंध है, केवल इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही लागू होंगे।

131. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और तत्संबंधी कार्यवाहियां- (1) माल और सेवाओं के लिए सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन रजिस्ट्रार से प्ररूप व्या.चि.-ए पर प्रारूप विनियमन के साथ दाखिल किया जाएगा।

(2) माल और सेवाओं के लिए व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रतिग्रहण करने विषयक जो निर्देश नियमों के भाग 1 में हैं उनके स्थान में वहां जहां तक कि सामूहिक चिह्न के संबंध में उनके लागू होने का प्रश्न है वे निर्देश रख दिए जाएंगे जो कि आवेदन के संबंध कार्यवाही करने के प्राधिकार विषयक हैं।

(3) सामूहिक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक का यदि कोई भारत में का पता है तो उन सब प्रयोजनों के लिए जिनके लिए ऐसा पता इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, यह समझा जाएगा कि वह पता उसके कारबार का भारत में के मुख्य स्थान का पता है।

(4) सामूहिक चिह्नों को शासित करने वाले विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:--

(क) व्यक्तियों के संगम का नाम और उनके अपने कार्यालय के पते;

(ख) संगम के उद्देश्य;

(ग) सदस्यों के ब्यौरे;

(घ) सदस्यता के लिए शर्तें और उस समूह से प्रत्येक सदस्य का संबंध ;

(ङ) चिह्न का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति और सामूहिक चिह्न के प्रयोग पर आवेदक के निमंत्रण की प्रकृति;

(च) सामूहिक चिह्न के उपयोग को शासित करने वाली शर्तें जिसके अंतर्गत मंजूरियां भी हैं;

(छ) सामूहिक चिह्न के उपयोग के विरुद्ध अपीलों के लिए व्यवहार में लाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो रजिस्ट्रार द्वारा मांगी जाएं।

132. आवेदन के साथ मामले - आवेदक अपने आवेदन के साथ उन आधारों वाला जिसका वह अपने आवेदन के समर्थन में सहारा लेता है मामले का कथन रजिस्ट्रार को भेजेगा। ऐसे मामलों का विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

133. परीक्षा,सुनवाई, विरोध, रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण-(1) व्यापार चिह्न के परीक्षा, सुनवाई, विरोध, रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण से संबंधित उपबंध अपने आप सामूहिक व्यापार चिह्न के लिए लागू होंगे।

134. सामूहिक चिह्नों और उनके नवीकरण से संबंधित विनियमों का संशोधन-(क) धारा 66 के अधीन विनियम के किसी संशोधन के लिए सामूहिक चिह्नों के रजिस्ट्रकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन प्ररूप व्या. चि.-एम में किया जाएगा और जहां रजिस्ट्रार ऐसे कोई संशोधन को अभिगृहीत करता है वहां वह ऐसे आवेदन को जरनल में विज्ञापित करेगा और मामले में आगे कार्यवाहियां नियम 42 से लेकर नियम 51 द्वारा शासित होंगी।

(ख) सामूहिक चिह्न समय-समय पर नवीकृत किए जा सकेंगे और नियम 58 से लेकर नियम 62 के उपबंध नवीकरण के लिए ऐसे निवेदन की बाबत यथा परिवर्तित लागू होंगे।

135. सामूहिक चिह्न का हटाया जाना- सामूहिक चिह्न के हटाए जाने के लिए आवेदन धारा प्ररूप व्या.चि.-ओ में किया जाएगा और उन आधारों की विशिष्टियां होंगी जिन पर आवेदन दिया जाता है। इन नियमों के नियम 97 से 100 तक के उपबंध मामले में आगे कार्यवाहियों के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

भाग-3

प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों के लिए विशेष उपबंध

136. प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों पर लागू होने के लिए नियम-इन नियमों के भाग 1 के उपबंध प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों को, वहां तक जहां तक कि उनके लागू होने का संबंध है, केवल इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही लागू होंगे।

137. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और तत्संबंधी कार्यवाहियां-(1) प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों के माल और सेवाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार के प्ररूप व्या. चि.-ए में प्रारूप विनियमन के साथ किया जाएगा।

IndiaCode

(2) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्रतिग्रहण करने विषयक जो निर्देश नियमों के भाग 1 में हैं उनके स्थान में वहां तक यहां तक कि प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के संबंध में उनके लागू होंगे वे निर्देश रख दिए जाएंगे जो कि आवेदन के संबंध में कार्यवाही करने के प्राधिकार विषयक हैं।

(3) प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक का यदि कोई भारत में का पता है तो उन सभी प्रयोजनों के लिए जिनके लिए ऐसा पता इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, यह समझा जाएगा कि वह पता उसके कारबार के भारत में के मुख्य स्थान का पता है।

(4) प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न को शासित करने वाले विनियमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:-

(क) आवेदक का वर्णन;

(ख) आवेदक के कारबार की प्रकृति;

(ग) तकनीकी मानव शक्ति समर्थन जैसी अवसंरचना की विशिष्टियां;

(घ) प्रमाणन स्कीम की प्रशासित करने की आवेदकों की क्षमता;

(ङ) आवेदकों की वित्तीय व्यवस्था;

(च) आवेदक से वचनबद्धता कि यदि वे विनियमों में अधिकथित अपेक्षाओं का पूरा करते हैं तो पक्षकारों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा;

(छ) चिह्न के लक्षण प्रमाणित माल में या प्रमाणित सेवा प्रदान करने के संबंध में संकेत देगा;

(ज) भारत में चिह्न के उपयोग की निगरानी करने की रीति; और।

(झ) ऐसी अन्य सुसंगत विशिष्टियां जो रजिस्ट्रार द्वारा मांगी जाएं।

138. आवेदन के साथ मामले का कथन- आवेदक अपने आवेदन के साथ आधारों वाला, जिनका वह अपने आवेदन के समर्थन में सहारा लेता है, मामले का कथन रजिस्ट्रार को भेजेगा।

139. परीक्षा, सुनवाई, विरोध, रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण- व्यापार चिह्न के परीक्षा, सुनवाई, विरोध, रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण से संबंधित उपबंध अपने आप प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के लिए लागू होंगे।

140. प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न का रद्दकरण या परिवर्धन- प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के उपखंडन या परिवर्तन के लिए आवेदन धारा 77 में वर्णित आधारों में से किसी पर प्ररूप व्या.चि. -ओ में किया जाएगा और उसमें उन आधारों की विशिष्टियां जिन पर आवेदन किया गया है, उपवर्णित होगी। नियम 97 से नियम 100 तक के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित मामले की कार्यवाहियों में लागू होंगे।

141. निक्षेपित विनियमों का परिवर्तन और प्रमाणीकरण व्यापार चिह्नों के समनुदेशन और संप्रदान के वास्तवे रजिस्ट्रार की सम्मति- (1) निक्षेपित विनियम के परिवर्तन के लिए धारा 74 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा आवेदन प्ररूप व्या. चि.- एम में किया जाएगा और जहां रजिस्ट्रार ऐसे परिवर्तन की आज्ञा देने का विनिश्चय करता है वहां यह आवेदन जनरल में विज्ञापित किया जाएगा और मामले में आगे कार्यवाहियां नियम 42 से लेकर नियम 51 द्वारा शासित होंगी।

(2) धारा 43 के अधीन प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न के समनुदेशन और संप्रदान के लिए रजिस्ट्रार की सम्मति के लिए आवेदन प्ररूप व्या. चि.-पी में किया जाएगा।

भाग-4
व्यापार चिह्न के अभिकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

142. व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं का रजिस्टर- व्यापार चिह्नों के अभिकर्ताओं का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के अभिकर्ता का नाम, निवास स्थान का पता, कारबार का मुख्य स्थान का पता, राष्ट्रिकता, अर्हताएं और रजिस्ट्रीकरण की तारीख प्रविष्ट की जाएगी।

143. विद्यमान रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं, आचार संहिता आदि रजिस्ट्रीकरण-(1) नियम 144 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम पुरानी विधि के अधीन रखे जाने वाले व्यापार चिह्न अभिकर्ता रजिस्टर में लिखा है, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के अधीन व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है।

(2) रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता को उस रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हुए एक आचार संहिता जरनल में प्रकाशित कर सकेगा।

144. रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हताएं- नियम 145 के उपबंधों के अधीन एक व्यक्ति व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के अर्ह होगा यदि वह -

(i) भारत का नागरिक है;

(ii) 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है;

(iii) भारत के किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है या समतुल्य अर्हता रखता है; और नियम 148 में विहित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अर्थान्तर्गत एक अधिवक्ता है या भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान का एक सदस्य है,

(iv) रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति समझा जाता है।

145. वह व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण विवर्जित है- यदि कोई व्यक्ति-

(i) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्यायनिर्णीत कर दिया गया है, तो;

(ii) अनन्मुक्त दिवालिया है, तो;

(iii) उन्मुक्त दिवालिया होते हुए उसने न्यायालय से या उचित फोरम जैसा की लागू हो इस आशय का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं किया है कि अपनी ओर से कोई अवचार किए बिना वह दुर्भाग्यवश दिवालिया हो गया था;

(iv) भारत के अन्दर या बाहर सक्षम, न्यायालय या उचित फोरम द्वारा जैसा की लागू हो, ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जो कि निर्वासन या कारावास से दंडनीय है तो जब तक कि वह जिस अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है उसके लिए उसे क्षमा नहीं मिल गई या जब तक कि केन्द्रीय सरकार ने उस किए गए आवेदन पर उसकी निर्योग्यता इस निमित्त आदेश द्वारा हटा नहीं दी है,

(v) विधि व्यवसायी होते हुए वृत्ति संबंधी अवचार का दोषी भारत में किसी उच्च न्यायालय द्वारा ,

(vi) चार्टर प्राप्त लेखापाल होते हुए उपेक्षा या अवचार का दोषी उच्च न्यायालय द्वारा ठहराया गया है तो या

(vii) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता होते हुए वृत्तिक अवचार का दोषी रजिस्ट्रार द्वारा ठहराया गया है तो वह व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

146. आवेदन करने की रीति- इस भाग के उपबंधों के अधीन सभी आवेदन डुप्लीकेट प्रतियों में किए जायेंगे, और उस व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को भेजे या उसमें उपस्थित किए जायेंगे जिसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आवेदक के कारबार का मुख्य स्थान अवस्थित है।

147. व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-(1) व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप व्या. चि.-जी में आवेदन करेगा।

(2) लिखित परीक्षा के लिए और साक्षात्कार के लिए अर्हक अंक क्रमश: पचहत्तर प्रतिशत और पच्चीस प्रतिशत होंगे और अभ्यर्थी को उस दशा में ही उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह कुल अंकों का साठ प्रतिशत कुल मिलाकर प्राप्त कर लेता है।

148. आवेदन पर प्रक्रिया और अर्हक अपेक्षाएं- (1) रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक विहित अर्हताएं पूरी करता है, ऐसी तारीख नियत करेगा जिस पर अभ्यर्थी व्यापार चिह्न विधि और प्रणाली विषयक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होगा।

(2) परीक्षा के लिए अर्हक अंक रजिस्ट्रार द्वारा विज्ञापित किया जाएगा।

149. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र- किसी अभ्यर्थी के परीक्षा उत्तीर्ण करने और रजिस्ट्रार द्वारा वांछित अन्य सूचना प्रदान करने के बाद रजिस्ट्रार उस अभ्यर्थी का नामांकन रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में विहित फीस के भुगतान के बाद करेगा और प्ररूप आर जी – 4 पर एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

150. व्यापार चिह्न के अभिकर्ताओं के रजिस्टर में नाम बना रहना- व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में व्यक्ति के नाम बने रहने की यह शर्त होगी कि वह प्रथम अनुसूची में विहित फीस देता रहे।

151. व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर से अभिकर्ता का नाम हटाया जाना- (1) रजिस्ट्रार ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता के नाम को व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटा सकेगा।

(क) जिससे इस आशय की अनुरोध मिला है, या

(ख) जिससे उस तारीख से, जिस पर वार्षिक फीस शोध्य होती है, तीन मास की समाप्ति पर वार्षिक फीस प्राप्त नहीं हुई है।

(2) रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्नों के ऐसे अभिकर्ता का नाम व्यापार चिह्न के अभिकर्ताओं के रजिस्टर से हटा देगा।

(क) जिसकी बाबत यह पाया जाता है कि वह अपने रजिस्ट्रीकरण के समय नियम 151 के खण्ड (i) से लेकर खंड (vii) तक में कथित निर्योग्यताओं में से किसी के अधीन है या तत्पश्चात् हो गया है; या

(ख) जिसकी बाबत रजिस्ट्रार ने इस कारण कि उसने अपनी वृत्तिक हैसियत में उपेक्षापूर्ण अवचारपूर्ण, या बेईमानी का कोई काम किया है, यह घोषित किया है कि वह व्यक्ति रजिस्टर में बने रहने के लिए अयोग्य और अनुचित व्यक्ति है;

(ग) रजिस्टर में दुर्व्यपदेशन या तात्विक तथ्य को छुपाने के कारण प्रविष्ट कर दिया गया है:

परन्तु खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन ऐसी घोषणा करने के पूर्व रजिस्ट्रार संबंद्ध व्यक्ति को यह हेतु

संदर्शित करने के लिए समाहूत करेगी कि उसके रजिस्ट्रीकरण को अपखंडित क्यों न कर दिया जाए और वह ऐसी अपर जांच भी, यदि कोई हो, करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझता है।

(3) रजिस्टर व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्ता का नाम हटा देगा जो मर चुका है।

(4) वह बात कि व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से किसी व्यक्ति का नाम हटा दिया गया है जरनल में अधिसूचित की जाएगी और जहां भी संभव हो उसकी संसूचना संबद्ध व्यक्ति को दी जाएगी।

152. कतिपय अभिकर्ताओं के साथ व्यवहार करने से इंकार करने की रजिस्ट्रार की शक्ति-

(1) रजिस्ट्रार-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है और रजिस्टर में प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है मान्यता देने से इंकार कर सकेगा;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की जो व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं है और जो रजिस्ट्रार की राय में उस व्यक्ति के नाम में या उसके फायदे के लिए जिसने उसे नियोजित कर रखा है भारत में या अन्यंत्र व्यापार चिह्न के लिए लगाए जाने में अभिकर्ता के रूप में पूर्णत: या मुख्यत: कार्य करने में लगा हुआ है मान्यता देने से इंकार कर सकेगा;

(ग) किसी ऐसी कंपनी या फर्म और यदि किसी व्यक्ति जिसको इन नियमों के अधीन किसी कारबार की बाबत अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रार ने मान्यता देने से इंकार कर दिया है, वह कंपनी के निदेशक या प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है या वह फर्म में कोई भागीदार है, मान्यता देने से इंकार कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार किसी ऐसे व्यक्ति जो न तो भारत में निवास करता है और न ही भारत में उसके कारबार का स्थान है को भी इस नियम के अधीन किसी कारबार की बाबत अभिकर्ता के रूप में मान्यता देने से इंकार कर सकेगा।

153. हटाये गए नामों का प्रत्यावर्तन-(1) जिस व्यक्ति का नाम नियम 151 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन हटाया जा चुका है, व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में से उसका नाम हटाये जाने की तारीख से छ: मास के भीतर उस व्यक्ति से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस सहित आवेदन प्ररूप व्या. चि. -जी में प्राप्त होने पर उसका नाम रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रत्यावर्तित कर सकेगा और उस तारीख से, जिसको उसी अंतिम वार्षिक फीस शोध्य हुई थी, एक वर्ष की कालावधि के लिए उसका नाम रजिस्टर में रहने दे सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रार प्रत्यावर्तन फीस के साथ अतिरिक्त फीस के भुगतान पर अभिकर्ता का नाम छ: महीने की अवधि के बाद भी किन्तु तीन वर्षों की अवधि के भीतर प्रत्यावर्तित कर सकेगा।

(2) व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में नाम का प्रत्यावर्तन जनरल में अधिसूचित किया जाएगा और संसूचना संबद्ध व्यक्ति को दी जाएगी।

154. व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में परिवर्तन- (1) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का अभिकर्ता व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में प्रविष्ट अपने नाम, निवास स्थान के पते, कारबार के मुख्य स्थान के पते, या अर्हताओं में परिवर्तन के लिए आवेदन प्ररूप व्या. चि. अ.-3 में कर सकेगा। ऐसे आवेदन और उस निमित्त विहित फीस की प्राप्ति कर रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करायेगी।

(2) व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर में किया गया प्रत्येक परिवर्तन जनरल में अधिसूचित किया जाएगा।

155. व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्टर का प्रकाशन- रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं को रजिस्टर में सामान्यतया अभिकर्ताओं की सूची समय-समय पर जनरल में प्रकाशित करेगा और कम से कम दो वर्ष में एक बार उसके पते के साथ जो रजिस्टर में प्रविष्ट है रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के अभिकर्ताओं के उपनाम की प्रविष्टियां वर्णानुक्रम अनुसार व्यवस्थित होंगी और उसकी प्रतियां विक्रय के लिए रखी जा सकेंगी।

156. अपील- इन नियमों के भाग-4 के अधीन व्यापार चिह्न अभिकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण या हटाए जाने के संबंध में रजिस्ट्रार के किसी आदेश या विनिश्चय से अपील बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड में होगी और अपील बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा और आबद्धकर होगा।

भाग-5
व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की भाषा

157. व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की भाषा:- (1) (क) व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की भाषा अंग्रेजी होगी:

परन्तु कार्यवाही के पक्षकार, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समक्ष में हिन्दी में प्ररूपित दस्तावेजों को फाइल कर सकते हैं, यदि उन्होंने ऐसी वांछा की हो:

परन्तु यह और कि-

(क) रजिस्ट्रार अधिकरण की कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग की अनुज्ञा देता है और ऐसी कार्यवाहियों में सुनवाई को वह स्वविवेकानुसार अभिवाचनों और फाइल किए जाने वाले दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद के लिए निदेश दे सकेगा।

(ख) राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित "क" क्षेत्र में स्थित व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के कार्यालय के बारे में रजिस्ट्रार स्वविवेकानुसार अंतिम आदेश हिन्दी या अंग्रेजी में दे सकेगा।

(2) पैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अंतिम आदेश हिन्दी में किया जाता है वहां उसका अधिप्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद साथ ही साथ तैयार किया जाएगा और अभिलेख में रखा जाएगा।

भाग-6
निरसन

158. निरसन- व्यापार चिह्न नियम, 2002 नियमों के प्रवृत्त होने के पहले ऐसे नियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही के प्रतिकूल प्रभाव के बिना निरसित किया जाता है।

प्रथम अनुसूची

(नियम 11 देखिए)

फीस

प्रविष्टि संख्या	किस पर देय	रकम भारतीय रूपए में		तत्सम्बन्धी प्ररूप संख्या
		भौतिक रूप से फाईलिंग के लिए	ई-फाईलिंग के लिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	एक वर्ग अथवा एक वर्ग से अधिक में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्देश हेतु व्यापार चिह्न/सम्मिलित चिह्न/प्रमाणन चिह्न/व्यापार चिह्न के अनुक्रम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।			टी एम-ए
	जहाँ आवेदक एक व्यक्ति/स्टार्ट-अप/लघु उद्यम हो	5,000	4,500	
	सभी अन्य मामले में	10,000	9,000	
	(टिप्पणी: फीस केवल एक वर्ग और एक चिह्न के लिए है.)			
2	धारा 21(1), 64, 66 या 73 के तहत विरोध की सूचना पर या धारा 47 से 57, 68, 77 के अधीन रजिस्टर के परिशोधन हेतु आवेदन या नियम 99, 103, 135, 140 के तहत आवेदन, वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (विनियमन और संरक्षा) अधिनियम, 1999 की धारा 25 के तहत व्यापारचिह्न या उससे संबन्धित प्रतिकथन को अमान्य करने हेतु आवेदन पर।	3,000	2,700	टी एम- ओ

	(टिप्पणी: विरोध किए प्रत्येक वर्ग या दाखिल प्रतिकथन के लिए फीस)			
3	प्रत्येक वर्ग के लिए धारा 25 के तहत व्यापारचिह्न के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण हेतु	10,000	9,000	टी एम- आर
4	धारा 25 (3) के तहत प्रत्येक वर्ग के लिए व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का अधिभार के साथ नवीकरण	5,000 प्रविष्टि 3 के तहत लागू नवीकरण फीस के साथ	4,500 प्रविष्टि 3 के तहत लागू नवीकरण फीस के साथ	
5	धारा 25 (3), 25 (4) के तहत प्रत्येक वर्ग के लिए व्यापार चिह्न के प्रत्यावर्तन और नवीकरण का अधिभार के साथ नवीकरण हेतु आवेदन	10,000 प्रविष्टि 3 के तहत लागू नवीकरण फीस के साथ	9,000 प्रविष्टि 3 के तहत लागू नवीकरण फीस के साथ	
6	धारा 45 के तहत प्रत्येक व्यापारचिह्न के हस्तांतरण या समनुदेसन के मामले में अनुवर्ती स्वत्वधारी रजिस्टर करने हेतु आवेदन	10,000	9,000	टी एम - पी
7	इन आवेदनों के लिए : धारा 40 (2) के तहत रजिस्ट्रार का प्रमाणपत्र, या धारा 41 के तहत रजिस्ट्रार के अनुमोदन के लिए, या धारा 42 के तहत बिना साख के समनुदेसन के विज्ञापन के लिए रजिस्ट्रार का निदेश, या धारा 59 (1) के तहत प्रत्येक व्यापारचिह्न के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यापारचिह्न में कुछ जोड़ना या बदलना, या धारा 60 के तहत प्रत्येक व्यापारचिह्न के लिए विनिर्देश का बदलाव।	3,000	2,700	
8	इन आवेदनों के लिए: धारा 42 के तहत बिना साख के समनुदेसन के विज्ञापन के निदेश के लिए आवेदन करने का समय विस्तार, या धारा 46 (4) के तहत अनुवर्ती स्वत्वधारी के रूप में किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय विस्तार, या धारा 43 के तहत प्रमाणन व्यापारचिह्न के समनुदेसन या पारेषण के लिए रजिस्ट्रार की सहमति, या धारा 58 के तहत प्रत्येक व्यापार चिह्न के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या व्यापार चिह्न के किसी रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के नाम और/या विवरण में परिवर्तन।	2,000	1,800	
9	इन आवेदनों के लिए: धारा 16 (5) के तहत व्यापारचिह्न के बीच संबंध का विघटन, या धारा 58 के तहत प्रत्येक व्यापार चिह्न के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के पते या भारत में सेवार्थ पते में परिवर्तन, या धारा 58 के तहत प्रत्येक व्यापारचिह्न के लिए रजिस्टर में कोई प्रविष्टि या उसके किसी भाग को निरस्त करने का अनुरोध।	1,000	900	
10	धारा 49 के तहत वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में रजिस्ट्रीकृत व्यापारचिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का आवेदन या धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (क) के तहत एक व्यापारचिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि में बदलाव के लिए आवेदन जहाँ व्यापारचिह्न उसमें से प्रत्येक के संदर्भ में एक ही रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के अधीन आते हैं या धारा 50 की उप-धारा (1) के खंड (ख), (ग) या (घ) के तहत एक व्यापारचिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि निरस्त करने के लिए आवेदन पर या नियम 95 (2) के तहत एक व्यापारचिह्न के रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि में बदलाव या निरस्तिकरण के लिए एक कार्यवाही में हस्तक्षेप के	5,000	4,500	टी एम-यू

IndiaCode

	इरादे की सूचना (टिप्पणी : लागू फीस केवल प्रत्येक चिह्न के लिए है)			
11	नियम 22 (1) के तहत प्रमाणपत्र खोजने और जारी करने के लिए अनुरोध	10,000	9,000	टी एम -सी
12	नियम 22 (3) केडबल्यू तहत त्वरित खोज और प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध	अमान्य	40,000	
13	इन आवेदनों के लिए : समय विस्तार, या सत्यापित प्रति, या द्वितीयक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, या दस्तावेज़ की जांच, या रजिस्ट्रार के विज्ञापन का विवरण, या रजिस्ट्रार के निर्णय का आधार मांगना, या नियम 127 के तहत वैद्यता के प्रमाणपत्र के नोट को रजिस्टर में लिखना और विज्ञापित करना, या व्यापारचिह्न आवेदन में संशोधन, या नियम 41 के तहत रजिस्ट्रार को व्यापारचिह्न के विज्ञापन का विवरण।	1,000	900	टी एम - एम
14	इन आवेदनों के लिए : धारा 66 के तहत संकलित व्यापारचिह्न के विनियमन का साक्ष्य या धारा 74 (2) के तहत प्रमाणन व्यापारचिह्न के विनियमन में बदलाव, या रजिस्ट्रार का प्राथमिक सुझाव मांगना, या आवेदन के विभाजन के लिए।	2,000	1800	
15	इन आवेदनों के लिए: रजिस्ट्रार के निर्णय की समीक्षा, या किसी विवादित कार्यवाही के वादकालीन मामले के लिए रजिस्ट्रार का आदेश प्राप्त करने ले लिए याचिका (अन्यथा अधिभारित नहीं), या कोई अन्य मामले जिसे अन्य टी एम प्ररूप में शामिल नहीं किया गया हो।	3,000	2,700	
16	रजिस्ट्रार के त्वरित प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध पर (अधिनियम की धारा 23 (2) के टहता प्रमाणपत्र के अतिरिक्त) या नियम 122 के प्रावधान के तहत दस्तावेज़ की स्त्यपित प्रतियाँ (टिप्पणी : प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारचिह्न या प्रत्येक दस्तावेज़ संदर्भ में प्रविष्टि के लिए)	5,000	4,500	
17	नियम 34 के तहत व्यापारचिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के त्वरित प्रक्रिया के लिए आवेदन			
	जहाँ आवेदक एक व्यक्ति/ स्टार्ट-अप/ लघु उद्यम हो	अमान्य	30,000	
	अन्य सभी मामलों में	अमान्य	40,000	
	(टिप्पणी: फीस केवल एक वर्ग और एक चिह्न के लिए है.)			
18	किसी व्यापारचिह्न को सुज्ञात व्यापारचिह्न की सूची में शामिल करने का अनुरोध (टिप्पणी : लागू फीस केवल एक चिह्न के लिए है।)	अमान्य	1,00,000	
19	नियम 147 & 149 के तहत किसी व्यक्ति का व्यापारचिह्न एजेंट के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।	5,000	4,500	टी एम- जी
20	नियम 150 के तहत व्यापारचिह्न एजेंट के रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए जारी रखने के लिए जिसका भुगतान परवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन को या उससे पूर्व किया जाना होगा।	10,000	9,000	
21	रजिस्ट्रीकरण हटाने की तारीख से 3 वर्षों के भीतर नियम 153 के तहत व्यापारचिह्न एजेंट के रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम प्रत्यावर्तित करने के आवेदन पर।	5,000 प्रविष्टि संख्या 20 में यथा उल्लिखित	4,500 प्रविष्टि संख्या 20 में यथा	

IndiaCode

		निरंतरता फीस के साथ	उल्लिखित निरंतरता फीस के साथ	
22	नियम 154 के तहत व्यापारचिह्न एजेंट के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि में बदलाव करने के लिए आवेदन पर।	1,000	900	
23	MM2(E) के साथ अंतरराष्ट्रीय आवेदन के प्रमाणन और अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में पारेषण हेतु संचालन प्रभार	अमान्य	5,000	--

द्वितीय अनुसूची
प्ररूप

प्ररूप सं.	अधिनियम और नियम की धारा और नियम	वह शीर्षक जिसके लिए प्ररूप का उपयोग किया जाना है	प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि संख्या
1	2	3	4
टी एम-ए	धारा 15, 15(3), 18(1), 18(2), 63(1), 71, 71(1), 154(2).	धारा 18 (1) या 18 (2) के तहत एक अथवा एक से अधिक वर्ग में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्देश हेतु व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, या धारा 63 (1) के तहत एक अथवा एक से अधिक वर्ग में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्देश हेतु संकलित चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, या धारा 71 (1) के तहत एक अथवा एक से अधिक वर्ग में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्देश हेतु प्रमाणन चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, या धारा 15 (3) के तहत एक अथवा एक से अधिक वर्ग में शामिल वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्देश हेतु व्यापार चिह्न का अनुक्रम के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।	1
टी एम-एम	धारा 18(4), 22, प्रावधान 22, 23(2), 43, 58, 66, 74(2), 127(ग), 131, 133(1), 137, 148(2), नियम: 23, 36, 36(1), 41, 56(3), 108, 109, 122, 124,127.	व्यापार चिह्न आवेदन में संशोधन हेतु अनुरोध, या निर्णय का आधार प्राप्त करना, या रजिस्ट्रार का प्राथमिक सुझाव प्राप्त करना, या संकलित व्यापारचिह्न के विनियमन का साक्ष्य के लिए आवेदन, या प्रमाणन व्यापारचिह्न के विनियमन में परिवर्तन, या सत्यापित प्रति के लिए अनुरोध, या द्वितीयक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, या समय विस्तार, रजिस्ट्रार के निर्णय की समीक्षा हेतु अनुरोध, या दस्तावेज़ की जांच, या विज्ञापन के विवरण के लिए रजिस्ट्रार का अनुरोध, या रजिस्ट्रार के निर्णय की समीक्षा, या किसी विवादित कार्यवाही के वादकालीन मामले के लिए रजिस्ट्रार का आदेश प्राप्त करने ले लिए याचिका (अन्यथा अधिभारित नहीं), या एक चिह्न को सुज्ञात व्यापारचिह्न की सूची में शामिल करने का अनुरोध, या कोई अन्य मामले जिसे अन्य टी एम प्ररूप में शामिल नहीं किया गया हो।	13, 14, 15, 16, 17, 18
टी एम- आर	धारा : 25, धारा 25(3), 25(4) के प्रावधान	व्यापारचिह्न के नवीकरण हेतु आवेदन, या अधिभार सहित नवीकरण हेतु अनुरोध, या व्यापार चिह्न के प्रत्यावर्तन हेतु अनुरोध।	3,4,5
टी एम-सी	नियम 22(1), नियम 22(5)	खोज प्रमाणपत्र अनुरोध हेतु आवेदन	11, 12

टी एम-ओ	वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (विनियमन और संरक्षा) अधिनियम, 1999 की धारा 21, 21(1), 47-57, 59, 64, 66, 68, 73, 77 और 25 नियम : 99, 105, 130, 136.	धारा 21(1), 64, 66 या 73 के तहत विरोध की नोटिस पर, धारा 47 से 57, 68, 77, के तहत रजिस्टर के परिशोधन हेतु आवेदन, नियम 99, 135, 140, के तहत आवेदन, या वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन (विनियमन और संरक्षा) अधिनियम, 1999 की धारा 25 के तहत किसी व्यापारचिह्न और उससे संबन्धित प्रतिकथन को अमान्य करने का आवेदन।	2
टी एम-पी	धारा 16 (5), 40(2), 41, 42, 43, 45, 58, 59, 60 नियम 75, 80, 83, 85,	रजिस्टर में अनुवर्ती स्वत्वधारी को रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के रूप में स्थापित करने का अनुरोध, या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के विवरण में संशोधन का अनुरोध, या रजिस्ट्रीकृत व्यापारचिह्न के संशोधन का अनुरोध, या वस्तु या सेवाओं के विनिर्देश में संशोधन हेतु अनुरोध, या वस्तुओं के परिवर्तन हेतु अनुरोध, या व्यापारचिह्न के संघटन के विघटन हेतु अनुरोध।	6, 7, 8, 9
टी एम-यू	धारा 49, 50, 50(1)(क), 50(1)(ख), 50(1)(ग) or (घ). नियम : 95.	रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता की प्रविष्टि हेतु आवेदन, या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के विवरण में संशोधन का अनुरोध, या रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के निरस्तीकरण या बदलाव हेतु आवेदन, या तीसरे पक्ष द्वारा कार्यवाही में हस्तक्षेप के लिए आवेदन।	10
टी एम-जी	नियम 147, 153, 154.	व्यापारचिह्न एजेंट के रजिस्ट्रीकरण का आवेदन, या व्यापारचिह्न एजेंट के रूप में निरंतरता का अनुरोध, या रजिस्टर में व्यापारचिह्न एजेंट के नाम का प्रत्यावर्तन, या रजिस्टर में व्यापारचिह्न एजेंट के विवरण संबंधी परिवर्तन।	19,20,21,22

Manual Code

<u>प्ररूप का सूची</u>

प्ररूप व्या.चि.-ए

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

[सुसंगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाय]

1	आवेदन की प्रकृति	
	[(क) आवेदक निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक का चयन करें-	
	1. मानक व्यापार चिह्न *2.*सामूहिक चिह्न *3.*प्रमाणीकरण चिह्न *4.*श्रेणी चिह्न	
	यहाँ मानक चिह्न से साधारण व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन से अभिप्रेत है जो सामूहिक या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न अथवा चिह्नों की श्रृंखला ना हो।	
	(ख) सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण चिह्न के संदर्भ में प्ररूप व्या.चि.-एम के साथ प्रारूप विनियमन अवश्य दाखिल किया जाएगा।]	
2	आवेदक का स्वरुप दर्ज करे (चुने और निर्दिष्ट करें) स्टार्टअप / लघु उद्यम के मामले में अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए।	(व्यक्तिगत / स्टार्टअप / लघु उद्यम / अन्य)
	प्रदत्त फीस	(स्मुचित फीस के लिए प्रथम अनुसूची देंखें)
3	आवेदक	
	नाम:*	
	व्यापार नाम	
	पता:*	

		(राज्य) (देश)
	[भारत में व्यवसाय का आवेदक का मुख्य पता ही पते के रूप में दर्शाया जाएगा]	
	सेवार्थ पता:	
		(राज्य) (देश)
	*[(*क) अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है।	
	*(*ख) यदि आवेदक भारत में कारबार ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]	
	मोबाइल न.:	
	ई-मेल का पता:*	
	आवेदक की प्रकृति	
	[*आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-*	
	1.वैयक्तिक, 2.भागीदारी फर्म, 3.प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी सहित निगमन निकाय 4.सीमित देयता साझेदारी, 5.सोसायटी, 6. न्यास 7. सरकारी विभाग, 8. कानूनी संगठन, 9. व्यक्तियों का संगम 10. हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब]	
3	आवेदक के अभिकर्त्ता (यदि कोई हो)	
	नाम:	
	पता	
	अभिकर्त्ता को प्राधिकार देने की स्थिति में अभिकर्त्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पता के रूप में उल्लेख किया जाय।	
	मोबाइल न.*:	
	ई-मेल का पता*:	
	आवेदक की प्रकृति	
	*[*आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-	
	*1.*रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता, *2.*अधिवक्ता, *3.*मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]	
	रजिस्ट्रीकरण संख्याः	
	अभिकर्त्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्त्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।	
4	व्यापार चिह्न	(व्यापार चिह्न का यहाँ उल्लेख करें)
	चिह्न का प्रवर्ग	
	*[*आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-	
	*1.*शब्द चिह्न *(*इसमें एक शब्द, अक्षर, संख्या या मानक रूप में लिखित सभी कुछ शामिल है), *2.*युक्ति चिह्न *(*इसमें लेबल, स्टीकर, मोनोग्राम, लोगो या शब्द चिह्न के अतिरिक्त कोई अन्य ज्यामितीय आकृति शामिल है), *3.*रंग *(*जब यंत्र के साथ या उसके बिना रंगों के संयोजन में पार्थक्य का दावा किया गया हो), *4.*त्रिआयामी व्यापार चिह्न *(*इसमें वस्तुओं के आकार या पैकेजिंग शामिल है),*5.* ध्वनि	
	चिह्न का वर्णन	
	*[(*क) चिह्न का वर्णन नियम *28* के अनुसार अवश्य दी जाय।	
	*(*ख) श्वेत और श्याम के अतिरिक्त किसी अन्य निर्दिष्ट रंग समन्वय में प्रस्तुत व्यापार चिह्न के संदर्भ में यह माना जाएगा कि चिह्न का पार्थक्य का दावा उस रंग समन्वय में ही किया गया है और तदनुसार आवेदन पर विचार किया जाएगा।	
	*(*ग) रंग चिह्न के संदर्भ में विवरण इस प्रकार होगा जैसे "इस व्यापार चिह्न में बैगनी, हरे और पीले रंग की तीन खड़ी पट्टियाँ शामिल हैं जो मकानों और दरवाजों के सामने चिह्न की प्रदर्शित प्रस्तुति के अनुसार लगायी गई है।"	
	*(*घ) ध्वनि चिह्न के संदर्भ में निर्दिष्ट संगीत धुन की प्रस्तुति व्यापार चिह्न के लिए प्रदत्त स्थान पर अवश्य की जानी चाहिए। आवेदक को वह ध्वनि *MP3* में भी दाखिल करनी होगी।]	

IndiaCode

5	हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न अन्य भाषा में चिह्न	
	भाषा	
	रोमन लिपि में चिह्न का लिप्यंतरण	
	[चिह्न के हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किस अन्य भाषा में होने की स्थिति में उस चिह्न का लिप्यंतरण रोमन लिपि में अवश्य उपलब्ध करायी जाएगी।	
	चिह्न का अंग्रेजी में अनुवाद	
	[चिह्न के हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किस अन्य भाषा में होने की स्थिति में उस चिह्न का अंग्रेजी अनुवाद अवश्य उपलब्ध करायी जाएगी।	
6	व्यापार चिह्न के प्रयोग की शर्त या सीमा, यदि कोई हो	
7	माल और/या सेवा का वर्ग	माल और सेवा का विवरण
8	चिह्न के प्रयोग संबंधी कथन	[] प्रयोग हेतु प्रस्तावित
		[] चिह्न का प्रयोग आवेदक या उसके पूर्ववर्ती द्वारा प्रयोग किया जा रहा है जिसका शीर्षक है
		आवेदन में उल्लिखित माल और सेवा के संदर्भ में से
	[(क) आवेदक को उपर्युक्त में से किसी एक का चयन करना होगा	
	(ख) प्रयोग की तारीख (दिन/माह/वर्ष) रूप में की जाएगी और आवेदन में वर्णित सभी मदों को इंगित करेगी।	
	(ग) आवेदन की तारीख से पूर्व व्यापार चिह्न के प्रयोग का दावा करने की स्थिति में आवेदक एक शपथ पत्र दाखिल कर वैसे प्रयोग का सत्यापन करेगा और सहायक दस्तावेज दाखिल करेगा।	
	(घ) चिह्न के प्रयोग संबंधी एक बार दिया गया कथन अंतिम होगा।]	
9	प्रायिकता दावा, यदि कोई हो	
	से प्रायिकता दावा	(दिन/माह/वर्ष)
	कन्वेंशन देश या संगठन में दाखिल आवेदन के आधार पर प्रायिकता दावा	देश या संगठन का नाम
	प्रायिकता आवेदन संख्या	
	[प्रायिकता का दावा आवेदन में उल्लिखित सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अवश्य किया जएगा]	
10	कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना या कथन	
	[आवेदक यहाँ अपने आवेदन से संबंधित कोई अन्य सूचना या कथन प्रदान कर सकता है]	
11	सत्यापन	मैं सत्यापित करता हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य हैं।
12	आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा	
	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	

IndianCode

प्ररूप व्या. चि.-एम

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

व्यापार चिह्न अधिनियम के अधीन व्यापार चिह्न आवेदन/विरोध/संशोधन के संदर्भ में विविध कार्यवाही हेतु आवेदन/अनुरोध

यह प्ररूप तीन भागों अर्थात क, ख, और ग में विभाजित है।

भाग क और ग को भरना अनिवार्य है। भाग ख को पुनः कई उपश्रेणियों में विभाजित किया गया है और इसका अपेक्षानुरूप चयन आवेदक द्वारा किया जाएगा और उसी अनुसार इसे भरा जाएगा।

[(क) एक प्ररूप केवल एक अनुरोध के लिए है। पृथक अनुरोधों के लिए पृथक अनुरोध दाखिल किया जाएगा।एक प्ररूप में एक से अधिक अनुरोध का दावा करने की स्थिति में प्रथम स्वीकृत होगा और शेष अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

भाग क

[आवेदक का विवरण]

1	फीस	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखें)	
	आवेदक या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/विरोधकर्ता/आवेदन/अनुरोध करने वाला तृतीय पक्ष		
	[(*क) उपर्युक्त में से किसी एक का चयन अवश्य करना होगा जिनकी तरफ से आवेदन/अनुरोध दाखिल किया जा रहा है*		
	(*ख)* "*आवेदक" या "* रजिस्ट्रीकृत *स्वत्वधारी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका उल्लेख संदर्भित आवेदन या* रजिस्ट्रीकृत *व्यापार चिह्न के संदर्भ में टीएमआर अभिलिखित है। "विरोधकर्ता" से उस विरोधकर्ता का से अभिप्रेत है जिसका संदर्भ विरोध कार्यवाही में हो अथवा एक आवेदक जो किसी और के व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण को बदलने या निरस्त करने की इच्छा से संशोधन हेतु अनुरोध करता है। "तृतीय पक्ष" से उस व्यक्ति का आशय है जो संदर्भित आवेदन/विरोध/संशोधन का कोई पक्षकार ना हो।]*		
	नाम:*		
	व्यापार नाम		
	पता:*		
		(राज्य) (देश)	
	सेवार्थ पता:		
		(राज्य) (देश)	
	[(*क) अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है।*		
	(*ख) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]*		
	मोबाइल न.:		
	ई-मेल का पता:*		
2	आवेदक या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/विरोधकर्ता/तृतीय पक्ष के अभिकर्त्ता हो, (यदि कोई हो)		
	नाम:		
	पता		
	मोबाइल न.:		
	ई-मेल का पता:		
	अभिकर्त्ता की प्रकृति		
	[*आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-*		
	1. *रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता*, 2. *अधिवक्ता*, 3. *मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]*		
	रजिस्ट्रीकरण संख्याः		
	[अभिकर्त्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्त्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।]		
3	के मामले में अनुरोध/आवेदन		
	आवेदन/विरोध/संशोधन संख्या	संदर्भ संख्या	
	[उपर्युक्त में से एक का चयन अवश्य किया जाय]		
	अतिरिक्त संदर्भ, यदि अपेक्षित हो		
	भाग ख: अनुरोध का प्रयोजन [आवेदन स्तंभ को भरने के अनुसार चिह्नित करना होगा]		

IndianCode

क	लिपिकीय त्रुटि में सुधार या नियम 37 में संशोधन हेतु		
	सुधार का ब्यौरा		
ख	नियम 36 के तहत रजिस्ट्रार के निर्णय के आधार का कथन		
	सुनवाई की तारीख		
	आदेश संख्या और तारीख		
ग	नियम 122 के अधीन रजिस्ट्रार के प्रमाणपत्र या दस्तावेज की सत्यापित प्रति के लिए		
	यदि अनुरोध त्वरित प्रमाणपत्र के लिए है	हाँ या ना	
	[त्वरित प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध की स्थिति में फीस साधारणतया सामान्य अनुरोध का पाँच गुणा होगा]		
	अपेक्षित सत्यापित प्रति के विवरण		
	अपेक्षित दस्तावेज की प्रतियों की संख्या		
घ	नियम 41 के अधीन व्यापार चिह्न के विज्ञापन के विवरण हेतु		
ङ	रजिस्ट्रार के विनिश्चिय के पुनर्विलोकन ले लिए अनुरोध		
	सुनवाई तारीख		
	आदेश संख्या और तारीख		
	[संबद्ध आवेदनों की संख्या/रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न संख्या और फीस रुपए में यहाँ लिखा जाए]		
च	नियम 109 के अधीन समय विस्तार हेतु अनुरोध		
	समय अवधि के विस्तार का कारण	अनुरोध किए गए समय विस्तार की अवधि	
छ	धारा 133 के अधीन व्यापार चिह्न के सुभिन्न के बारे में प्रारंभिक सुझाव	यहाँ चिह्न लिखे/चिपकाए जाये	
ज	नियम 34 के अधीन किसी आवेदन के त्वरित परीक्षण का अनुरोध		
	त्वरित परीक्षण हेतु कारण बताना		
झ	नियम 108 के अधीन आवेदन का विभाजन		
	विभाजित किए जाने वाले वर्ग		
	विभाजित किए जाने वाले व्यापार चिह्न (श्रृंखला चिह्न के संदर्भ में)		
ञ	नियम 56 (3) के अधीन द्वितीयक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध		
ट	सुज्ञात व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की सूची में व्यापार चिह्न को शामिल करने हेतु अनुरोध	चिह्न की प्रस्तुति (यहाँ चिपकाए)	फीस रुपए में
	क्या अनुरोध किया गया चिह्न व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भारत में रजिस्ट्रीकृत है -यदि हाँ (उसका विवरण)		
ठ	नियम 121 के अधीन दस्तावेज़ की जांच का अनुरोध	प्रयोजन	फीस रुपए में
ड	धारा 66 के अधीन समेकित व्यापार चिह्न या प्रमाणन व्यापारचिह्न के उपयोग के प्रशासन के विनियमन में संशोधन	प्रयोजन	फीस रुपए में
ढ	नियम 127 के अधीन रजिस्टर में प्रविष्टि और वैधता के प्रमाणपत्र के नोट विज्ञापित करने का अनुरोध	प्रयोजन	फीस रुपए में
ण	किसी विवादित कार्यवाही में अंतर्वादीय मामले के लिए रजिस्ट्रार का आदेश प्रपट करने के लिए (जो अन्य प्रकार से भारित न हो) याचिका पर	प्रयोजन	फीस रुपए में
त	उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए प्रकीर्ण फीस के भुगतान के लिए	प्रयोजन	फीस रुपए में
थ	समेकित व्यापारचिह्न या प्रमाणन व्यापारचिह्न के उपयोग के प्रशासन का विनियमन		
	प्रारूप विनियमन की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।		
द	नियम 19 के अधीन अभिकर्त्ता का प्राधिकार दाखिल करने के लिए		
	[अटर्नी की प्रति अवश्य संलग्न की जाय]		
भाग ग [आवेदन/अनुरोध करने वाले व्यक्ति का विवरण और संलग्न दस्तावेज़ का विवरण]			
क	आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा		
	हस्ताक्षर		
	नाम		

IndiaCode

	प्राधिकार	
5	संलग्न दस्तावेज की सूची (यदि कोई हो)	

प्ररूप व्या.चि.-आर

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण/प्रत्यावर्तन
अथवा नवीकरण के लिए अधिभार के भुगतान हेतु आवेदन

सुसंगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाय]			
1	आवेदक		
	*[*यहाँ आवेदक से उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जो जिसकी ओर से अनुरोध दाखिल किया गया है। वह साधारणतया उस चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी होगा।]		
	फीस	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देंखें)	
	नाम:*		
	व्यापार नाम		
	पता:*		
		(राज्य) (देश)	
	सेवार्थ पता:		
		(राज्य) (देश)	
	[(क) अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है।		
	(ख) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]		
	मोबाइल न.:		
	ई-मेल का पता:*		
2	आवेदक के अभिकर्त्ता (यदि कोई हो)		
	नाम:		
	पता		
	मोबाइल न.:		
	ई-मेल का पता:		
	अभिकर्त्ता की प्रकृति		
	*[*आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-		
	*1.*रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता, *2.*अधिवक्ता, *3.*मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]		
	रजिस्ट्रेशन नं.		
	अभिकर्त्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्त्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।		
3	व्यापार चिह्न प्रकार		
	[(क)आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-		
	1. मानक व्यापार चिह्न *2.*सामूहिक चिह्न *3.*प्रमाणीकरण चिह्न *4.*श्रेणी चिह्न		
	(ख) यहाँ मानक चिह्न से सामान्य व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण हेतु किसी आवेदन का आशय है जो सामूहिक या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न अथवा चिह्नों की श्रृंखला ना हो।		
4	व्यापार चिह्न संख्या:		
5	वर्ग		
	(बहुवर्ग के संदर्भ में वर्गों की संख्या का उल्लेख होगा)		
6	के लिए भुगतान (नीचे से चयन करें)		
	व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के पूर्व नवीकरण		

IndiaCode

	अंतिम रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति के बाद 6 महीने के भीतर यदि नवीकरण दाखिल हो	
	रजिस्टर से हटाए गए व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का प्रत्यावर्तन और नवीकरण	
7	आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा	
	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	
8	संलग्न दस्तावेज की सूची	

प्ररुप. चि.-सी

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45(1) के अधीन खोज और प्रमाण पत्र हेतु आवेदन

[संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाय]

1	आवेदक	
	प्रदत्त फीस	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखें)
	नाम:*	
	व्यापार नाम	
	पता:*	
		(राज्य) (देश)
	[यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]	
	सेवार्थ पता:	
		(राज्य) (देश)
	[(क) अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है।	
	(ख) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]	
	मोबाइल न.:	
	ई-मेल का पता:*	
	आवेदक की प्रकृति	
	[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-	
	1. प्रकृत व्यक्ति-एकल स्वत्वधारी, 2. प्रकृत व्यक्ति – भागीदारी 2. फर्म, 3.प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी सहित निकाय-इनकारपोरेट, 4.सीमित देयता साझेदारी, 5.सोसायटी, 6. न्यास, 7. सरकारी विभाग, 8. कानूनी संगठन, 9. कोई अन्य]	
2	आवेदक के अभिकर्त्ता (यदि कोई हो)	
	नाम:	
	पता	
	मोबाइल न.:	
	ई-मेल का पता:	
	अभिकर्त्ता की प्रकृति	
	[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-	
	*1.*रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता, *2.*अधिवक्ता, *3.*मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]	
	रजिस्ट्रेशन नं.	
	अभिकर्त्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्त्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।	
3	त्वरित (हाँ/ना)	
	चित्र/लेबल के लिए जगह	
4	आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा	

IndiaCode

	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	
5	संलग्न दस्तावेज की सूची	

प्ररूप व्या.चि.-ओ

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

माल के भौगोलिक उपदर्शन (विनियमन और संरक्षा) अधिनियम, 1999 के अधीन व्यापार चिह्न को अस्वीकृत या अमान्य करने हेतु रजिस्टर/प्रति कथन में संशोधन के लिए विरोध/आवेदन की सूचना

[संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाय]

1	आवेदक या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/विरोधकर्ता/आवेदन/अनुरोध करने वाला तृतीय पक्ष	
	[*(क) उपर्युक्त में से किसी एक का चयन अवश्य करना होगा जिनकी तरफ से आवेदन/अनुरोध दाखिल किया जा रहा है*	
	(ख) "आवेदक" या " रजिस्ट्रीकृत *स्वत्वधारी" वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका उल्लेख संदर्भित आवेदन या* रजिस्ट्रीकृत *व्यापार चिह्न के संदर्भ में टीएमआर अभिलिखित में है। "विरोधकर्ता" से उस विरोधकर्ता का आशय है जिसका संदर्भ विरोध कार्यवाही में हो अथवा एक आवेदक जो किसी और के व्यापार चिह्न के* रजिस्ट्रीकरण *को बदलने या निरस्त करने की इच्छा से संशोधन हेतु अनुरोध करता है। "तृतीय पक्ष" से उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जो संदर्भित आवेदन/विरोध/संशोधन का कोई पक्षकार ना हो।]*	
	फीस	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देंखें)
	नाम:*	
	व्यापार नाम	
	पता:*	
		(राज्य) (देश)
	सेवार्थ पता:	
		(राज्य) (देश)
	मोबाइल न.:	
	ई-मेल का पता:*	
	[*(क) अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है।*	
	(ख) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]	
	मोबाइल न.:	
	ई-मेल का पता:*	
2	आवेदक या रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी/विरोधकर्ता/तृतीय पक्ष के अभिकर्त्ता जैसा भी संदर्भ हो, (यदि कोई हो)	
	नाम*:	
	पता	
	मोबाइल न.*:	
	ई-मेल का पता*:	
	अभिकर्त्ता की प्रकृति	
	[*आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-*	
	1. *रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता*, 2. *अधिवक्ता*, 3. *मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]*	
	रजिस्ट्रीकरण संख्याः	
	अभिकर्त्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्त्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।	

IndiaCode

3	प्रयोजन इस स्तंभ को तीन उपश्रेणियों मे विभाजित किया गया है और इसका चयन आवेदक द्वारा अपेक्षानुरूप किया जाएगा और इसी प्रकार से भरा जाएगा।		
क	विरोध/संशोधन दाखिल करने के लिए		
	आवेदन/रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न संख्या		वर्ग
	व्यापार चिह्न		
	प्रकाशित आवेदन की जरनल संख्या		
	[*जरनल प्रकाशन की एक प्रति संलग्न करें*]		
	विरोध /संशोधनका आधार		
	[*विरोध का आधार/संशोधन के लिए आवेदन का विस्तृत विवरण दिया जाय और विरोधकर्ता/संशोधन हेतु आवेदनकर्ता द्वारा सत्यापित हो तथा वह संलग्न किया जाय*]		
ख	के मामले में(प्रतिकथन फाइल करने के लिए)		
	विरोध/संशोधन संख्या		वर्ग
	आवेदन/रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न संख्या		
	प्रतिकथन का ब्यौरा		
	[*प्रतिकथन का विस्तृत विवरण दिया जाय और विरोधकर्ता/संशोधन हेतु आवेदनकर्ता द्वारा सत्यापित हो तथा वह संलग्न किया जाय*]		
ग	भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 25(क)(ख) के तहत व्यापार चिह्न को इंकार या अमान्य करने हेतु अनुरोध		
	आवेदन/रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न संख्या		वर्ग
	संदर्भ का कथन	*[संदर्भ के कथन का विस्तृत विवरण दिया जाय और आवेदनकर्ता द्वारा सत्यापित हो तथा इसके समर्थन में आवेदक का शपथ पत्र संलग्न किया जाय]*	
4	आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का ब्यौरा		
	हस्ताक्षर		
	नाम		
	प्राधिकार		
5	संल्गन दस्तावेज की सूची, यदि कोई हो		

IndiaCode

प्ररूप व्या.चि.-पी

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

व्यापार चिह्न में रजिस्ट्रीकरण के बाद परिवर्तन के लिए आवेदन

यह प्ररूप तीन भागों अर्थात क, ख, और ग में विभाजित है।

भाग क और ग को भरना अनिवार्य है।

भाग ख को पुनः कई उपश्रेणियों में विभाजित किया गया है और इसका अपेक्षानुरूप चयन आवेदक द्वारा किया जाएगा और उसी अनुसार इसे भरा जाएगा।

[टिप्पण : एक प्ररूप केवल एक अनुरोध के लिए है। पृथक अनुरोधों के लिए पृथक अनुरोध दाखिल किया जाएगा।एक प्ररूप में एक से अधिक अनुरोध का दावा करने की स्थिति में प्रथम स्वीकृत होगा और शेष अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

*[(क)*एक प्ररूप केवल एक परिवर्तन के अनुरोध के लिए है। पृथक परिवर्तनों के लिए पृथक अनुरोध दाखिल किया जाएगा

(ख) संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाय]

	भाग क [आवेदक का विवरण]	
	[*यहाँ आवेदक से उस व्यक्ति से अभिप्रेत है जो जिसकी ओर से अनुरोध प्रस्तुत किया गया है। वह साधारणतया उस चिह्न का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या किसी समनुदेशन या हस्तांतरण के कारण चिह्न केपरवर्ती स्वत्वधारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति होगा।*]	
	फीस	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देंखें)
	नाम:*	
	व्यापार नाम	
	पता:*	
		(राज्य) (देश)

	सेवार्थ पता:	
		(राज्य) (देश)
	[(*क) अन्यथा विशिष्ट रूप से वर्णित ना होने पर आवेदक का पता वही होगा जो भारत में व्यवसाय के मुख्य स्थान के रूप में आवेदक का सेवार्थ पता है।*	
	(ख) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय ना करता हो तब भी भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाएगा।]	
	मोबाइल न.:	
	ई-मेल का पता:*	
2	आवेदक के अभिकर्त्ता (यदि कोई हो)	
	नाम*:	
	पता* *[अभिकर्त्ता को प्राधिकार दिए जाने की स्थिति में अभिकर्त्ता का पता आवेदक के सेवार्थ पते के रूप में उल्लिखित होगा।]*	
	मोबाइल न.*:	
	ई-मेल का पता*:	
	अभिकर्त्ता की प्रकृति	
	[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें- *1.*रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता, *2.*अधिवक्ता, *3.*मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]	
3	व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के संशोधन के लिए विस्तृत अनुरोध/आवेदन	
	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न संख्या:	
	[*एक से अधिक व्यापार चिह्न के लिए अनुरोध किए जाने की स्थिति में प्रथम व्यापार चिह्न संख्या लिखी जाएगी]*	
	अतिरिक्त संख्या, यदि कोई हो	
	चिह्न के प्रकार	
	[(*क)आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-*	
	1. *मानक व्यापार चिह्न* 2.*सामूहिक चिह्न* 3.*प्रमाणीकरण चिह्न* 4.*श्रेणी चिह्न*	
	यहाँ मानक चिह्न से सामान्य व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण हेतु किसी आवेदन का आशय है जो सामूहिक या प्रमाणीकरण व्यापार चिह्न अथवा चिह्नों की श्रृंखला ना हो।	
	भाग ख: अनुरोध का प्रयोजन [आवेदन स्तंभ को भरने के अनुसार चिह्नित करना होगा]	
क	स्वत्वधारी/ रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के विवरण में संशोधन हेतु अनुरोध [एक आवेदन में एक ही अनुरोध किया जा सकता है]	
	में संशोधन का अनुरोध किया गया	
	स्वत्वधारी/ रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का नाम:	
	[*इस खंड का प्रयोग केवल तब ही किया जाएगा जब समनुदेशन या हस्तांतरण द्वारा चिह्न की स्वत्वधारिता में कोई परिवर्तन ना हो]*	
	पता:	
	सेवा का पता:	
	अभिकर्त्ता/एटॉर्नी का विवरण:	
	[*उपर्युक्त में से किसी एक का चयन किया जाय और उनके सम्मुख स्तंभ में अनुरोध किए गए परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख हो]*	
ख	व्यापार चिह्न में संशोधन	*प्रस्तावित व्यापार चिह्न की प्रविष्टि करें या चिपकाए*
	रजिस्टर से माल या सेवाओं को हटाना	*[अनुरोध किए गए परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख हो]*
	माल और सेवाओं के निर्देश का संपरिवर्तन	*[अनुरोध किए गए परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख हो]*
ग	रजिस्ट्रीकरण का निरस्तीकरण	*[अनुरोध किए गए पंजीकरण के निरस्तीकरण का स्पष्ट उल्लेख हो]*
घ	एक रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न और अन्य व्यापार चिह्न के बीच संगम का विघटन	

IndiaCode

	रजिस्ट्रीकृत व्यापार संख्या	[वह व्यापार चिह्न संख्या लिखे जिसका संबंध संदर्भित रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न से है जिसके विघटन का अनुरोध किया गया है]
ङ	रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के समनुदेशन या हस्तांतरण	
	समनुदेशन	
	समनुदेशन विलेख या हस्तांतरण की तारीख अधिग्रहण की तारीख से अवधि के भीतर दाखिल अनुरोध	
		6 महीने के भीतर
		12 महीने के भीतर
		12 महीने के बाद
		[उपर्युक्त में से किसी एक का चयन अवश्य किया जाय]
च	भारत के विभिन्न भाग के लिए विभिन्न लोगों को समनुदेशन	
	प्रस्तावित समनुदेशी का नाम	
	प्रस्तावित समनुदेशी का पता	
	[*(क) यदि एक से अधिक समनुदेशी हों तो समनुदेशियों के विवरण उनके सम्मुख खाने में किया जाय]*	
	[*(ख) कृपया प्रस्तावित समनुदेशी के साथ क्षेत्र निर्दिष्ट किया जाय]*	
छ	धारा 40(2) के अधीन रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र	
	प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध	
	[धारा *40(2)* के अनुसार अनुरोध के विवरण का उल्लेख यहाँ किया जाएगा और समनुदेशन की प्रति के साथ संदर्भ का कथन अवश्य दाखिल किया जाय]	
ज	धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रार का अनुमोदन	
	अनुमोदन हेतु अनुरोध	
	[धारा *41* के अनुसार अनुरोध के विवरण का उल्लेख यहाँ किया जाएगा और समनुदेशन या हस्तांतरण की प्रति के साथ संदर्भ का कथन अवश्य दाखिल किया जाय]	
झ	व्यापार चिह्न की साख के बिना समनुदेशन के विज्ञापन हेतु रजिस्ट्रार के निर्देश के लिए धारा 42 के अधीन आवेदन	
	निर्देश हेतु अनुरोध	
	[*धारा 42 के अनुसार अनुरोध के विवरण का उल्लेख यहाँ किया जाएगा और समनुदेशन या हस्तांतरण की प्रति के साथ संदर्भ का कथन अवश्य दाखिल किया जाय]*	
ञ	समनुदेशन के लिए रजिस्ट्रार की सहमति या प्रमाणन व्यापारचिह्न के पारेषण के लिए आवेदन	
	प्रस्तावित समनुदेशन का प्रारूप विलेख और संदर्भ के कथन हलफनामे के साथ दाखिल किया जाय	
ट	व्यापार चिह्न की साख के बिना समनुदेशन के विज्ञापन हेतु रजिस्ट्रार के निर्देश के लिए धारा 42 के अधीन समय के विस्तार हेतु आवेदन	
	समय विस्तार हेतु आवेदन	
	[धारा 42 के अनुसार विवरण का उल्लेख यहाँ अवश्य किया जाय]	
	अधिग्रहण या विघटन की तारीख से अवधि के भीतर दाखिल आवेदन	
		1 माह से अधिक नहीं
		2 माह से अधिक नहीं
		3 माह से अधिक नहीं
ठ	कंपनी को व्यापार चिह्न के परवर्ती स्वत्वधारी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए धारा 46(4) के तहत समय विस्तार हेतु आवेदन	
	समय विस्तार हेतु आवेदन	
	[धारा 46(4) *के अनुसार विवरण का उल्लेख यहाँ अवश्य किया जाय]*	
	अवधि के भीतर दाखिल आवेदन	दो माह से अधिक नहीं
		चार माह से अधिक नहीं
		छः माह से अधिक नहीं
		[उपर्युक्त में से किसी एक का चयन करें]

IndiaCode

	भाग ग [आवेदन/अनुरोध करने वाले व्यक्ति और दस्तावेज़ का ब्यौरा दाखिल किया जाता है]	
क	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	
ख	संलग्न दस्तावेज की सूची	

प्ररूप व्या.चि.-यू

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

निरस्तीकरण/बदलाव की कार्रवाई में हस्तक्षेप के प्रयोज्य की नोटिस और रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के बदलाव/ रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के निरस्तीकरण रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन

यह प्ररूप तीन भागों अर्थात क, ख, और ग में विभाजित है।

भाग क और ग को भरना अनिवार्य है।

भाग ख को पुनः कई उपश्रेणियों में विभाजित किया गया है और इसका अपेक्षानुरूप चयन आवेदक द्वारा किया जाएगा और उसी अनुसार इसे भरा जाएगा।

[टीप्पण : एक प्ररूप केवल एक अनुरोध के लिए है। पृथक अनुरोधों के लिए पृथक अनुरोध दाखिल किया जाएगा।एक प्ररूप में एक से अधिक अनुरोध का दावा करने की स्थिति में प्रथम स्वीकृत होगा और शेष अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

*[(*क)एक प्ररूप केवल एक परिवर्तन के अनुरोध के लिए है। पृथक परिवर्तनों के लिए पृथक अनुरोध दाखिल किया जाएगा

*(*ख) संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाय]

	भाग क [आवेदक का विवरण]	
	संदर्भ रजिस्ट्रीकरण की प्रकृति	
	[(*क) आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-*	
	1. *मानक व्यापार चिह्न* 2. *सामूहिक चिह्न* 3. *प्रमाणीकरण चिह्न* 4. *श्रेणी चिह्न*	
	(*ख) सामूहिक चिह्न या प्रमाणीकरण चिह्न के संदर्भ में प्ररूप व्या.चि.-एम के साथ प्रारूप विनियमन अवश्य दाखिल किया जाएगा।]*	
	प्रदत्त फीस	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देंखें)
1	आवेदक का विवरण	
क	रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का नाम:*	
	व्यापार नाम:	
	पता:*	
		(राज्य) (देश)
	मोबाइल न.:	
	ई-मेल का पता:*	
	रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का सेवार्थ पता	
		(राज्य) (देश)
ख	प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता का नाम*:	
	प्रस्तावित उपयोक्ता की प्रवृत्ति	
	[*आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें-*	
	1. *प्रकृत व्यक्ति-एकल स्वत्वधारी*, 2. *प्रकृत व्यक्ति – भागीदारी फर्म*, 3. *प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी सहित बॉडी-इंकॉर्पोरेट*, 4. *सीमित देयता साझेदारी*, 5. *सोसायटी*, 6. *न्यास*, 7. *सरकारी विभाग*, 8. *कानूनी संगठन*, 9. *कोई अन्य]*	
ख	व्यापार नाम:	
	पता:*	
		(राज्य) (देश)
	मोबाइल न.:	
	ई-मेल का पता:*	
	रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी का सेवार्थ पता	
		(राज्य) (देश)

IndiaCode

ग	हस्तक्षेपकर्ता का नाम:*	
	व्यापार नाम:	
	पता:*	
		(राज्य) (देश)
	मोबाइल न.:	
	ई-मेल का पता:*	
[यह पता भारत में आवेदक के प्रमुख व्यवसाय का पता होना चाहिए] *[(क) जबतक कि अन्यथा स्पष्ट उल्लिखित न हो, आवेदक का पता ही उसका सेवार्थ पता होगा जिसका भारत में मुख्य व्यवसाय स्थान हो।* *(ख) यदि आवेदक भारत में व्यवसाय नहीं करता हो तो उसका भारत में सेवार्थ पता अवश्य दिया जाय।]*		
2	आवेदक के अभिकर्त्ता (यदि कोई हो)	
क	रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के अभिकर्ता	
	नाम:	
	पता:	
	मोबाइल न.*:	
	ई-मेल का पता*:	
	अभिकर्त्ता की प्रकृति	
ख	प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के अभिकर्ता	
	नाम:	
	पता:	
	मोबाइल न.*:	
	ई-मेल का पता*:	
	अभिकर्त्ता की प्रकृति	
	[आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक का चयन करें- *1.*रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता, *2.*अधिवक्ता, *3.*मान्यता प्राप्त एटॉर्नी]	
	रजिस्ट्रेशन नं. जिसके संदर्भ में अनुरोध किया गया है	
	वर्ग:	
	भाग ख: अनुरोध का प्रयोजन [आवेदन स्तंभ को भरने के अनुसार चिह्नित करना होगा]	
क	रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण हेतु अनुरोध	
	माल और सेवा का विवरण	
	अवधि	से.....तक
	शर्त यदि कोई हो	
ख	माल/सेवा या शर्त/बाधा से संबंधित रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण में बदलाव हेतु	
	अनुरोध किए बदलाव का विवरण	
ग	रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण का निरस्तीकरण	
	निरस्तीकरण का आधार	
		आधार का कथा व्या. चि.-यू के साथ संलग्न करना होगा।
घ	रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में अंतर या निरस्तीकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के इरादे का नोटिस	
	कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का आधार	
	भाग ग [आवेदन/अनुरोध करने वाले व्यक्ति और दस्तावेज़ का ब्यौरा दाखिल किया जाता है]	
	आवेदक (आवेदकों) का ब्यौरा	
	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	
	संलग्न दस्तावेज की सूची	

IndiaCode

प्ररूप व्या. चि.-जी

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण/प्रत्यावर्तन/परिवर्तन

संगत सूचना प्रत्येक शीर्ष के समक्ष रंगीन खाने में अवश्य भरी जाय]		
	भाग क [आवेदक का विवरण]	
	प्रदत्त फीस	(उपयुक्त फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखें)
	उपनाम से शुरू करते हुए पूरा नाम	
	पिता/पति का नाम *	
	आवास का पता*	
		(राज्य) (देश)
	व्यवसाय का मूल स्थान	
		(राज्य) (देश)
	राष्ट्रीयता*	
	मोबाइल न.*:	
	ई-मेल का पता*:	
	भाग ख: अनुरोध का प्रयोजन [आवेदन कॉलम को भरने के अनुसार चिह्नित करना होगा]	
क	व्यापार चिह्न अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का आवेदन	
	जन्म स्थान और तारीख	
	व्यवसाय का पूर्ण विवरण	
	व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु अर्हता का विवरण	
	क्या किसी समय व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता के रजिस्टर से हटाए गए और यदि ऐसा हो तो उसका विवरण दें	
ख	व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के नवीकरण/प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन	
	व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता संख्या	
	नाम:	
	पता	
	मोबाइल न.:	
	ई-मेल का पता:	
i	निरंतरता की अवधि	से.....तक
ii	पिछले रजिस्ट्रीकरण की समाप्ती की तारीख	
	वह अवधि जिसके बाद प्रत्यावर्तन या निरंतरता का अनुरोध दाखिल किया गया [निम्न उल्लिखित से उपयुक्त चयन करें] • *छः माह के बाद लेकिन हटाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर* • *एक वर्ष के बाद लेकिन हटाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर* • *दो वर्ष के बाद लेकिन हटाने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर*	
ग	व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता के रजिस्टर में परिवर्तन हेतु आवेदन	
	व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता संख्या:	
	नाम:	
	विवरण इस प्रकार बदले जाएं	
	नाम:	
	निवास स्थान का पता	
	व्यवसाय के मूल स्थान का पता	
	शैक्षणिक योग्यता	
	मोबाइल न.:	

India Code

	ई-मेल का पता:	
	भाग ग [आवेदन/अनुरोध करने वाले व्यक्ति और दस्तावेज़ का ब्यौरा दाखिल किया जाता है]	
	हस्ताक्षर	
	नाम	
	प्राधिकार	
	संलग्न दस्तावेज की सूची	

तृतीय अनुसूची
रजिस्ट्रार के उपयोग के लिए प्ररूप
प्ररूपों की सूची

प्ररूप सं.	धारा	शीर्षक
आर जी-1	23(3)	रजिस्ट्रीकरण के पूरा न होने की नोटिस
आर जी-1	23(2)	व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र
आर जी-1	25(3)	अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान की सूचना
आर जी-1	नियम 149	व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता के रूप में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

प्ररूप आर जी-1
भारत सरकार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999
रजिस्ट्रीकरण के पूरा न होने की सूचना धारा 23(3) नियम 52

सं.----------

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 23(3) द्वारा यथा अपेक्षित सूचना दी जाती है, कि उस व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण, जिसकी, बाबत----------20---------- को उपरोक्तानुसार संख्याकित आवेदन किया गया था, आवेदक की चूक के कारण पूरा नहीं हुआ है। यदि इस सूचना की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण पूरा नहीं कर दिया जाता, तो आवेदन को परित्यक्त मान लिया जाएगा।

इस आवेदन से संबंधित सभी संसूचनाएं भारत में निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकेगी:-

तारीख----------20---------

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

सेवा में,

प्ररूप आर जी-2
भारत सरकार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999
व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र (धारा 23(2), नियम 56(1))

व्यापार चिह्न सं.----------

तारीख----------

प्रमाणित किया जाता है कि व्यापार चिह्न जिसकी समाकृति इसके साथ संलग्न है---------- की बाबत---------- तारीख---------- के सं. के अधीन ---------- वर्ग में ---------- के नाम में रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रीकृत किया गया है। तारीख----------20---------- को मेरे निदेशानुसार मुद्रांकित किया गया।

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

रजिस्ट्रीकरण, ऊपर उल्लिखित पहली तारीख से 10 वर्ष के लिए है और तब इसे 10 वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी नवीकरण किया जा सकेगा [व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 25 और व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 57 से 61 देखें]

यह प्रमाणपत्र विधिक कार्यवाही में या विदेश में रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्ति के उपयोग के लिए नहीं है।

IndiaCode

टिप्पण- इस व्यापार चिह्न के स्वामित्व में कोई परिवर्तन, या भारत में कारबार के प्रधान स्थान के पता या सेवा के लिए पते में परिवर्तन होने पर तुरंत परिवर्तन को रजिस्टर करने के लिए आवेदन किया जाना चाहिए।

प्ररूप आर जी-3

भारत सरकार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र (धारा 23(2), नियम 58(1))

रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न सं.----------

वर्ग ----------

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 25(3) द्वारा यथा अपेक्षित सूचना दी जाती है, कि पूर्वोक्त व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण ---------- को समाप्त होगा और यह कि तारीख ---------- को यह उससे पहले ---------- रुपए की विहित फीस सहित संलग्न व्या.चि.-12 पर आवेदन के व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में प्राप्त होने पर 10 वर्ष की और अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण किया जा सकेगा।

तारीख----------20---------

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

प्ररूप आर जी-4

भारत सरकार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999

व्यापार चिह्न अभिकर्त्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र (नियम 149)

सं.----------

प्रमाणित किया जाता है कि ---------- के ----------को तारीख ---------- 20---------को, व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 149 के अधीन रखे गए व्यापार चिह्न अभिकर्त्ताओं के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण किया गया था।

रजिस्ट्रार, व्यापार चिह्न

चौथी अनुसूची

प्रविष्टि संख्या	यह मामला जिसके लिए खर्च अधिनिर्णीत किया जाना है	राशि (रुपए में)
1	एक दिन की ऐसी सुनवाई के लिए जिसके अन्तर्गत साक्षियों से परीक्षा की जाती है	1,000
2	जहां साक्षियों से कोई परीक्षा नहीं हुई है वहां एक दिन की सुनवाई के लिए	500
3	किसी पक्षकार की याचना पर सुनवाई का स्थगन मंजूर करने के लिए	1,000 रुपए और उस दिन जिनकी परीक्षा होनी थी उन्हे पुन: आहूत करने का खर्च।
4	शपथपत्र से विवादित विषय निकाल देने के लिए	5,000
5	यदि युक्तिसंगत नोटिस के बाद विरोध दाखिल करने पर आवेदक द्वारा विरोध कार्यवाही का विरोध नहीं करने के लिए	10,000
6	विरोध कार्यवाही में प्रतिकथन दाखिल करने के बाद विरोधकर्ता द्वारा विरोध कार्यवाही का विरोध नहीं करने के लिए	10,000
7	साक्षियों की हाजिरी के लिए जीवन निर्वाह भत्ता यात्रा भत्ता	1,000 रुपए (निम्नलिखित टिप्पण देखिए) प्रत्येक तरफ का प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग का रेलगाड़ी या स्टीमर का भाड़ा और यदि रेलगाड़ी या स्टीमर वहां न चलता हो तो साक्षी के ओहदे या हैसियत के हिसाब में 50 रुपए या 20 रुपए प्रति किलोमीटर होगा।
टिप्पण- साक्षियों के लिए जीवन निर्वाह भत्ते और यात्रा भत्ते की दरों में परिवर्तन उपर्युक्त निर्दिष्ट अधिकतम राशि के अध्यधीन साक्षियों की हैसियत के अनुसार होगा।		

रजिस्ट्रार के समक्ष नियम 118 की कार्यवाहियों में अनुमत्त परिमाण लागत

[सं. 8/16/2015-आईपीआर-IV-पार्ट-I]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2017

G.S.R. 199(E).—Whereas a draft of certain rules, namely, the Trade Marks Rules, 2015 were published as required under sub-section (4) of section 157 of Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 879 (E) dated, the 17th November, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the Gazette were made available to the public on the 17th November, 2015;

And whereas, objections and suggestions have been received from various persons and stakeholders within the specified period in respect of the draft rules contained in the said notification and all the objections and suggestions have been duly consulted by the Central Government Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules in supersession of the to replace Trade Marks Rules, 2002, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, namely:-

IndiaCode

PART I

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Trade Marks Rules, 2017.

(2) They shall come into force on date of publication in the official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, **—**

(a) "Act" means the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999);

(b) "agent" means a person authorised to act as such under section 145 of the Act;

(c) "application for registration of a trademark" includes the trademark for goods or services contained in it;

(d) "appropriate office of the Trade Marks Registry" means the relevant office of the Trade Marks Registry as specified in rule 4;

(e) "class fee" means the fee prescribed for the filing of an application for registration of a trademark in a particular class;

(f) "convention country" means a country or group of countries or union of countries or Inter-Governmental organisations of countries declared as such under sub-section (1) of section 154;

(g) "convention application" means an application for registration of a trademark made by virtue of section 154;

(h) "divisional application" means-

(i) an application containing a request for the division of goods or services in a class for the registration of a trade mark; or

(ii) a divided application made by the division of a single application for the registration of a trade mark for separate classes of goods or services;

(i) "divisional fee" means fee prescribed against entry no. 14 in the First Schedule;

(j) "Form" means a form set forth in either the Second or the Third Schedule;

(k) "graphical representation" means the representation of a trademark for goods or services represented or capable of being represented in paper form and includes representation in digitised form;

(l) "Journal" means the trademarks Journal made available at official website of Controller General of Patents, Designs and Trade Marks;

(m) "notified date" means the date on which these rules come into force;

(n) "old law" means the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 and rules made there under existing immediately before the commencement of the Act;

(o) "opposition" means an opposition to the registration of a trademark or a collective trademark or a certification trademark, as the case may be and includes an opposition to grant of protection to an international registration designating India and opposition to alteration of registered trademark;

(p) "principal place of business in India" means the relevant place in India as specified in rule 3;

(q) "publish" means published in the trademarks Journal made available on the official website of Controller General of Patents, Designs and Trademarks;

(r) "registered trademark agent" means a trademark agent whose name is actually on the register of trademarks agents maintained under rule 142;

(s) "renewal" means and includes renewal of registration of a trademark, certification trademark or collective trademark, as the case may be;

(t) "schedule" means a Schedule to the rules;

(u) "section" means a section of the Act;

(v) Small Enterprise means:

(i) in case of an enterprise engaged in the manufacture or production of goods, an enterprise where the investment in plant and machinery does not exceed the limit specified for a medium enterprise under clause (a) of sub-section (1) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006); and

(ii) In case of an enterprise engaged in providing or rendering of services, an enterprise where the investment in equipment is not more than the limit specified for a medium enterprise under clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

Explanation: "enterprise" means an industrial undertakings or a business concern or any other establishment, by whatever name called, engaged in the manufacture or production of goods in any manner pertain to any industry specified in the first schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) or engages in providing or rendering or any services or services in such an industry.

(iii) In case of a foreign enterprise, an enterprise which fulfills the requirements as mentioned in clauses (i) and (ii) above.

Explanation: In calculating the investment in the plant and machinery, reference rates of foreign currency of Reserve Bank of India shall prevail.

(w) "specification" means the designation of goods or services in respect of which a trademark or a registered user of a trademark is registered or proposed to be registered;

(x) "Startup" means

(i) an entity in India recognised as a startup by the competent authority under Startup India initiative,

(ii) In case of a foreign entity, an entity fulfilling the criteria for turnover and period of incorporation / registration as per Startup India Initiative and submitting declaration to that effect.

Explanation: In calculating the turnover, reference rates of foreign currency of Reserve Bank of India shall prevail.

(y) All other words and expressions used but not defined in these rules but defined in the Act or in the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999), the Copyright Act, 1957 (14 of 1957) shall have the meanings assigned to them in those Acts.

(2) In these rules, except as otherwise indicated, a reference to a section is a reference to that section in the Act, a reference to a rule is a reference to that rule in these rules, a reference to a Schedule is a reference to that Schedule to

IndiaCode

these rules and a reference to a Form is a reference to that Form contained in the Second Schedule or the Third Schedule, as the case may be, to these rules.

3. Principal place of business in India.— "Principal place of business in India" means—

(i) where a person carries on business in the goods or services concerned in a trademark —

(a) if the business is carried on in India at only one place, that place;

(b) if the business is carried on in India at more places than one, the place mentioned by him as the principal place of business in India;

(ii) where a person is not carrying on a business in the goods or services concerned in a trademark—

(a) if he is carrying on any other business in India at only one place, that place;

(b) if he is carrying on any other business in India at more places than one, the place mentioned by him as the principal place of business in India; and

(iii) where a person does not carry on any business in India but has a place of residence in India, then such place of residence in India.

4. Appropriate office of the Trade Marks Registry.— The appropriate office of the Trade Marks Registry for the purposes of making an application for registration of a trademark under section 18 or for giving notice of opposition under section 21 or for making an application for removal of a trademark under section 47 or cancelling or varying the registration of a trademark under section 57 or for any other proceedings under the Act and the rules shall be —

A. in relation to a trademark on the Register of Trade Marks at the notified date, the office of the Trade Marks Registry within whose territorial limits—

(i) the principal place of business in India of the registered proprietor of the trademark as entered in the register at such date is situate;

(ii) where there is no entry in the register as to the principal place of business in India of the registered proprietor, the place mentioned in the address for service in India as entered in the register at such date is situate;

(iii) in the case of jointly registered proprietors, the principal place of business in India of the proprietor whose name is entered first in the register as having such place of business in India at such date is situate;

(iv) where none of the jointly registered proprietors is shown in the register as having a principal place of business in India, the place mentioned in the address for service in India of the joint proprietors as entered in the register at such date, is situate;

(v) if no principal place of business in India of the registered proprietor of the trademark or in the case of joint registration, of any of the joint proprietors of the trademark, is entered in the register, and the register does not contain any address for service in India, the place of the office of the Trade Marks Registry where the application for registration of the trademark was made, is situate, and

B. in relation to a trademark for which an application for registration is pending at the notified date or is made on or after the notified date, the office of the Trade Marks Registry within whose territorial limits—

(i) the principal place of business in India of the applicant as disclosed in the application or, in the case of joint applicants, the principal place of business in India of the applicant whose name is first mentioned in the application, as having such place of business is situate;

(ii) where neither the applicant nor any of the joint applicants, as the case may be, has a principal place of business in India, the place mentioned in the address for service in India as specified in the application is situate.

5. Jurisdiction of appropriate office not altered by change in the principal place of business or address for service.— No change in the principal place of business in India or in the address for service in India, as the case may be,—

A. of a registered proprietor or of any of the jointly registered proprietors in relation to any trademark on the register at the notified date, made or effected subsequent to that date; or

B. of an applicant for registration or of any of the joint applicants for registration in relation to any trademark for which an application for registration is either pending at the notified date or is made on or after that date, made or effected subsequent to that date or to the date of filing of such application, as the case may be,

shall affect the jurisdiction of the appropriate office of the Trade Marks Registry.

6. Entry of the appropriate office in the Register. — In respect of every trademark on the register at the notified date or registered thereafter the Registrar shall cause to be entered in the register, the appropriate office of the Trade Marks Registry and the Registrar may, at any time, correct any error in the entry so made.

7. Transfer of pending applications and proceedings to appropriate offices of the Trade Marks Registry. — Every application and proceeding pending before the Registrar at the notified date in relation to a trademark shall be deemed to have been transferred to the appropriate office of the Trade Marks Registry.

8. Leaving of documents, etc.— All applications, notices, statements or other documents or any fees authorised or required by the Act or the rules to be made, served, left or sent or paid at or to the Trade Marks Registry in relation to a trademark on the Register of trademarks on the notified date or for which an application for registration is pending on, or is made on or after the notified date, shall be made, served, left or sent or paid to the appropriate office of the Trade Marks Registry:

Provided that the Registrar may, by notification in the journal, permit the filing of certain forms or documents, other than the application for the registration of a trademark in any other office of the Trade Marks Registry.

9. Issue of notices etc.—Any notice or communication relating to an application, matter or proceeding under the Act or the rules may be issued by the Head of Office or any other officer authorised by the Registrar.

10. Fees. — (1) The fees to be paid in respect of applications, oppositions, registration, renewal, expedited processing of application or any other matters under the Act and the rules shall be those as specified in the First Schedule.

(2) Where in respect of any matter, a fee is required to be paid under the rules, the form or the application or the request of the petition thereof, it shall be accompanied by the prescribed fee.

(3) Fees may be paid electronically or in cash or sent by money order addressed to the Registrar or by a bank draft issued or by a banker's cheque drawn on a scheduled bank at the place where the appropriate office of the Trade Marks Registry is situated and if sent through post shall be deemed to have been paid at the time when the money order or the properly addressed bank draft or banker's cheque is received in the office.

(4) Bank drafts and banker's cheque shall be crossed and made payable to the Registrar at the appropriate office of the Trade Marks Registry and they shall be drawn on a scheduled bank at the place where the appropriate office of the Trade Marks Registry is situate.

(5) Where a fee is payable in respect of filing of a document and where the document is filed without fee or with insufficient fee, such document shall be deemed not to have been filed for the purposes of any proceedings under these rules.

11. Forms. — (1) The Forms set forth in the Second and the Third Schedules shall be used in all cases to which they are applicable and may be modified as directed by the Registrar to meet other cases.

(2) Any Form, when filed at the Trade Marks Registry, shall be accompanied by the prescribed fee.

(3) A requirement under this rule to use a Form as set forth in the Schedule shall be satisfied by the use of a replica of that Form containing all the information required by the Form as set forth and complies with any direction as to the use of such a Form.

(4) The Registrar may after informing the public in the Journal or through public notice on official website specify such Forms as are required to be submitted in electronic mode. Thereafter, such Forms shall be completed in such manner as may be laid down by the Registrar so as to permit an automated input of the content into a computer by character recognition or scanning.

12. Size, etc of documents.— (1) Subject to any other directions that may be given by the Registrar, all applications, notices, statements, or other documents except trademarks, authorised or required by the Act or the rules made thereunder, served, left or sent, at or to the Trade Marks Registry or with or to the Registrar shall be typewritten and printed in Hindi or in English in legible characters with deep permanent ink upon strong paper of A-4 or legal size on one side only, and shall have on the left hand side thereof a margin of not less than four centimeters.

(2) Duplicate documents including copies of trademark shall be filed at the Trade Marks Registry if at any time required by the Registrar.

(3) The Registrar may after informing the public in the Journal alter the size, of all such applications, notices, statements or other document and forms required under the rules to make it compatible in electronic mode.

(4) The Registrar may, after informing the public in the Journal, permit the filing of applications, statements, notices or other documents by electronic mode subject to such guidelines and instructions as he may specify in the Journal.

13. Signing of documents. — (1) Any document required to be signed under the Act and the Rules shall be signed by the applicant or opponent or by a person duly authorised for the purpose.

(2) Signatures to any documents shall be accompanied by the name of the signatory in Hindi or in capital letters, in English.

(3) In case of online filing of the document, the expression 'Signing' includes digital signature.

14. Service of documents. — (1) All applications, notices, statements, papers having representations affixed thereto, or other documents authorised or required by the Act or the rules made thereunder, served, left or sent, at or to the Trade Marks Registry or with or to the Registrar or any other person may be delivered by hand or sent through the post by a prepaid letter or may be submitted electronically in the manner as laid down by the Registrar.

(2) An application or any document so sent shall be deemed to have been made, served, left or sent at the time when the letter containing the same would be delivered in the ordinary course of post.

(3) In proving such sending, it shall be sufficient to prove that the letter was properly addressed and put into the post.

(4) After the filing of an application in the Trade Marks Registry, any person while making any correspondence relating thereto shall furnish the following particulars, namely:—

(a) the application number or numbers, if any;

(b) the date and place of filing;

(c) the appropriate class or classes, as the case may be, in relation to which the application is filed;

(d) an address for communication; and

(e) the concerned agent's code, if any, and the concerned Proprietor's code, if allotted.

(5) The Registrar after informing the public in the Journal may accept applications, notices, statements, or other documents online through the gateway provided for this purpose, or in case of documents not requiring the payment of a fee, through e-mail to a designated email address for the purpose.

15. Particulars of address etc. of applicants and other persons.— (1) Names and addresses of the applicants and other persons shall be given in full, together with their nationality, and such other particulars as may be necessary for identification.

(2) In the case of a partnership firm, the full name and nationality of every partner thereof shall be given.

(3) In the case of an application from a convention country and persons having no principal place of business in India, their addresses in their home country shall be given in addition to their address for service in India.

(4) In the case of a body corporate or firm, the country of incorporation or the nature of registration, if any, as the case may be, shall be given.

16. Statement of principal place of business in India in the application. — (1) Every application for registration of a trademark shall state the principal place of business in India, if any, of the applicant or in the case of joint applicants, of such of the joint applicants, a principal place of business in India and the same shall be the address of the applicant.

(2) Subject to the provisions of rules 17, 18 and 20, any written communication addressed to an applicant or in the case of joint applicants to a joint applicant, in connection with the registration of a trademark, at the address of his principal place of business in India given by him in the application shall be deemed to be properly addressed.

17. Address for service.— (1) Every applicant or opponent or any person concerned in any proceeding under the Act or rules shall furnish to the Registrar an address for service in India comprising of a postal address in India and a valid e-mail address and such address shall be treated as the address for service of such applicant or opponent or person:

Provided that a trademark agent shall also be required to furnish a mobile number registered in India.

(2) Any written communication addressed to a person as aforesaid at an address for service in India given by him shall be deemed to be properly addressed.

IndiaCode

(3) Unless an address for service in India as required in sub-rule (1) is given, the Registrar shall be under no obligation to send any notice that may be required by the Act or the rules and no subsequent order or decision in the proceedings shall be called in question on the ground of any lack or non-service of notice.

18. Service of Documents by the Registrar. — (1) All communications and documents in relation to application or opposition matter or registered trademark may be served by the Registrar by leaving them at, or sending them by post to the address for service of the party concerned or by email communication.

(2) Any communication or document so sent shall be deemed to have been served, at the time when the letter containing the same would be delivered in the ordinary course of post or at the time of sending the email.

(3) To prove such service, it shall be sufficient to prove that the letter was properly addressed and put into the post or the email communication was sent to the email id provided by the party concerned.

19. Agency.— (1) The authorisation of an agent for the purpose of section 145 shall be executed in Form TM-M.

(2) In the case of such authorisation, service upon the agent of any document relating to the proceeding or matter shall be deemed to be service upon the person so authorising him; all communications directed to be made to such person in respect of the proceeding or matter may be addressed to such agent, and all appearances before Registrar relating thereto may be made by or through such agent.

(3) In any particular case, the Registrar may require the personal signature or presence of an applicant, opponent, proprietor, registered user or other person.

(4) In case of withdrawal by the agent from the proceedings or from doing any act for which he has been authorised, in respect of an application or opposition wherein no principle place of business in India is mentioned, the applicant or opponent shall, within a period of two months from the date of such withdrawal, provide an address for service in India. If he fails to provide address for service in India within such period, he shall be deemed to have abandoned the application or opposition, as the case may be.

(5) In case of revocation of authorisation by the applicant or opponent in respect of an application or opposition wherein no principle place of business in India is mentioned, the applicant or opponent, as the case may be, shall provide the address for service in India within a period of two months from such revocation. If he fails to provide address for service in India within such period, he shall be deemed to have abandoned the application or opposition, as the case may be.

20. Classification of goods and service— (1) Classification of goods and service for the purpose of registration of trademark, the goods and services shall be classified as per current edition of "the International Classification of goods and services (NICE classification)" published by the World Intellectual Property Organization (WIPO).

(2) The Registrar shall publish a class wise and an alphabetical index of such goods and services, including goods and services of Indian origin.

21. Preliminary advice by Registrar as to distinctiveness. — An application for preliminary advice by the Registrar under sub-section (1) of Section 133 shall be made in Form TM-M in respect of any goods or services comprised as published by the Registrar under sub-rule (2) of rule 20, along with the fees specified in entry number 14 of the First Schedule and accompanied by one representation of the trademark.

22. Request to Registrar for Search.— (1) Any person may request the Registrar, in Form TM-C to cause a search to be made and for issue of certificate under sub-section (1) of section 45 of Copyright Act, 1957 (14 of 1957) to the effect that no trademark identical with or deceptively similar to such artistic work, as sought to be registered as copyright under the Copyright Act, 1957 (14 of 1957) has been registered as a trademark under the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) in the name of, or that no application has been made under that Act for such re-registration by any person other than the applicant. The certificate shall ordinarily be issued within thirty working days of the date of request:

Provided, the Registrar may call for a statement of requirements from the applicant and if the requirements are not complied with within two months from the date of such calling of the statement, the request on Form TM-C shall be treated as abandoned.

(2) The Registrar may cancel the certificate issued under sub-rule (1) after giving notice and stating the grounds on which the Registrar proposes to cancel the certificate and after providing reasonable opportunity of being heard.

(3) Subject to proviso of sub-rule (1) or sub-rule (2), the Registrar shall ordinarily within seven working days issue an expedited search certificate under sub-section (1) of section 45 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957) on a request received in Form TM-C on payment of fee specified in First Schedule.

(4) Before abandoning the request in Form TM-C, as the case may be, for non-compliance of the statement of requirements when called for, the Registrar shall provide an opportunity of being heard in the matter.

CHAPTER II

PROCEDURE FOR REGISTRATION OF TRADEMARKS APPLICATION

23. Form and signing of application.— (1) An application for the registration of a trademark in respect of specification of goods or services shall be made in TM-A and shall be signed by the applicant or his agent.

(2) An application for the registration of a trademark, for goods or services shall—

(a) explain with sufficient precision, a description by words, of the trademark, if necessary, to determine the right of the applicant;

(b) be able to depict the graphical representation of the trademark;

(c) be considered as a three dimensional trademark only if the application contains a statement to that effect;

(d) be considered as a trademark consisting of a combination of colours only if the application contains a statement to that effect.

(3) An amendment to divide an application under proviso to section 22 shall be made in Form TM-M.

(4) An application, not being a series trademark shall be in respect of one trademark only, for as many class or classes of goods or services as may be made.

(5) In the case of an application for registration in respect of all the goods or services included in a class or of a large variety of goods or services in a class, the Registrar may refuse to accept the application unless he is satisfied that the specification is justified by the use of the trademark which the applicant has made or intends to make if and when it is registered:

Provided that while making an application for registration of a trademarks, the names of goods and services stated in the application shall, as far as may be, correspond to those given in the classification of the goods and services published by the registrar under sub-rule (2) of rule 20.

(6) Where an applicant files a single application and the Registrar determines that the goods or services applied for fall in class or classes in addition to those applied for, the applicant shall restrict the specification of goods or services to the class or classes already applied for or amend the application to add additional class or classes by filing an application on Form TM-M and by payment of the appropriate fee:

Provided that in case all the goods or services fall in a class other than the class specified, the registrar may permit the correction of class by filing the request on Form TM-M.

24. Application under convention arrangement. – (1) Where a right to priority is claimed by reason of an application for registration of a trademark duly filed in a convention country under section 154, a certificate by the Registrar or competent authority of that Trade Marks Office shall be submitted with the application for registration of trademark and it shall include the particulars of the trademark, the country or countries and the date or dates of filing of application and such other relevant particulars as may be required by the Registrar.

(2) Unless such certificate has been filed at the time of the filing of the application for registration, there shall be filed, within two months of the filing of such application certifying or verifying to the satisfaction of the Registrar, the date of the filing of the application, the country or countries, the representation of the trademark, and the goods or services covered by the application.

(3) The application shall include a statement indicating the filing date of the filing in the convention application, the name of the convention country where it was filed, the serial number, if any and a statement indicating that priority is claimed:

Provided that where the applicant files more priority claims than one under section 154 in respect of the same trademark, the Registrar shall take the date of the earlier application in a convention country, as the priority date:

Provided further that such priority date shall not be allowed for the goods and services not covered in the convention application:

Provided also that only a single priority shall be claimed in respect of all the goods or services mentioned in the application for registration of a trademark filed under rule 23(1).

25. Statement of user in applications.— (1) An application to register a trademark shall, unless the trademark is proposed to be used, contain a statement of the period during which, and the person by whom it has been used in respect of all the goods or services mentioned in the application.

(2) In case, the use of the trademark is claimed prior to the date of application, the applicant shall file an affidavit testifying to such use along with supporting documents.

26. Representation of trademark. — (1) Every application for the registration of a trademark, and where additional copies of the application are required, every such copy, shall contain a clear and legible representation of the trademark of size not exceeding 8 cm x 8 cm.

(2) Where an application contains a statement to the effect that the applicant wishes to claim combination of colours as a distinctive feature of the trademark, the application shall be accompanied with reproduction of the trademark in that combination of colours.

(3) Where the application contains a statement to the effect that the trademark is a three dimensional trademark, the reproduction of the trademark shall consist of a two dimensional graphic or photographic reproduction as follows, namely:—

(i) the reproduction furnished shall consist of three different view of the trademark;

(ii) where, the Registrar considers that the reproduction of the trademark furnished by the applicant does not sufficiently show the particulars of the three dimensional trademark, he may call upon the applicant to furnish within two months, up to five further different views of the trademark and a description by words of the trademark;

(iii) where the Registrar considers the different views or description of the trademark referred to in clause (ii), still do not sufficiently show the particulars of the three dimensional trademark, he may call upon the applicant to furnish a specimen of the trademark.

(4) (i) Where an application for the registration of a trademark consists of shape of goods or its packaging, the reproduction furnished shall consist of at least five different views of the trademark and a description by word of the trademark.

(ii) If the Registrar considers the different views or description of the trademark referred to in clause (i) do not sufficiently show the particulars of the shape of goods or its packaging, he may call upon the applicant to furnish a specimen of the goods or packaging, as the case may be.

(5) Where an application for the registration of a trademark consists of a sound as a trademark, the reproduction of the same shall be submitted in the MP3 format not exceeding thirty seconds' length recorded on a medium which allows for easy and clearly audible replaying accompanied with a graphical representation of its notations.

(6) If the Registrar is not satisfied with any representation of a trademark, he may at any time require another representation satisfactory to him to be substituted before proceedings with the application.

27. Series Trademarks. – (1) Where an application is made for the registration of trademarks as a series under sub-section (3) of section 15, copies of representation of each trademark of the series shall accompany the application in the manner set forth in rule 26. The Registrar, if satisfied that the trademarks constitute a series, shall proceed further with the applications.

(2) At any time before the publication of the application in the Journal, the applicant applying under sub-rule (1) may request in Form TM-M, for the division of the application into separate application or applications, as the case may be, in respect of one or more trademarks in that series and the Registrar shall, if he is satisfied that the division requested conforms with sub-section (3) of section 15, divide the application or applications accordingly on payment of divisional fees.

28. Transliteration and translation. — Where a trademark contains one or more words or numbers in scripts other than Hindi or English, the applicant shall provide in the application, a precise transliteration and translation of each such word and number in English or in Hindi and state the language to which the word(s) or number(s) belong.

29. Names and representations of living persons or persons recently dead.— Where the name or representation of any person appears on a trademark, the applicant shall, if the Registrar so requires, furnish him with the consent in writing of such person in case he is living or, in case his death took place within twenty years prior to the date of the application for registration of the trademark, of his legal representative, as the case may be, to the use of the name or representation and in default of such consent the Registrar may refuse to proceed with the application for registration of the trademark.

30. Name or description of goods or services on a trademark. — (1) Where the name or description of any goods or services appears on a trademark, the Registrar may refuse to register such trademark in respect of any goods or services other than the goods or services so named or described.

(2) Where the name or description of any goods or services appear on a trademark, which name or description in use varies, the Registrar may permit the registration of the trademark for those and other goods or services on the applicant giving an undertaking that the name or description will be varied when the trademark is used upon goods or services covered by the specification other than the named or described goods or services. The undertaking so given shall be included in the advertisement of the application in the Journal under section 20.

31. Deficiencies. – Subject to sub-rule (2) of rule 10, where an application for registration of a trademark does not satisfy the requirement of any of the provisions of the Act or rules, the Registrar shall send notice thereof to the applicant to remedy the deficiencies and if within one month of the date of the notice, the applicant fails to remedy any deficiency so notified to him, the application shall be treated as abandoned.

32. Acknowledgement of the Application. — Every application for the registration of a trademark in respect of any goods or services shall be acknowledged by giving a system generated electronic receipt or sending such receipt to the e-mail address provided for the purpose.

33. Examination, Objection to acceptance, hearing.— (1) The Registrar shall cause the application to be examined as per provisions of the Act, wherein a search shall also be conducted amongst the earlier trademarks, registered or applied for registration, for the purpose of ascertaining whether there are on record in respect of the same goods or services or similar goods or services any trademark identical with or deceptively similar to the trademark applied for. The Registrar may cause the re-examination of the application including re-search of earlier trademarks at any time before the acceptance of the application but shall not be bound to do so.

(2) If, on consideration of the application for registration of a trademark and any evidence of use or of distinctiveness or of any other matter which the applicant may or may be required to furnish, the Registrar has any objection to the acceptance of the application or proposes to accept it subject to such conditions, amendments, modifications or limitations as he may think fit to impose under sub-section (4) of section 18, the Registrar shall communicate such objection or proposal in writing to the applicant in the form of an examination report.

(3) If, on consideration of the application for registration of a trademark and any evidence of use or of distinctiveness or of any other matter which the applicant may or may be required to furnish, the Registrar accepts the application for registration absolutely, he shall communicate such acceptance to the applicant and cause the application to be advertised as accepted under sub-section (1) of section 20.

(4) If, within one month from the date of receipt of the examination report, the applicant fails to respond to the communication, the Registrar may treat the application as abandoned.

(5) In case the response to the examination report is received within the aforesaid time, the same shall be duly considered and if the Registrar accepts the application for registration, he shall communicate such acceptance to the applicant and cause the application to be advertised as accepted under sub-section (1) of section 20.

(6) If the response to the examination report is not satisfactory or where the applicant has requested for hearing, the registrar shall provide an opportunity of hearing to the applicant and the same shall be conducted as per rule 115.

(7) In case the applicant fails to appear at the scheduled date of hearing and no reply to the office objection has been submitted by the applicant, the Registrar may treat the application as abandoned.

(8) Where the applicant has submitted his reply to the examination report within the aforesaid period or has appeared in the hearing and made his submissions, the Registrar shall pass an appropriate order.

34. Expedited Processing of Application- (1) The applicant may, after the receipt of the official number of the application, request for expedited processing of application made for the registration of a trademark in Form TM-M on payment of fee as specified in First Schedule. Such an application shall be examined expeditiously and ordinarily within three months from the date of submission of the application. Thereafter, the following proceedings viz. the consideration of response to the examination report, scheduling of show cause hearing, if required, the publication of the application and the opposition thereto, if any, till final disposal of the application shall also be dealt with expeditiously subject to such guidelines as may be published in this regard by the Registrar in the trademarks Journal.

(2) The Registrar may limit the number of applications for expedited processing of trademark applications by publishing the same in the trademarks Journal.

35. Notice of withdrawal of application for registration.— A notice of withdrawal of an application for the registration of a trademark under sub-section (2) of section 133, for the purpose of obtaining repayment of any fee paid on the filing of the application, shall be given in writing within one month from the date of the receipt of communication mentioned in sub-rule (2) of rule 33.

36. Decision of Registrar.— (1) The decision of the Registrar under rules 33, 34 or 41 shall be communicated to the applicant in writing at his address of service and if the applicant intends to appeal from such decision he may within thirty days from the date of such communication apply in Form TM-M to the Registrar requiring him to state in writing the grounds of, and the materials used by him in arriving at, his decision.

(2) In a case where the Registrar makes any requirements to which the applicant does not object the applicant shall comply the said requirement before the Registrar issues a statement in writing under sub-rule (1).

(3) The date when the statement in writing under sub-rule (1) is received by the applicant, shall be deemed to be the date of the Registrar's decision for the purpose of appeal.

37. Correction and amendment of application.— An applicant for registration of a trademark may, whether before or after acceptance of his application but before the registration of the trademark, apply in Form TM-M accompanied by the prescribed fee for the correction of any error in or in connection with his application or any amendment of his application:

Provided, no such amendment shall be permitted which shall have the effect of substantially altering the trademark applied for or substitute a new specification of goods or services not included in the application as filed.

38. Withdrawal of acceptance by the Registrar.— (1) If, after the acceptance of an application but before the registration of the trademark, the Registrar has any objection to the acceptance of the application on the ground that it was accepted in error, or that the trademark ought not to have been accepted in the circumstances of the case, or proposes that the trademark should be registered only subject to conditions, limitations, divisions or to conditions additional to or different from the conditions, or limitations, subject to which the application has been accepted, the Registrar shall communicate such objection in writing to the applicant.

(2) Unless within thirty days from the date of receipt of the communication mentioned in sub-rule (1), the applicant amends his application to comply with the requirements of the Registrar or applies for a hearing, the acceptance of the application shall be deemed to be withdrawn by the Registrar, and the application shall proceed as if it had not been accepted.

(3) Where the applicant intimates the Registrar within the period mentioned in sub-rule (2) that he desires to be heard, the Registrar shall give notice to the applicant of a date when he will hear him. Such appointment shall be for a date at least fifteen days after the date of the notice, unless the applicant consents to a shorter notice. The applicant may state that he does not desire to be heard and submit such submissions, as he may consider desirable.

(4) The Registrar may, after hearing the applicant, on considering the submissions, if any, of the applicant, pass such orders as he may deem fit.

Advertisement of Application

39. Manner of Advertisement.— (1) Every application for the registration of a trademark required to be advertised by sub-section (1) of section 20 or to be re-advertised by sub-section (2) of that section shall be advertised in the Journal.

40. Notification of correction or amendment of application.— In the case of an application to which clause (b) of sub-section (2) of section 20 applies, the Registrar may, if he so decides, instead of causing the application to be advertised again, insert in the Journal a notification setting out the number of the application, the class or classes in which it was made, the name and address of the principal place of business in India, if any, of the applicant or where the applicant has no principal place of business in India, his address for service in India, the Journal number in which it was advertised and the correction or amendment made in the application:

Provided that in case of any error in the advertisement in respect of the trademark or specification of goods or services except for any trivial spelling mistake or class or statement of use of the trademark or in any other case as the Registrar thinks fit, the Registrar may advertise the trademark again cancelling the earlier advertisement.

41. Request to Registrar for particulars of advertisement of a trademark.— Any person may request the Registrar in Form TM-M to be informed of the number, and date of the Journal in which a trademark which is sought to

be registered specified in the Form was advertised and the Registrar shall furnish such particulars to the person making the request.

Opposition to Registration

42. Notice of Opposition. — (1) A notice of opposition to the registration of a trademark under sub-section (1) of section 21, with such particulars as specified in Rule 43, shall be filed in form TM-O within four months from the date of publication of the trademark journal in which the application for registration of the trademark was advertised or re advertised.

(2) Where a notice of opposition has been filed in respect of a single application for the registration of a trademark for different classes of goods and services, it shall bear the fee in respect of each class in relation to which the opposition is filed.

(3) Where an opposition is filed only for a particular class or classes in respect of a single application made under sub-section (2) of section 18, the application for remaining class or classes shall not proceed to registration until a request in Form TM-M for division of the application together with the divisional fee is made by the applicant.

(4) Where in respect of a single application for the registration of a trademark no notice of opposition is filed in a class or classes, the application in respect of such class or classes shall, subject to section 19 and sub-section (1) of section 23, proceed to registration after the division of the application in the class or classes in respect of which an opposition is pending.

(5) A copy of notice of opposition shall be ordinarily served by the Registrar to the applicants within three months of the receipt of the same by the appropriate office:

Provided that where the applicant has already filed the counter statement on the basis of the copy of notice of opposition made available in the electronic records on the official website, the requirement of service of copy of the notice of opposition to the applicant shall be dispensed with.

43. Requirements of Notice of Opposition.— (1) A notice of opposition shall contain,—

(a). in respect of an application against which opposition is entered—

(i) the application number against which opposition is entered;

(ii) an indication of the goods or services listed in the trademark application against which opposition is entered; and

(iii) the name of the applicant for the trademark.

(b). in respect of the earlier trademark or the earlier right on which the opposition is based,—

(i) where the opposition is based on an earlier trademark, a statement to that effect and an indication of the status of earlier trademark;

(ii) where available, the application number or registration number and the filing date, including the priority date of the earlier trademark;

(iii) where the opposition is based on an earlier trademark which is alleged to be a well-known trademark within the meaning of sub-section 2 of section 11, an indication to that effect and an indication of the country or countries in which the earlier trademark is recognised to be well known;

(iv) where the opposition is based on an earlier trademark having a reputation within the meaning of paragraph (b) of sub-clause (2) of section 11 of the Act, an indication to that effect and an indication of whether the earlier trademark is registered or applied for;

(v) a representation of the trademark of the opponent and where appropriate, a description of the trademark or earlier right; and

(vi) Where the goods or services in respect of which earlier trademark has been registered or applied for or in respect of which the earlier trademark is well known within the meaning of sub-section (2) of section 11 or has a reputation within the meaning of that section, the opponent shall when indicating all the goods or services for which the earlier trademark is protected, also indicate those goods or services on which the opposition is based.

(c). in respect of the opposing party—

IndiaCode

(i) where the opposition is entered by the proprietor of the earlier trademark or of the earlier right, his name and address and an indication that he is the proprietor of such trademark or right;

(ii) where opposition is entered by a licensee not being a registered user, the name of the licensee and his address and an indication that he has been authorised to enter the opposition;

(iii) where the opposition is entered by the successor in title to the registered proprietor of a trademark who has not yet been registered as new proprietor, an indication to that effect, the name and address of the opposing party and an indication of the date on which the application for registration of the new proprietor was received by the appropriate office or, where this information is not available, was sent to the appropriate office; and

(iv) where the opposing party has no place of business in India, the name of the opponents and his address for service in India.

(d). The grounds on which the opposition is based.

(2) A notice of opposition shall be verified at the foot by the opponent or by his duly authorised agent.

(3) The person verifying shall state specifically by reference to the numbered paragraphs of the notice of opposition, what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true.

(4) The verification shall be signed by the person making it and shall state the date on which and the place at which it was signed.

44. Counterstatement.— (1) The counterstatement required by sub-section (2) of section 21 shall be sent on Form TM-O within two months from the receipt by the applicant of the copy of the notice of opposition from the Registrar and shall set out what facts, if any, alleged in the notice of opposition, are admitted by the applicant. A copy of the counterstatement shall be ordinarily served by the Registrar to the opponent within two months from the date of receipt of the same.

(2) The counterstatement shall be verified in the manner as provided in sub-rules (2), (3) and (4) of rule 43.

45. Evidence in support of opposition.— (1) Within two months from service of a copy of the counterstatement, the opponent shall either leave with the Registrar, such evidence by way of affidavit as he may desire to adduce in support of his opposition or shall intimate to the Registrar and to the applicant in writing that he does not desire to adduce evidence in support of his opposition but intends to rely on the facts stated in the notice of opposition. He shall deliver to the applicant copies of any evidence including exhibits, if any, that he leaves with the Registrar under this sub-rule and intimate the Registrar in writing of such delivery.

(2) If an opponent takes no action under sub-rule (1) within the time mentioned therein, he shall be deemed to have abandoned his opposition.

46. Evidence in support of application.— (1) Within two months on the receipt by the applicant of the copies of affidavits in support of opposition or of the intimation that the opponent does not desire to adduce any evidence in support of his opposition, the applicant shall leave with the Registrar such evidence by way of affidavit as he desires to adduce in support of his application and shall deliver to the opponent copies thereof or shall intimate to the Registrar and the opponent that he does not desire to adduce any evidence but intends to rely on the facts stated in the counterstatement and or on the evidence already left by him in connection with the application in question. In case the applicant adduces any evidence or relies on any evidence already left by him in connection with the application, he shall deliver to the opponent copies of the same, including exhibits, if any, and shall intimate the Registrar in writing of such delivery.

(2) If an applicant takes no action under sub-rule (1) within the time mentioned therein, he shall be deemed to have abandoned his application.

47. Evidence in reply by opponent. — Within one month from the receipt by the opponent of the copies of the applicant's affidavit the opponent may leave with the Registrar evidence by affidavit in reply and shall deliver to the applicant copies of the same including exhibits, if any, and shall intimate the Registrar in writing of such delivery.

48. Further evidence.— No further evidence shall be left on either side, but in any proceedings before the Registrar, he may at any time, if he thinks fit, give leave to either the applicant or the opponent to leave any evidence upon such terms as to costs or otherwise as he may think fit.

49. Translation of documents.—Where a document is in a language other than Hindi or English and is referred to in the notice of opposition, counterstatement or an affidavit filed in an opposition proceeding, an attested translation thereof in Hindi or English shall be submitted before the registrar and a copy thereof shall be provided to opposite party.

50. Hearing and decision. — (1) The Registrar, after the closure of the evidence, shall give notice to the parties of the first date of hearing. The date of hearing shall be for a date at least one month after the date of the first notice.

(2) A party to a proceeding may make a request for adjournment of the hearing with reasonable cause in Form TM-M accompanied by the prescribed fee, at least three days before the date of hearing and the Registrar, if he thinks fit to do so, and upon such terms as he may direct, may adjourn the hearing and intimate the parties accordingly:

Provided that no party shall be given more than two adjournments and each adjournment shall not be for more than thirty days.

(3) If the applicant is not present at the adjourned date of hearing and at the time mentioned in the notice, the application may be treated as abandoned.

(4) If the opponent is not present at the adjourned date of hearing and at time mentioned in the notice, the opposition may be dismissed for want of prosecution and the application may proceed to registration subject to section 19.

(5) The Registrar shall consider written arguments if submitted by a party to the proceeding.

(6) The decision of the Registrar shall be communicated to the parties in writing at the address given for service.

51. Security for costs.—The security for costs which the Registrar may require under sub-section (6) of section 21 may be fixed at any amount which he may consider proper, and such amount may be further enhanced by him at any stage in the opposition proceedings.

Notice of Non-Completion of Registration

52. Procedure for giving notice. —The notice which the Registrar is required by sub-section (3) of section 23 to give to an applicant, shall be sent in Form RG-1 to the applicant at the address for service. The notice shall specify twenty one days time from the date thereof or such further time not exceeding one month as the Registrar may allow on a request made in form TM-M for completion of the registration.

Registration

53. Entry in the Register.— (1) Where no notice of opposition to an application advertised or re-advertised in the Journal is filed within the period specified in sub-section (1) of section 21, or where an opposition is filed and it is dismissed, the Registrar shall, subject to the provisions of sub-section (1) of section 23 or section 19, enter the trademark on the register.

(2) The entry of a trademark in the register shall specify the date of filing of application, the actual date of the registration, the goods or services and the class or classes in respect of which it is registered, and all particulars required by sub-section (1) of section 6 including—

(a) the address of the principal place of business in India, if any, of the proprietor of the trademark or in the case of a jointly owned trademark, of such of the joint proprietors of the trademark as have a principal place of business in India;

(b) where the proprietor of the trademark has no place of business in India, his address for service in India as entered in the application for registration together with his address in his home country;

(c) in the case of a jointly owned trademark, where none of the joint proprietors has a principal place of business in India, the address for service in India as given in the application together with the address of each of the joint proprietors in his home country;

(d) the particulars of the trade, business, profession, occupation or other description of the proprietor or, in the case of a jointly owned trademark, of the joint proprietors of the trademark as entered in the application for registration;

(e) particulars affecting the scope of the registration or the rights conferred by the registration;

(f) the convention application date, if any, to be accorded pursuant to an application from applicants of a convention country made under section 154;

(g) where the trademark is a collective or certification trademark, that fact;

(h) where the trademark is registered pursuant to sub-section 4 of section 11 with the consent of the proprietor of an earlier trademark or other earlier right, that fact; and

(i) the appropriate office of the Trade Marks Registry in relation to the trademark.

(3) The Registrar may from time to time, in consultation with computer experts, formulate guidelines for keeping official records in electronic form.

54. Associated trademarks.— (1) Where a trademark is registered as associated with any other trademarks, the Registrar shall note in the register in connection with the first mentioned trademark the registration numbers of the trademarks with which it is associated and shall also note in the register in connection with each of the associated trademarks, the registration number of the first mentioned trademark as being a trademark associated therewith.

(2) An application under sub-section (5) of section 16 to dissolve the association as respects any of the trademarks registered as associated trademarks shall be made in Form TM-P and shall include statement of the grounds of the application.

55. Death of applicant before registration.— In case of death of any applicant for the registration of a trademark after the date of his application and before the trademark has been entered in the register, the Registrar may, on request on form TM-M and on proof of the applicant's death and on proof of the transmission of the interest of the deceased person, substitute in the application, the name of successor in interest in place of the name of such deceased applicant, and the application may proceed thereafter as so amended.

56. Certificate of registration.— (1) The certificate of registration to be issued by the Registrar under sub-section 2 of section 23 shall be on Form RG-2 and shall include the trademark. It shall bear the seal of the Trade Marks Registry.

(2) The certificate of registration referred to in sub-rule (1) shall not be used in legal proceedings or for obtaining registration abroad. The certificate issued under section 137 shall be used for these purposes.

(3) The Registrar may issue duplicate or further copies of the certificate of registration on request by the registered proprietor in Form TM-M accompanied by the prescribed fee:

Provided that, no such duplicate or copy of certification of registration shall be issued where such request is received after the expiry of time limit for renewal of registration and restoration of registered trademark.

IndiaCode

CHAPTER III

RENEWAL OF REGISTRATION AND RESTORATION

57. Renewal of registration. — (1) An application for the renewal of the registration of a trademark shall be made in Form TM-R along with the fee as prescribed in the first schedule and may be made at any time not more than one year before the expiration of the last registration of the trademark.

(2) A request for renewal of registration of the trademark filed within prescribed time shall be allowed unless the trademark has been removed or cancelled or is otherwise not renewable under any of the provisions of the Act and rules or by any order of the competent court or the Registrar.

58. Notice before removal of trademark from register.— (1) In case no application for renewal of the registration in the prescribed form together with the specified fee has been received, the Registrar shall send, not more than six months before the expiration of registration of the trademark, a notice in Form RG-3 at the address of service informing the registered proprietor of the approaching date of expiration and the conditions, if any, subject to which the renewal of the registration may be obtained.

(2) Where, in the case of a trademark the registration of which (by reference to the date of application for registration) becomes due for renewal, the trademark is registered at any time within six months before the date on which renewal is due, the registration may be renewed by the payment of the renewal fee within six months after the actual date of registration and where the renewal fee is not paid within that period, the Registrar shall subject to rule 60, remove the trademark from the register.

(3) Where, in the case of a trademark the registration of which (by reference to the date of application for registration) becomes due for renewal, the trademark is registered after the date of renewal, the registration may be renewed by the payment of the renewal fee within six months of the actual date of registration and where the renewal fee is not paid within that period the Registrar shall, subject to rule 60, remove the trademark from the register.

(4) The renewal of registration of a collective trademark or a certification trademark shall be in Form TM-R along with the prescribed fee as specified in the First Schedule.

59. Advertisement of removal of trademark from the register.— If at the expiration of registration of a trademark, the renewal fees has not been paid, the Registrar may remove the trademark from the register and advertise the fact forthwith in the Journal:

Provided that the Registrar shall not remove the trademark from the register if an application for payment of surcharge is made under proviso to sub-section(3) of section 25 in Form TM-R within six months from the expiration of the registration of the trademark.

60. Restoration and renewal of registration.— An application for the restoration of a trademark to the register and renewal of its registration under sub-section (4) of section 25, shall be made in Form TM-R within one year from the expiration of the registration of the trademark accompanied by the prescribed fee. The Registrar shall, while considering the request for such restoration and renewal have regard to the interest of other affected persons.

61. Notice and advertisement of renewal and restoration. — Upon the renewal or restoration and renewal of registration, a notice to that effect shall be sent to the registered proprietor and every registered user and the renewal or restoration and renewal shall be advertised in the Journal.

CHAPTER IV

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO PROTECTION OF TRADEMARKS THROUGH THE INTERNATIONAL REGISTRATION UNDER MADRID PROTOCOL

62. Definitions.— (1) For the purpose of this Chapter, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Article' means article referred to in Madrid Protocol;

(b) "electronic form" shall have the meaning as is assigned to it in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(2) Words and expressions used in these rules, in the context of international application or international registration under Chapter IVA of the Act, but not defined shall have the same meaning and respectively assigned to them in the Madrid Protocol or the Common Regulations.

63. Language.— An International Application or any communication relating thereto for transmission to International Bureau or any advice by way of notification of extension of protection to India resulting from the international registration shall be in English.

64. Issue of notices or communications etc. and response thereto.— Any notice or communication relating to both an international application under section 36D and international registration where India has been designated, under section 36E, shall be issued by the Registrar only in electronic form, and any response thereto shall also be received likewise.

65. International application in respect of which India is the country of origin.—International application originating from India, or any communication relating thereto in accordance with the Common Regulations shall be filed electronically through the Trade Marks International Application System.

66. Verification and Certification of international application in respect of which India is the country of origin.— (1) Where an international application is filed under section 36D for transmission to the International Bureau, the Registrar shall certify the contents of the application in Form MM2(E) as provided by International Bureau subject to the payment of fees as specified in Entry Number 23 of the First Schedule.

(2) Where the international application complies with the requirements, the Registrar shall so certify in the international application indicating also the date on which the said international application was received; and shall forward the same to the International Bureau within two months from the date of receipt of the said application.

(3) Where the international application does not meet the requirements, the Registrar shall not forward it to the International Bureau, and shall require the applicant by notice to comply with the requirement as specified therein, and shall forward the International Application only after such compliance within the period specified in the notice.

67. Handling fee.— A handling fee as specified in First Schedule shall be payable to the Registrar for certification and transmittal of international application to the International Bureau and such fee shall be paid in Indian rupees electronically along with the application.

68. Manner of keeping the record of international registrations where India has been designated.— (1) On receipt of advice from the International Bureau about an international registration designating India and notification about the extension of protection resulting from such international registration, the Registrar shall enter all the particulars thereof electronically in a record called the 'Record of Particulars of International Registration'. Any change in the particulars as and when received from the International Bureau shall be entered in the said record.

IndiaCode

(2) Any entry made in such record shall, to the extent that it applies to India as a designated contracting party, have the same effect as if it had been recorded by the Registrar in the Register of trademarks.

69. Examination of application under section 36E. — (1) The advice referred to in rule 68 shall be examined ordinarily within two months from the date of receipt of such advice.

(2) Where, the Registrar finds that the trademark which is the subject of an international registration designating India, cannot be protected, he shall, before the expiry of refusal period applicable under article 5 of the Madrid Protocol, notify to the International Bureau a provisional refusal of protection.

(3) Where there are no grounds for refusal to grant protection, the Registrar shall advertise the particulars concerning international registration under section 20 of the Act in a separate part of the trademarks Journal ordinarily within a period of six months from the date of receipt of advice.

(4) Where an opposition is filed under section 21 of the Act, the Registrar shall, notify that fact to the International Bureau as a provisional refusal based on the opposition in accordance with the Protocol and Common Regulation.

(5) The international registration, on receipt of an opposition thereto, shall be processed in accordance with the provisions contained in rules 42 to 51.

(6) Where the procedure mentioned under sub-rules (1) to (5) have been completed with and the Registrar has decided to confirm such refusal of protection of the trademark for all the goods or services for which the protection has been requested, the Registrar shall send to the International Bureau a statement to that effect.

(7) Where, the provisional refusal has been either totally or partially withdrawn, the Registrar shall send to the International Bureau

(a) a statement to the effect that the provisional refusal is withdrawn and the protection of the trademark is granted for all the goods or services for which the protection has been requested; or

(b) a statement indicating conditions or limitations subject to which, and the goods or services in respect of which the protection is granted.

IndiaCode

(8) Where there is no ground to refuse protection, the Registrar shall notify the International Bureau to the effect that protection is granted to the trademark in India.

(9) Where there is further decision affecting the protection of trademark in India, the Registrar shall send further statement to the International Bureau to that effect.

70. Invalidation of protection.— Where the protection resulting from an international registration has ceased to have effect, or varied, in India, as a result of legal proceedings under the Act, the Registrar shall notify the International Bureau accordingly.

71. Effect of cancellation of international registration.— Where an international registration is cancelled at the request of office of origin, the provisions of article 9 *quinquies* of the Protocol shall apply to such international registration in so far as it designates India.

72. Collective and Certification Trademarks.— Where an international registration designating India is in respect of a collective trademark or a certification trademark, the regulations governing the use of such collective trademark or certification trademark shall be submitted directly, by the holder of that international registration to the registrar within the period of one month from the date of advice by the International Bureau.

73. Replacement of national registration.— Where an international registration is deemed to replace the registration held in India under sub-section (6) of section 36E of the Act, the registrar shall, upon request of the holder of international registration take note of the international registration and make necessary entry in the Register maintained under sub-section (1) of section 6 of the Act. Thereafter, the Registrar shall notify the International Bureau accordingly under rule 21 of the Common Regulations.

74. Subject to provisions of the Act, the provisions of the Madrid Protocol, Common Regulations and Administrative Instructions shall apply in relation to international applications originating from India and international registrations where India has been designated.

CHAPTER V

ASSIGNMENT AND TRANSMISSION

75. Application for entry of assignment or transmission.— An application to register the title of a person who becomes entitled by assignment or transmission to a registered trademark shall be made in Form TM-P.

76. Case accompanying application.— (1) A person applying for registration of his title under rule 75, shall, along with his request in form TM-P, file duly certified copy of original document, instrument or deed, as the case may be, purporting to transfer the title in the trademark and a statement of case in support of his request.

(2) The Registrar shall dispose of an application made under rule 75 ordinarily within three month from the date of application and intimate the same to the applicant.

77. Proof of title. — The Registrar may, where there is a reasonable doubt about the veracity of any statement or any document furnished, call upon any person who applies to be registered as proprietor of a registered trademark to furnish such proof or additional proof of title as the Registrar thinks fit.

78. Impounding of Instruments.— If in the opinion of the Registrar any instrument produced in proof of title of a person is not properly or sufficiently stamped, the Registrar shall impound and deal with it in the manner provided by Chapter IV of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899).

79. Assignments involving transmission of moneys outside India. — If there is in force any law regulating the transmission of moneys outside India, the Registrar shall not register the title of a person who becomes entitled to a trademark by an assignment which involves such transmission except on production of the permission of the authority specified in such law for such transmission.

80. Application for Registrar's direction as to advertisement of an assignment of a trademark without goodwill of the business. — (1) An application for directions under section 42 shall be made in Form TM-P and shall state the date on which the assignment was made. The application shall give particulars of the registration in the case of a registered trademark, and in the case of an unregistered trademark shall show the trademark and give particulars including user of the unregistered trademark that has been assigned therewith. The Registrar may call for any evidence or further information and if he is satisfied with regard to the various matters he shall issue directions in writing with respect to the advertisement of the assignment.

(2) The Registrar may refuse to consider such an application in a case to which section 41 applies, unless his approval has been obtained under the said section and a reference identifying the Registrar's notification of approval is included in the application.

(3) A request for an extension of the period within which the application mentioned in sub-rule (1) shall be made shall be in Form TM-P

81. Application for entry of assignment without goodwill.— An application under rule 75 relating to an assignment of a trademark in respect of any goods or services shall state—

(a) whether the trademark had been or was used in the business in any of those goods or services, and

(b) whether the assignment was made otherwise than in connection with the goodwill of that business,

and if both those circumstances subsisted, then the applicant shall leave at the Trade Marks Registry a copy of the directions to advertise the assignment, obtained upon application under rule 80, and such proof, including copies of advertisements or otherwise, as the Registrar may require, to show that his directions have been fulfilled and if the Registrar is not satisfied that the directions have been fulfilled, he shall not proceed with the application.

82. Separate registration.— Where pursuant to an application under rule 75, and as the result of a division and separation of the goods or services of a registration or a division and separation of places or markets, different persons become registered separately under the same registration number as subsequent proprietors of a trademark, each of the resulting separate registrations in the names of those different persons shall be deemed to be a separate registration for all the purposes of the Act.

83. Registrar's certificate or approval as to certain assignment and transmissions.— Any person who desires to obtain the Registrar's certificate under sub-section 2 of section 40 or his notification of approval under section 41 shall send to the Registrar with his application in Form TM-P, a statement of case in duplicate setting out the circumstances and a copy of any instrument or proposed instrument effecting the assignment or transmission. The Registrar may call for any evidence or further information that he may consider necessary and the statement of case shall be amended if required to include all the relevant circumstances and shall, if required, be verified by an affidavit. The Registrar, after hearing (if so required) the applicant and any other person whom the Registrar may consider to be interested in the transfer, shall consider the matter and issue a certificate thereon or a notification in writing of approval or disapproval thereof, as the case may be, to the applicant and shall also inform such other person accordingly. Where a statement of case is amended, three copies thereof in its final form shall be left at the Trade Marks Registry. The Registrar shall seal a copy of the statement of case in its final form to the certificate or notification.

84. Entry in register, of particulars of assignment.— Where the Registrar has allowed the assignment of a trademark under this Act, there shall be entered in the register the following particulars of assignment, namely:—

(i) the name and address of the assignee;

(ii) the date of the assignment;

(iii) where the assignment is in respect of any right in the trademark, a description of the right assigned;

(iv) the basis under which the assignment is made; and

(v) the date on which the entry is made in the register.

85. Registration of assignment to a company under section 46.— For the purposes of sub-section (4) of section 46, the period within which a company may be registered as the subsequent proprietor of a registered trademark upon application made under rule 75 shall be six months from the date of advertisement in the Journal of the registration of the trademark or such further period not exceeding six months as the Registrar may allow on application being made in Form TM-P by the applicant for registration of title or the registered proprietor, as the case may be, at any time before or during the period for which the extension can be allowed.

CHAPTER VI

REGISTERED USER

86. Application for registration as registered user. — (1) An application to the Registrar for the registration under section 49, of a person as a registered user of a registered trademark, shall be made jointly by that person and the registered proprietor of the trademark in Form TM-U and shall be accompanied by the documents, evidence and details as required in sub-section (1) of section 49.

(2) The registered proprietor and the proposed registered user shall also produce and file such other documents and furnish such other evidence and information as may be required in that behalf by the Registrar.

(3) No application shall be entertained unless the same has been filed within six months from the date of the agreement referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 49.

(4) Where more than one application for registration as registered user is made by the same registered proprietor and the same proposed registered user in respect of trademarks covered by the same agreement, the documents mentioned in sub section (1) of section 49 may be filed with any one of the applications and a cross reference to such documents given in the other application or applications.

87. Consideration by the Registrar.— The Registrar under sub-section (2) of section 49, shall, if satisfied that the application and the accompanying documents comply with the relevant provisions of the Act and the rules, register the proposed registered user in respect of the goods or services as to which he is so satisfied.

88. Hearing before refusing an application or to accept it conditionally. — The Registrar may, after giving an opportunity of hearing to the parties concerned, either refuse the application or accept the same with such condition(s), if any, as he may think fit and shall communicate such order in writing to the parties.

89. Entry in the register. — (1) Where the Registrar under sub-section (2) of section 49 accepts an application for registration as registered user; he shall register the proposed registered user as registered user and publish the same in the Journal.

(2) The entry of a registered user in the register shall state the date on which the application for registration of registered user was made, which date shall be deemed to be the date of registration as registered user of the person mentioned in the entry. The entry shall also state, in addition to the particulars and statements mentioned in paragraphs (i) to (iv) of sub-clause (b) of clause (1) of section 49, the name, description and principal place of business in India of the registered user and if he does not carry on business in India his address for service in India.

90. Registration not to imply authorisation to transmit money outside India.— The registration as registered user of a trademark shall not be deemed to imply an approval, of the agreement in so far as it relates to the transmission of any money, as consideration for the use of the said trademark, to any place outside India.

91. Communication of registration as registered user. — Communication in writing of the registration of a registered user shall be sent by the Registrar to the registered proprietor of the trademark, to the registered user and to every other registered user whose name is entered in relation to the same trademark and shall also be inserted in the Journal within three months of such entry in the register.

92. Registered proprietor's application to vary entry. — An application by the registered proprietor of a trademark for the variation of the registration of a registered user of that trademark under clause (a) of sub-section (1) of

section 50 shall be made in Form TM-U and where the registered user has given consent to such variation, a copy of such consent in writing shall also be filed.

93. Cancellation of registration of registered user. — (1) An application for the cancellation of the registration of a registered user under sub-clause (b) to sub-clause (d) of sub-section (1) of section 50 shall be made in Form TM-U.

(2) In case of the registration of a registered user for a period, in accordance with paragraph (iv) of sub-clause (b) of sub-section (1) of section 49, the Registrar shall cancel the entry of the registered user at the end of that period. Where some or all the goods or services are omitted from those in respect of which a trademark is registered, the Registrar shall at the same time omit them from those specifications of registered users of the trademark in which they are comprised. The Registrar shall notify every cancellation or omission under this sub-rule to the registered users whose permitted use is affected thereby and to the registered proprietor of the trademark.

94. Power of the Registrar to call for information with respect to registered user.— The Registrar may at any time, by notice in writing, require the registered proprietor to furnish him information under sub-section (1) of section 51 and take action in accordance with sub-section (2) of that section.

95. Procedure on application to vary entry or cancel registration.— (1) The Registrar shall notify in writing applications under section 50 to the registered proprietor and each registered user (not being the applicant in either case) of the trademark.

(2) Any person notified under sub-rule (1) who intends to intervene in the proceedings, shall within one month of the receipt of such notification give notice to the Registrar in Form TM-U to the effect and shall send therewith a statement of the grounds of his intervention. The Registrar shall thereupon serve or cause to be served copies of such notice and statement on the other parties, namely, the applicant, the registered proprietor, the registered user whose registration is the subject matter of the proceeding in question and any other registered user who intervenes.

(3) In the case of any application made under section 50, the applicant and any person notified under sub-rule (1), may, within such time or times as the Registrar may appoint, leave evidence in support of his case, and the Registrar after giving the parties an opportunity of being heard, may accept or refuse the application or accept it subject to any conditions, amendments, modifications or limitations he may think right to impose and shall inform the parties in writing accordingly.

(4) In the case of an application for varying any registration under paragraph (a) of sub-section (1) of section 50 or cancelling any registration on any of the grounds mentioned in items (i) to (iv) of sub-clause (c) of sub-section (1) of section 50, the Registrar shall consider the application together with any notice in Form TM-U and statement of case filed and shall dispose of the application and also inform the parties in writing accordingly.

96. Registered user's application. — An Application under sub-section (2) of section 58 shall be made in Form TM-P by a registered user of a trademark or by a person duly authorised by the registered user in that behalf; and the Registrar may require such evidence as he may think fit as to the circumstances in which the application is made.

CHAPTER VII

RECTIFICATION AND CORRECTION OF REGISTER ALTERATION OR RECTIFICATION OF REGISTER

97. Application to rectify or remove a trademark from the register.— An application to the Registrar under Section 47, 57, 68 or 77 for the making, expunging or varying of any entry relating to a trademark or a collective trademark or certification trademark in the register shall be made in Form TM-O, as the case may be, and shall be accompanied by statement in setting out fully the nature of the applicant's interest, the facts upon which he bases his case and the relief which he seeks. Where the application is made by a person who is not the registered proprietor of the trademark in question, the application and the statement aforesaid shall be left at the Trade Marks Registry. In case there are registered users, such application and statements shall be accompanied by as many copies thereof as there are registered users. A copy each of the application and statement shall be ordinarily transmitted within one month by the Registrar to the registered proprietor and to each of the registered user and to any other person who appears from the register to have an interest in the trademark. The application shall be verified in the manner prescribed under clause (i) of sub-rule (c) of rule 43 for verification of a notice of opposition.

98. Further procedure. — Within two months from the receipt by a registered proprietor of the copy of the application mentioned in rule 97 or within such further period not exceeding one month in the aggregate, he shall send to the Registrar on Form TM-O a counterstatement of the grounds on which the application is contested and if he does so, the Registrar shall serve a copy of the counterstatement on the person making the application within one month of the receipt of the same. In case no counter statement has been filed within the period of three months from the date of receipt of the application mentioned in rule 97, the applicant for rectification shall file evidence in support of his application for

rectification under the provisions of rules 45 (1). The provision under rule 46 to 51 shall thereafter apply *mutatis mutandis* to the further proceedings on the application.

99. Intervention by third parties.— Any person, other than the registered proprietor, alleging interest in a registered trademark in respect of which an application is made under rule 97 may apply on Form TM-O for leave to intervene, stating the nature of his interest, and the Registrar may refuse or grant such leave after hearing (if so required) the parties concerned, upon such conditions and terms including undertakings or conditions as to security for cost as he may deem fit to impose.

100. Rectification of the register by the Registrar of his own motion.— (1) The Notice, which the Registrar is required to issue under sub-section (4) of section 57, shall be sent in writing to the registered proprietor, to each registered user, if any, and to any other person who appears from the register to have any interest in the trademark, and shall state the grounds on which the Registrar proposes to rectify the register and shall also specify the time, not being less than one month from the date of such notice, within which an application for a hearing shall be made:

Provided that no notice shall be required to be sent to the registered proprietor, in case the registered proprietor has requested or agreed in writing for cancellation of the registration; and thereupon register shall be rectified accordingly.

(2) Unless within the time specified in the notice aforesaid, any person so notified sends to the Registrar a statement in writing setting out fully the facts upon which he relies to meet the grounds stated in the notice or applies for a hearing, he may be treated as not desiring to take part in the proceedings and the Registrar may act accordingly.

(3) If the Registrar decides to rectify the register he shall communicate his decision in writing to the registered proprietor and to each registered user, if any.

Alteration or Correction in Register

101. Alteration of address in register.— (1) A registered proprietor or a registered user of a trademark, the address of whose principal place of business in India or whose address in his home country as the case may be or address for service in India, is changed so that the entry in the register is rendered incorrect, shall forthwith request the Registrar in Form TM-P to make the appropriate alteration of the address in the register, and the Registrar shall alter the register accordingly if he is satisfied in the matter.

(2) A registered proprietor or a registered user of a trademark the address of whose principal place of business in India or whose address for service in India is altered by a public authority, so that the changed address designates the same premises as entered in the register, may make the aforesaid request to the Registrar on Form TM-P or as the case may be, and if he does so he shall leave therewith a certificate of the alteration given by the said authority. If the Registrar is satisfied, as to the facts of the case, he shall alter the register accordingly but shall not require any fees to be paid on the forms, notwithstanding the provisions of sub-rule (2) of rule 10 or sub-rule (2) of rule 11.

(3) (i) Where a registered proprietor makes a request under sub-rule (1) or (2), he shall serve a copy of the request on the registered user or users, if any, and inform the Registrar accordingly.

(ii) where the request aforesaid is made by a registered user, he shall serve a copy thereof on the registered proprietor and every other registered users, if any, and inform the Registrar that he had done so.

(4) In case of the alteration of the address of a person entered in the register as the address for service in India of more than one registered proprietor or registered user of trademarks, the Registrar may, on proof that the said address is the address of the applicant and if satisfied that it is just to do so, accept an application from the person in Form TM-P so as to suit the case, for the appropriate alteration of the entries of his address as the address for service in the several registrations, particulars of which shall be given in the Form and may alter the entries accordingly.

(5) All applications under this rule on Form TM-P shall be signed by the registered proprietor or the registered user, as the case may be, or by an agent authorised by him.

(6) Where an application has been made under sub-section (1) of section 58 for the alteration of the register by correction, change, cancellation or striking out of goods or services or for the entry of a memorandum, the Registrar may require the applicant to furnish such evidence by affidavit or otherwise as the Registrar may think fit, as to the circumstances in which the application is made. Such application shall be made in Form TM-P and a copy thereof shall be served by the applicant on the registered user or users, if any, under the registration of the trademark in question and to any other person who appears from the register to have an interest in the trademark.

102. Alteration of registered trademark.— Where a person applies under section 59 for leave to add to or alter his registered trademark, he shall make the application in writing in Form TM-P and shall furnish copy of the trademark as it will appear when so added to or altered. A copy of the application and of the trademark so amended or altered shall be served by the applicant on every registered user, if any.

103. Advertisement before decision and opposition etc. — (1) The Registrar shall consider the application made under rule 102 and shall, if it appears to him expedient, publish the application in the Journal before deciding it.

(2) Within three months from the date of advertisement under sub-rule (1), any person may give notice of opposition to the application in Form TM-O. A copy of the notice shall be transmitted forthwith by the Registrar to the registered proprietor and each registered user, if any, and within two months from the receipt by the registered proprietor of such copies he shall sent to the Registrar in Form TM-O a counter statement of the grounds on which the opposition is contested. If the registered proprietor sends such a counterstatement, the Registrar shall ordinarily serve a copy thereof on the person giving notice of opposition within one month and the provisions of rules 45 to 51 shall apply *mutatis mutandis* to the further proceedings on the opposition:

Provided that where the registered proprietor fails to file the counter statement within the specified time, the application shall be deemed to have been abandoned.

(3) If there is no opposition, within the time specified in sub-rule (2), the Registrar shall, after hearing the applicant if he so desires, allow or refuse the application and shall communicate his decision in writing to the applicant.

104. Decision, Advertisement, Notification.— If the Registrar decides to allow the application he shall alter the trademark in the register accordingly and publish in the Journal a notification that the trademark has been altered along with trademark as altered.

Re-classification of Goods in Respect of Existing Registration

105. Re-classification in respect of existing registration.— (1) On the amendment in international classification of goods and services (NICE Classification), the registered proprietor of a trademark may apply to the Registrar in Form TM-P for the conversion of the specification of goods and services relating to the trademark, so as to bring that specification into conformity with the amended classification.

(2) The Registrar may, thereupon, amend the description of goods and services or the classification as the case may be in accordance with international classification of goods and services (NICE Classification).

(3) The amendment in the specification of goods or services or in the classification if approved shall be advertised in the Journal; thereafter the entry in the register in respect of that registration shall be modified accordingly.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

106. Refusal or invalidation of registration of a trademark conflicting with a geographical indication.— A request in Form TM-O, may be made to the Registrar for the refusal or invalidation of a registered trademark by an interested party along with a statement of case together with an affidavit and which—

(a) contains or consists of a geographical indication with respect to goods or class or classes of goods not originating in the territory of a country, or a region or locality in that territory which such geographical indication indicates, if the use of such geographical indication in the trademark for such goods, is of such nature as to confuse or mislead the persons as to the true place of origin of such goods or class or classes of goods;

(b) contains or consists of geographical indication identifying goods or class or classes of goods notified under sub-section (2) of section 22 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999).

107. Single application under sub-section (2) of section 18.— (1) Where an application for the registration of a trademark for different classes of goods or services is made under sub-section (2) of section 18, the specification of goods or services contained in it shall set out the classes in consecutive numerical order beginning with the lowest number and indicate in each class the goods or services appropriate to that class.

(2) Applications filed under sub-section (2) of section 18 when ordered to be advertised shall be published in a separate section of the Journal.

(3) The Registrar shall issue a single certificate of registration in respect of an application made under sub-section (2) of section 18, which has proceeded to registration.

108. Divisional Application. — (1) Where an application is made in Form TM-M under proviso to section 22 for the division of a single pending application, the registrar may, on payment of a divisional fee, divide such application into two or more separate applications.

(2) In case of division of application, The Registrar shall treat each divisional application as a separate application for registration with the same filing date as the initial application.

(3) Any time limit for any action by the applicant in relation to the initial application at the time of division shall be applicable to each new separate application created by division irrespective of the date of the division.

(4) In case of division of application, the Registrar shall assign an additional separate new serial number or numbers, as the case may be, and it shall be cross-referenced with the initial application.

(5) For the removal of doubt, it is clarified that no new registration shall be effected when a single application is divided. On the contrary, application already filed shall be merely separated or divided into individual files.

109. Extension of time— (1) An application for extension of time under section 131 (not being a time expressly provided in the Act or prescribed by rule 85 or by sub-rule (3) of rule 86 or a time for the extension of which provision is made in the rules) shall be made in Form TM-M.

(2) Upon an application made under sub-rule (1) the Registrar, if satisfied that the circumstances are such as to justify the extension of the time applied for, may, subject to the provisions of the rules where a maximum time limit is prescribed and subject to such conditions as he may think fit to impose, extend the time not exceeding one month and communicate the parties accordingly and the extension may be granted though the time for doing the act or taking the proceeding for which it is applied for has already expired.

110. Exercise of discretionary power of Registrar.— Any person who has applied for the exercise of discretionary or other power of the Registrar and requires a hearing under section 128, shall inform the Registrar in writing of his intention to be heard within one month from the date of notice which the registrar shall give to such person before determining the matter. Upon the receipt of such information, if any, the Registrar shall appoint a date of hearing of not less than twenty one days and give notice thereof.

111. Communication of decision.— The decision of the Registrar in the exercise of any discretionary power given to him by the Act or the rules shall be communicated to the person affected.

112. Amendments and correction of irregularity in procedure.— (1) Any document or drawing or other representation of a trade mark may be amended, and any irregularity in procedure which, in the opinion of the Registrar, may be obviated without detriment to the interests of any person, may be corrected.

(2) The Registrar may require the amendment of any application or representation of a trade mark or any other document or the addition of any matter thereto in order to bring it in accordance with the formal requirements of the Act.

113. Directions not otherwise prescribed.— Where in the opinion of the Registrar, it is necessary for the proper prosecution or completion of any proceedings under the Act or rules for a person to perform an act, file a document or produce evidence, which is not provided for by the Act or the rules, the Registrar may by notice in writing require the person to perform the act, file the document or produce the evidence, specified in the notice.

114. Opinion of the Registrar under section 115(4).— (1) Where a matter has been referred to the Registrar for his opinion under proviso to sub-section (4) of section 115 such opinion shall be forwarded under a sealed cover within seven working days of the receipt of such written intimation to the referring authority and the Registrar shall ensure complete confidentiality in the matter so referred.

(2) The opinion under this rule shall be given by the Registrar or an officer specially authorised for this purpose under sub-section (2) of section 3 and the name of the designated officer shall be published in the journal.

Hearings

115. Hearings.— (1) the hearing if any, in relation to any proceeding under the Act and rules may be held at the notified date and time and at such place within the territorial jurisdiction of the appropriate office as the Registrar may think fit:

Provide that the hearing may also be held through video- conferencing or through any other audio-visual communication devices and in such cases the hearing shall be deemed to have taken place at the appropriate office.

Explanation - *For the purposes of this rule, the expression "communication device" has the same meaning as assigned to it in clause (ha) of sub section (ii) of section 2 of the Information Technology Act,2000 (21 of 2000).*

(2) Where an officer exercising the powers of the Registrar who has heard any matter under the Act or the rules, has reserved orders therein, is transferred from one office of the Registry to another or reverts to another appointment before passing an order or rendering decision therein, he may, if the Registrar so directs, pass the order or render the decision as if he had continued to be the officer in the office of the Trade Marks Registry where the matter was heard.

Awards of Costs by Registrar

116. Costs in uncontested cases.— (1) Where a reasonable notice has been given to an applicant by the opponent before filing the notice of opposition and the applicant fails to contest the opposition, the Registrar may impose such costs on the applicant as may be specified in Forth Schedule.

(2) Where an opposition has been filed and the opponent fails to contest the proceedings after the applicant has filed counter statement, the Registrar may impose such costs on the opponent as may be specified in Forth Schedule.

117. Exception to rule 116. — Notwithstanding anything in rule 116, costs in respect of fees specified under entries, 10 and 11 of the First Schedule and of all stamps used on and affixed to affidavits used in the proceedings shall follow the event.

118. Scale of costs.— Subject to the provisions of rules 116 and 117, in all proceedings before the Registrar, he may, save as otherwise expressly provided by the Act, award such costs, not exceeding the amount admissible thereof under the Forth Schedule, as he considers reasonable having regard to all the circumstances of the case.

Review of Decisions of the Registrar

119. Application for review of Registrar's decision.— An application to the Registrar for the review of his decision under sub-section (c) of section 127 shall be made in Form TM-M within one month from the date of such decision or within such further period not exceeding one month thereafter as the Registrar may on request allow, and shall be accompanied by a statement setting forth the grounds on which the review is sought. Where the decision in question concerns any other person in addition to the applicant, such application and statement shall be left in triplicate and the Registrar shall forthwith transmit a copy each of the application and statement to the other person concerned. The Registrar may, after giving the parties an opportunity of being heard, reject or grant the application, either unconditionally or subject to any conditions or limitations, as he thinks fit.

Affidavit

120. Form, etc; of Affidavits.— (1) The Affidavits required by the Act and the rules to be filed at the Trade Marks Registry or furnished to the Registrar, unless otherwise provided in the Second Schedule, shall be headed in the matter or matters to which they relate, shall be drawn up in the first person, and shall be divided into paragraphs consecutively numbered; and each paragraph shall, as far as practicable, be confined to one subject. Every affidavit shall state the description and the true place of abode of the person making the same and shall bear the name and address of the person filing it and shall state on whose behalf it is filed.

(2) Where two or more persons join in an affidavit, each of them shall depose separately to such facts which are within his personal knowledge and those facts shall be stated in separate paragraphs.

(3) **Affidavits** – (a) In India, before any court or before any officer empowered such to administer oaths or to take affidavits or before the Registrar or before the Notary Public.

(b) In any country or place outside India, before a diplomatic or consular officer, within the meaning of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fee) Act, 1948 (41 of 1948), of such country or place or before a notary public or before a Judge or Magistrate, of the country or place.

(4) The person before whom an affidavit is taken shall state the date on which and the place where the same is taken and shall affix his seal, if any, or the seal of the office to which he is attached thereto and sign his name and description at the end thereof.

(5) Alterations and interlineations shall, before an affidavit is sworn or affirmed, be authenticated by the initials of the person before whom the affidavit is taken.

(6) Every affidavit filed before the Registrar in connection with any of the proceedings under the Act or the rules shall be duly stamped under the law for the time being in force.

Inspection of Documents by Public

121. Inspection of documents.— The documents mentioned in sub-section (1) of section 148 shall be available for inspection at the appropriate office of the Trade Mark Registry on payment of the fee mentioned in First Schedule on all working days and at such times as may be fixed by the Registrar.

Certificates

122. Certified copies of documents.— The Registrar may, on request being made in Form TM-M along with fees mentioned in First Schedule, furnish certified copies of any entry in the register or of any documents referred to in sub-section (1) of section 148 or of any decision or order of the Registrar, or of a certificate other than a certificate under sub-

section (2) of section 23 as to any entry, matter or thing which he is authorised or required by the Act or the rules to make.

Provided that the Registrar may furnish an expedited certified copies of the documents aforementioned within seven working days on a request in Form TM-M received to that effect on payment fees as specified in First Schedule.

Explanation: A certified copy of any record available digitally with the Registrar shall be a duly certified copy of that record.

123. Power of Registrar to notify International Non-proprietary names. — The Registrar shall from time to time publish in the Journal, the words which are declared by the World Health Organisation as international non-proprietary names referred to in sub-section (b) of section 13.

Well-Known Trademarks

124. Determination of Well Known Trademark by Registrar. — (1) Any person may, on an application in Form TM-M and after payment of fee as mentioned in First schedule, request the Registrar for determination of a trademark as well-known. Such request shall be accompanied by a statement of case along with all the evidence and documents relied by the applicant in support of his claim.

(2) The Registrar shall, while determining the trademark as well-known take in to account the provisions of sub section (6) to (9) of section 11.

(3) For the purpose of determination, the Registrar may call such documents as he thinks fit.

(4) Before determining a trademark as well-known, the Registrar may invite objections from the general public to be filed within thirty days from the date of invitation of such objection.

(5) In case the trademark is determined as well-known, the same shall be published in the trademark Journal and included in the list of well-known trademarks maintained by the Registrar.

(6) The Registrar may, at any time, if it is found that a trademark has been erroneously or inadvertently included or is no longer justified to be in the list of well-known trademarks, remove the same from the list after providing due opportunity of hearing to the concerned party.

IndiaCode

Appeal to the Intellectual Property Appellate Board

125. Time for appeal. — An appeal to the Intellectual Property Appellate Board from any decision of the Registrar under the Act or the rules shall be made within three months from the date of such decision.

126. Service to the Registrar. — A copy of every application to Intellectual Property Appellate Board under the Act shall be served on the Registrar.

Certificate of Validity

127. Certificate of validity to be noted. — Where the Intellectual Property Appellate Board has certified as provided in section 141 with regard to the validity of a registered trademark the registered proprietor thereof may request the Registrar in Form TM-M to add to the entry in the register a note that the certificate of validity has been granted in the course of the proceedings, particulars of which shall be given in the request. An officially certified copy of the certificate shall be sent with the request, and the Registrar shall record a note to that effect in the register and publish the note in the Journal.

Return of Exhibits and Destruction of Records

128. Return of exhibits.— (1) Where the exhibits produced in any matter or proceeding under the Act or the rules are no longer required in the Trade Marks Registry, the Registrar may call upon the party concerned to take back the exhibits within a time specified by him and if the party fails to do so, such exhibits shall be destroyed.

(2) Where, before the notified date any exhibits have been produced in any proceeding, the Registrar may, if satisfied that it is no longer necessary to retain them call upon the party concerned to take back the exhibits within a time specified by him and if the party fails to do so, such exhibit shall be destroyed.

129. Destruction of records.— Where an application for the registration of a trademark has been withdrawn or abandoned or refused or a trademark has been removed from the register or in an opposition or rectification proceeding the matter has been concluded and no appeal is pending before the Intellectual Property Appellate Board, the Registrar may, at the expiration of one years after the application is withdrawn or is abandoned or is refused or after the trademark is removed from the register or the opposition or rectification proceeding is closed, as the case may be, destroy all or any of the records relating to the application, opposition or rectification or the trademark concerned.

PART II

SPECIAL PROVISIONS FOR COLLECTIVE TRADEMARKS

130. Rules to apply to collective trademarks.— The provisions of Part I, Part IV, and VII of these rules shall, in their application to collective trademarks, apply only subject to the provisions of this Part.

131. Application for registration and proceedings relating thereto.— (1) An application for the registration of a collective trademark for goods or services under sub-section (1) of section 63 shall be made to the Registrar in Form. TM-A along with the draft regulations.

(2) References in Part I of the rules to the acceptance of an application for the registration of a trademark for goods or services, shall, in their application to collective trademark, be substituted by references to authorisation to proceed with the application.

(3) The address in India, if any, of an applicant to register a collective trademark shall be deemed to be the address of his principal place of business in India for all the purposes for which such an address is required by the rules.

(4) The regulations governing collective trademarks shall specify, *inter alia*—

(a) the name of the association of persons and their respective office addresses;

(b) the object of the association;

(c) the details of members;

(d) the conditions for membership and relation of each member with the group;

(e) the persons authorised to use the trademark and the nature of control the applicant exercise over the use of the collective trademark;

(f) the conditions governing use of the collective trademark, including sanctions;

(g) the procedure for dealing with appeals against the use of the collective trademark;

(h) such other relevant particulars as may be called for by the Registrar.

indiacode

132. Case accompanying application.— The applicant shall submit to the Registrar along with his application a statement of case setting out the grounds on which he relies in support of his application. Such statement of case shall be furnished in duplicate.

133. Examination, Hearing, Opposition, Registration, and Renewal. — The provisions related to examination, hearing, opposition, registration and renewal of trademarks shall apply mutatis mutandis in respect of collective trademarks.

134. Amendment of regulations relating to collective trademarks and renewal.— (a) An application by the registered proprietor of a collective trademark for any amendment to the regulation under Section 66 shall be made in Form TM-M and where the Registrar accepts any such amendment he shall advertise, such application in the Journal and further proceedings in the matter shall be governed by rules 42 to 51.

(b) A collective trademark may be renewed from time to time and the provision of rule 57 to 61 shall apply *mutatis mutandis* in respect of such request for renewal.

135. Removal of collective trademark.— An application for removal of a collective trademark from the register shall be made in Form TM-O and shall set forth particulars of the grounds on which the application is made. The provisions of rule 97 to 100 of these rules shall apply mutatis mutandis for further proceeding in the matter.

PART III

SPECIAL PROVISION FOR CERTIFICATION TRADEMARKS

136. Rules to apply to certification Trademarks.— The provisions of Part I of these rules shall, in their application to certification Trade Marks, apply only subject to the provisions of this Part.

137. Application for registration and proceedings relating thereto. — (1) An application for the registration of a certification trademarks for goods or services under sub-section (1) of section 71 shall be made to the Registrar in Form TM-A along with the draft regulations.

(2) References in Part I of the rules to the acceptance of an application for the registration of a trademark, shall, in their application to certification trademark, be substituted by references to authorisation to proceed with the application.

(3) The address in India, if any, of an applicant to register a certification trademark shall be deemed to be the address of his principal place of business in India for all the purposes for which such an address is required by the rules.

(4) The regulation governing a certification trademark shall specify, *inter alia*—

(a) a description of the applicant;

(b) the nature of the applicant's business;

(c) the particulars of infrastructure like Research and Development, technical manpower support;

(d) the applicant's competence to administer the certification scheme;

(e) the applicant's financial arrangement;

(f) an undertaking from the applicant that there will be no discrimination of any party if they meet the requirements set down in the regulations;

(g) the characteristic, which the trademark will indicate in the certified goods or in relation to the rendering of certified services;

(h) the manner of monitoring the use of the trademark in India; and

(i) such other relevant particulars as may be called for by the Registrar.

138. Statement of case accompanying application.— The applicant shall submit to the Registrar along with his application a statement of case setting out the grounds on which he relies in support of his application.

139. Examination, Hearing, Opposition, Registration, and Renewal.— The provisions related to examination, hearing, opposition, registration and renewal of trademarks shall apply *mutatis mutandis* in respect of certification trademarks.

140. Cancellation or variation of registration of certification trademark.— An application for cancellation or variation of registration of a certification trademark on any of the grounds mentioned in section 77 shall be made in Form TM-O and shall set forth particulars of the grounds on which the application is made. The provisions of rule 97 to 100 shall apply *mutatis mutandis* to further proceedings in the matter.

141. Alteration of deposited regulations and consent of the Registrar for assignment or transmission of certification Trademarks.— (1) An application by the registered proprietor of a certification trademark under sub-section (2) of section 74 to alter the deposited regulation shall be made in Form TM-M and where the Registrar decides to permit such alteration it shall be advertised in the Journal and further proceeding in the matter shall be governed by rules 42 to 51.

(2) An application for the consent of the Registrar to the assignment or transmission of a certification trademark under section 43 shall be made in Form TM-P.

PART IV

REGISTRATION OF TRADEMARKS AGENTS

142. Register of Trademarks Agents.— The Registrar of Trade Marks shall maintain a Register of trademarks agents wherein shall be entered the name, address of the place of residence, address of the principal place of business, the nationality, qualifications and date of registration of every registered trademarks agent.

143. Registration of existing registered trademarks agents, code of conduct, etc.— (1) Notwithstanding anything contained in rule 144, every person whose name has been entered in the register of trademarks agents maintained under the old law shall be deemed to be registered as a trademarks agent under these rules.

(2) The Registrar may publish in the Journal a code of conduct for the registered trademarks agent authorising them to act as such.

144. Qualifications for registration.— Subject to the provisions of rule 145, a person shall be qualified to be registered as a trademarks agent if he—

(i) is a citizen of India,

(ii) is not less than 21 years of age;

(iii) is a graduate of any university in India or possesses an equivalent qualification and has passed the examination prescribed in rule 148 or is an Advocate within the meaning of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) or is a member of the Institute of Company Secretaries of India;

(iv) is considered by the Registrar as a fit and proper person to be registered as a trademark agent.

145. Persons debarred from registration.— A person shall not be eligible for registration as a trademarks agent if he—

(i) has been adjudged by a competent Court to be of unsound mind;

(ii) is an undischarged insolvent;

(iii) being a discharged insolvent has not obtained from the court or the appropriate forum as the case may, a certificate to the effect that his insolvency was caused by misfortune without any misconduct on his part;

(iv) has been convicted by a competent court or the appropriate forum as the case may, whether within or outside India of an offence punishable with transportation or imprisonment, unless the offence of which he has been convicted has been pardoned or unless on an application made by him, the Central Government by order in this behalf, has removed the disability;

(v) being a legal practitioner has been held guilty of professional misconduct by any High Court in India;

(vi) being a chartered accountant, has been held guilty of negligence or misconduct by a High Court; or

(vii) being a registered trademarks agent has been held guilty of professional misconduct by the Registrar.

146. Manner of making application.— All applications under the provisions of this Part shall be made in duplicate and shall be sent to or submitted at that office of the Trade Marks Registry within whose territorial limits the principal place of business of the applicant is situate.

147. Application for registration as a trademarks agent.— (1) Every person desiring to be registered as a trademarks agent shall make an application in Form TM-G.

(2) The applicant shall furnish such further information bearing on his application as may be required of him at any time by the Registrar.

148. Procedure on application and qualifying requirements. — (1) On receipt of an application for the registration of a person as a trademarks agent, the Registrar, if satisfied that the applicant fulfils the prescribed qualifications, shall appoint a date in due course on which the candidate will appear for examination in Trade Marks Law and practice.

(2) The qualifying marks for the examination shall be as advertised by the Registrar.

149. Certificate of registration. — If the Registrar considers the applicant eligible and qualified under rule 144 for registration as a trademark agent, he shall enroll the candidate as a registered trademark agent after payment of prescribed fee and shall issue a certificate in Form RG-4 and the registration shall subsist till end of the financial year of the registration.

150. Continuance of the name in the register of Trade Marks Agents. — The continuance of a person's name in the register of trademarks agents shall be subject to his payment of the fees prescribed in First Schedule.

151. Removal of agent's name from the register of Trade Marks agents.— (1) The Registrar shall remove from the register of trademarks agents the name of any registered trademarks agent-

(a) from whom' a request has been received to that effect; or

(b) from whom the annual fee has not been received on the expiry of three months from the date on which it became due.

(2) The Registrar shall remove from the register of trademarks agents, the name of any registered trademarks agent—

(a) who is found to have been subject at the time of his registration, or thereafter has become subject, to any of the disabilities stated in clauses (i) to(vii) of rule 145;or

(b) whom the Registrar has declared not to be a fit and proper person to remain in the Register by reason of any act of negligence, misconduct or dishonesty committed in his professional capacity;

(c) whose name has been entered in the register by an error or on account of misrepresentation or suppression of material fact:

Provided that before making such declaration under clauses (b) and (c) the Registrar shall call upon the person concerned to show-cause why his registration should not be cancelled and shall make such further enquiry, if any, as may be consider necessary.

(3) The Registrar shall remove from the register of trademarks agents the name of any registered trademarks agent who is dead.

(4) The removal of the name of any person from the register of trademarks agents shall be notified in the Journal and shall, wherever possible, be communicated to the person concerned.

152. Power of Registrar to refuse to deal with certain agents.— (1) The Registrar may refuse to recognise—

(a) any individual whose name has been removed from, and not restored to the register;

(b) any person, not being registered as a trademarks agent, who in the opinion of the Registrar is engaged wholly or mainly in acting as agent in applying for trademarks in India or elsewhere in the name or for the benefit of the person by whom he is employed;

(c) any company or firm, if any person whom the Registrar could refuse to recognise as agent in respect of any business under these rules, is acting as a director or manager of the company or is a partner in the firm.

(2) The Registrar shall refuse to recognise as agent in respect of any business under this rule any person who neither resides nor has a place of business in India.

153. Restoration of removed names.— (1) The registrar may, on an application made in Form TM-G with fee as specified in the First Schedule, within three years from the date of removal of the name of a person from the Register of trademarks agents, whose name has been removed under clause (b) of sub-rule (1) of rule 151, restore his name to the register of Trade Marks agents.

(2) The restoration of a name to the register of trademarks agent shall be notified in the Journal and shall be communicated to the person concerned.

154. Alteration in the register of Trademarks Agents.— (1) A registered trademarks agent may apply in Form TM-G for alteration of his name, address of the place of residence, address of the principal place of business or qualifications entered in the register of trademarks agents. On receipt of such application and the fee prescribed in that behalf, the Registrar shall cause the necessary alteration to be made in the register of trademarks agents.

(2) Every alteration made in the register of trademarks agents shall be notified in the Journal.

155. Publication of the register of trademarks agents.— The Registrar shall ordinarily publish the list of agents in the register of trademarks agents from time to time, and at least once in two years together with their addresses as entered in the register.

156. Appeal.— An appeal shall lie to Intellectual Property Appellate Board from any order or decision of the Registrar in regard to the registration or removal of trademarks agents under Part IV of these rules, and the decision of the Appellate Board shall be final and binding.

Part V

Language of the Trade Marks Registry

157. Language of the Trade Marks Registry. — (1) The language of the Trade Marks Registry shall be English:

Provided that the parties to a proceedings before the Trade Marks Registry may file documents drawn up in Hindi, if they so desire:

Provided further that that where-

(a) the Registrar permits the use of Hindi in the proceedings of the Tribunal and hearing in such proceedings, he may in his discretion direct English translation of pleadings and documents to be filed;

(b) the Trade Marks Registry located in "Region A" as defined in clause (f) of rule 2 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Registrar may, in his discretion, make final orders either in Hindi or in English.

(2) Notwithstanding anything contained in paragraph (1), where a final order is made in Hindi, an authenticated English translation thereof shall simultaneously be prepared and kept on record.

PART VI

REPEAL

158. Repeal.— The Trade Marks Rules, 2002, are hereby repealed without prejudice to anything done under such rules before the coming into force of these rules.

THE FIRST SCHEDULE
(See Rule 11)
FEES

Entry No.	On what payable	Amount in INR.		Corresponding Form Number
		For Physical filing	For E-filing	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Application for registration of a trademark /collective Marks / Certification Mark / Series of trademark for specification of goods or services included in one or more than one classes.			TM-A
	Where the applicant is an Individual / Startup / Small Enterprise	5,000	4,500	
	In all other cases	10,000	9,000	
	(Note: Fee is for each class and for each mark)			
2	On a notice of opposition under section 21(1), 64, 66 or 73 or application for rectification of register under section 47 to 57, 68, 77 or application under rule 99, 103, 135,140 or On application under section 25 of Geographical Indication of Goods (Regulations and Protection) Act, 1999 to invalidate a trademark or counter statement related thereto. ***(Note: Fee is for each class opposed or counterstatement filed***)	3,000	2,700	TM-O
3	For renewal of registration of a trademark under section 25 for each class	10,000	9,000	TM-R
4	Application for renewal with surcharge of registration of a Trademarks under section 25 (3) for each class	5,000 Plus renewal fee applicable under entry 3	4,500 Plus renewal fee applicable under entry 3	
5	Application for renewal with surcharge/ restoration and renewal of a Trademarks under section 25 (3), 25 (4) for each class	10,000 Plus renewal fee applicable under entry 3	9,000 Plus renewal fee applicable under entry 3	
6	On application under section 45 to register a subsequent proprietor in case of assignment or transfer for each trademark	10,000	9,000	TM-P
7	On application for: Certificate of the Registrar under section 40 (2), or For approval of the Registrar under section 41, or Direction of the Registrar for advertisement of Assignment without goodwill under section 42, or Add or alter a registered trademark under section 59 (1) for each trademark, or Conversion of specification under Section 60 for each trademark.	3,000	2,700	
8	On application for: Extension of time for applying for direction under section 42 for advertisement of assignment without goodwill, or Extension of time for registering a company as subsequent	2,000	1,800	

IndiaCode

	proprietor of trademarks under section 46(4), or Consent of Registrar to the assignment or transmission of a certification trademark under section 43, or Change a name and / or description of a registered proprietor or a registered user of a trademark under section 58 for each trademark.			
9	On application for: Dissolution of association between trademarks under section 16(5), or Change in address or address for service in India of Registered Proprietors under section 58 for each trademark, or Request for cancellation of an entry in the register or part thereof under section 58 for each trademark.	1,000	900	
10	Application under section 49 to a registered user of a registered trademark in respect of goods or services Or On application under clause (a) of sub-section (1) of section 50 to vary the entry of a registered user of one trademark where the trademarks are covered by the same registered user in respect of each of them Or On application under clause (b), (c) or (d) of sub-section (1) of section 50 for cancellation of entry of a registered user of one trademark Or On notice under rule 95 (2) of intention to intervene in one proceeding for the variation or cancellation of entries of a registered user of a trademark ***(Note: applicable fee is for each mark)***	5,000	4,500	TM-U
11	Request for search and issue of certificate under rule 22(1)	10,000	9,000	TM-C
12	Request for an expedited search and issuance of certificate under rule 22 (3)	Not allowed	30,000	
13	On application for: Extension of time, or Certified copy, or Duplicate Registration Certificate, or inspection of document, or Particulars of advertisement to registrar, or seeking grounds of decision of Registrar, or Enter in the register and advertise a note of certificate of validity under rule 127, Amendment in trademark application, or Particulars of advertisement of a trademark to Registrar under rule 41.	1000	900	TM-M
14	On application for: Deposition of regulation of collective trademark under section 66 or alteration of regulation of certification trademark under section 74 (2), or Seeking Registrar preliminary advice, or	2,000	1,800	

IndiaCode

	For division of an application.			
15	On application for: Review of Registrar's decision, or Petition (not otherwise charged) for obtaining Registrar's order for any interlocutory matter in a contesting proceeding, or Any other matters not covered in other TM forms.	3,000	2,700	
16	On request for an expedited certificate of the Registrar (other than a certificate under section 23(2) of the Act) or certified copies of the documents under proviso to rule 122 ***(Note: for entry in respect of each registered trademark or for each document)***	5,000	4,500	
17	On application under rule 34 for expedited process of an application for the registration of a trademark			
	Where the applicant is an Individual / Startup / Small Enterprise	Not allowed	20,000	
	In all other cases	Not allowed	40,000	
	(Note: fee is for each class and for each mark)			
18	Request to include a trademark in the list of well- known trademark ***(Note: applicable fee is for one mark only.)***	Not allowed	1,00,000	
19	On application for registration of a person as a trademark agent under rule 147 & 149.	5,000	4,500	TM-G
20	For continuance of the name of a person in the Register of a trademark Agents under rule 150 for every Five year to be paid on or before 1st day of succeeding financial year.	10,000	9,000	
21	On application for restoration of the name of a person to the Register of trademarks agents under rule 153 within 3 years from the date of removal of registration.	5,000 Plus continuation fee as mentioned in entry number 20	4,500 Plus continuation fee as mentioned in entry number 20	
22	On application for an alteration of any entry in the Register of trademarks Agent under rule 154	1,000	900	
23	Handling fee for certification and transmission of international application to International Bureau with MM2(E)	Not allowed	5,000	--

IndiaCode

THE SECOND SCHEDULE
FORMS

Form No.	Section and Rules of the Act & Rules	Title for which form may be used	Entry number of first Schedule
1	2	3	4
TM-A	Sections 15, 15(3), 18(1), 18(2), 63(1), 71, 71(1), 154(2).	Application for registration of a trademark for specification of goods or services included in one or more than one classes under section 18 (1) or 18 (2), or Application for registration of collective Marks for specification of goods or services included in one or	1

		more than one classes under section 63 (1), or Application for registration of Certificate Marks for specification of goods or services included in one or more than one classes under section 71 (1), or Application for registration of trademark as series for specification of goods or services included in one or more than one classes under section 15 (3).	
TM-M	Sections 18(4), 22, proviso to 22, 23(2), 43, 58, 66, 74(2), 127(c), 131, 133(1), 137, 148(2), Rules: 23, 36, 36(1), 41, 56(3), 108, 109, 122, 124,127.	Request for amendment in trademark application, or Seeking grounds of decision, or Seeking Registrar preliminary advice, or Application for deposition of regulation of collective trademark, or Alteration of regulation of certification trademark, or Request for Certified copy, or Duplicate Registration Certificate, or Extension of time, Request to review of decision to registrar, or Inspection of document, or Request to registrar for particulars of advertisement, or Review of Registrar's decision, or Petition (not otherwise charged) for obtaining Registrar's order for any interlocutory matter in a contesting proceeding, or Request to inclusion of a mark in list of well-known trademarks, or Any other matters not covered in other TM forms.	13, 14, 15, 16, 17, 18
TM-R	Section: 25, Proviso to Section 25(3), 25(4).	Application of Renewal of a Trademarks, or Request for Renewal with surcharge, or Request for restoration of a trademark.	3, 4, 5
TM-C	rule 22(1), rule 22(3)	Application for Search certificate request	11, 12
TM-O	Sections 21, 21(1), 47-57, 59, 64, 66, 68, 73, 77 and 25 of Geographical Indication of Goods (Regulation and Protection) Act, 1999 Rules: 99, 105, 130, 136.	On a notice of opposition under section 21(1), 64, 66 or 73, Application for rectification of register under section 47 to 57, 68, 77, Application under rule 99, 135, 140, or Application under section 25 of Geographical Indication of Goods (Regulations and Protection) Act, 1999 to invalidate a trademark or counter statement related thereto.	2
TM-P	Sec. 16 (5), 40(2), 41, 42, 43, 45, 58, 59, 60 Rules 75, 80, 83, 85,	Request to replace subsequent proprietor as registered proprietor on register, or Request to amend the details of registered proprietors or registered users, or Request to amendment of registered trademarks, or Request for amendment in specification of goods or services, or Request for conversion of goods, or Request for dissolution of association between trademarks.	6, 7, 8, 9
TM-U	Sections 49, 50, 50(1)(a), 50(1)(b), 50(1)(c) or (d). Rule: 95.	Application for recordal of registered users, or Request for amendment in details of registered user, or Application for cancellation or variation of registered user, or Application to intervene in the proceedings by third party.	10
TM-G	Rules 147, 153, 154.	Application of registration of a Trademark Agent, or Request for continuation as a Trademark agent, or Restoration of the Trademark agent name in register, or Alteration related to details of Trademarks Agents in the register.	19, 20, 21, 22

List of Forms

FORM TM-A
The Trade Marks Act, 1999
Application for registration of a trademark
[The relevant information must be filled up in coloured box against the respective head]

1.	**NATURE OF THE APPLICATION:**	
	[(a) The applicant must choose either of the following categories-	
	1. Standard trademark, 2. Collective Mark, 3. Certification Mark, 4. Series Marks	
	Standard trademark here means an application for registration of a trademark not being a Collective or Certification trademark or Series of marks	
	(b) In case of Collective Mark or Certification Mark the draft regulations with form TM-M must be submitted.]	
2.	**Whether application filed as (**Please choose and specify**)** In case of startup/ Small Enterprise, requisite certificate should be provided.	(Individual / startup / Small Enterprise/others)
	FEE:	(See First Schedule for Appropriate Fee)
3.	**APPLICANT**	
	Name: *	
	Trading as:	
	Address:*	
		(State) (Country)
	[This address should be the address of the applicant's principal place of business in India]	
	Address for service:	
		(State) (Country)
	[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.	
	(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant does not carry business in India]	
	Mobile No.:	
	E-mail address*:	
	Nature of the applicant:	
	[The applicant must choose either of the following categories- *1. Individual, 2. Partnership Firm, 3. Body-incorporate including Private Limited/limited Company, 4. Limited Liability Partnership, 5. Society 6. Trust 7. Government Department 8. Statutory Organization. 9. Association of persons 10. Hindu Undivided Family*	
4.	**APPLICANT'S AGENT (if any):**	
	Name*:	
	Address*:	
	[In case of authorization of agent, the address of the agent may be mentioned as the applicant's address for service]	
	Mobile No.* :	
	E-mail address*:	
	Nature of the Agent:	
	[The applicant must choose either of the following categories-	
	1. Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]	
	Registration No.:	
5.	**TRADEMARK:**	(trademark to be mentioned here)
	Category of mark:	
	[The applicant must choose either of the following categories-	
	*1. **Word mark** (it includes one or more words, letters, numerals or anything written in standard character), 2. **Device mark** (it includes any label, sticker, monogram, logo or any geometrical figure other than word mark), 3. **Colour** (when the distinctiveness is claimed in the combination of colours with or without device), 4. **Three dimensional trademark** (it includes shape or packaging of goods), 4. **Sound***	
	Description of the mark:	
	[(a) Description of mark must be provided in terms of Rule 26.	
	(b) In case of trademarks submitted in specific combination of colours other than black and white, it shall be presumed that the distinctiveness of the mark is claimed in that combination of colours and application will be considered accordingly.	

IndiaCode

	(c) In case of colour marks the description may be like "The trade mark consists of three vertical stripes in the colours PURPLE, GREEN and YELLOW applied to the fascias of buildings and to doors as shown in the representation of the mark."	
	(d) In case of sound marks representation of specific musical notes must be submitted at the place provided for the trademark. The applicant is also required to submit sound clipping in MP3]	
6.	**IF MARK IN A LANGUAGE OTHER THAN HINDI OR ENGLISH:**	
	Language:	
	Transliteration of the mark in roman script:	
	[Transliteration of the mark in roman script must be provided in case the mark is in a language other than Hindi or English	
	Translation of the mark in English:	
	[Translation of the mark in English must be provided in case the mark is in a language other than Hindi or English	
7.	**Conditions or Limitations** to use the trademark, if any	
8.	**CLASS OF GOODS OR SERVICE:**	**DESCRIPTION OF GOODS AND SERVICE:**
9.	**STATEMENT AS TO USE OF MARK:**	[] Proposed to be used
		[] The mark is used by the applicant or its predecessor in title Since…… ……. in respect of all the goods and/or service mentioned in the application.
	[(a) The applicant must select either of the above	
	(b) The date of use must be given in the format (DD/MM/YYYY) and shall refer to all items mentioned in the application.	
	(c) In case the use of the Trade Mark is claimed prior to the date of application, the applicant shall file an affidavit testifying to such use along with supporting documents	
	(d) The statement as to use of the mark once made shall be final]	
10.	**PRIORITY CLAIM, IF ANY:**	
	Priority claimed since	DD/MM/YYYY
	Priority claim based on application filed in the **Convention Country or organization**	Name of the country or organization
	Priority Application No.	
	[The priority must be claimed in respect of all goods and services mentioned in the application]	
11.	**ANY OTHER IMPORTANT INFORMATION OR STATEMENT:**	
	[Applicant may provide here any other information or statement in relation to his application]	
12.	**VERIFICATION:**	I hereby verify that above mentioned facts are true and correct to best of my knowledge and belief.
13.	**DETAIL OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION:**	
	Signature:	
	Name:	
	Authority:	

IndiaCode

FORM TM-M
The Trade Marks Act, 1999
Application/Request for any miscellaneous function in respect of a trademark Application/ Opposition/Rectification under the Trade Marks Act

This form is divided into three Parts i.e. A, B & C.
Part A and C are required to be filled compulsorily.
Part B is further divided into several subcategories and the same is required to be chosen by the applicant as per requirement and be filled accordingly.
[Note: One form is meant for one request only. Different forms should be submitted for different requests. In case more than one request is claimed in one form the first one will be entertained and rest of the requests will be ignored.]

	PART A **[applicants details]**		
1	**FEE**	(See First Schedule for Appropriate Fee)	
	Applicant or Registered Proprietor/Opponent/Third Party Making the Application/Request		
	[(a) Anyone from the above, must be chosen on whose behalf the application/request is being submitted.		
	(b) 'Applicant' or 'Registered Proprietor' here means the person who is recorded as such in TMR records in respect of the referred application or registered trademark. The 'Opponent' here means the Opponent in the referred opposition proceeding or an Applicant for Rectification desiring to cancel or vary the registration of the trademark of someone else. 'Third Party' means the person who is not a party to the application/opposition/Rectification referred to.]		
	Name: *		
	Trading as		
	Address:*		
		(State)	(Country)
	Address for service:		
		(State)	(Country)
	[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's/opponent's/third party's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.		
	(b) The address for service in India must be provided, in case the above person does not carry on business in India]		
	Mobile No :		
	E-mail address: *		
2	**Agent of the applicant or registered proprietor/opponent/third party, as the case may be, (if any)**		
	Name:		
	address		
	Mobile No:		
	E-mail address:		
	Nature of the Agent		
	[One of the following categories must be chosen -		
	1. Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]		
	Registration No.		
	[In case of authorisation of agent, the address of the agent may be mentioned as the address for service of the Applicant or Registered Proprietor/Opponent/Third Party as the case may be.]		
3	**REQUEST/ APPLICATION IN THE MATTER OF**		
	Application / Opposition/ Rectification No	Reference No	
	[Anyone of the above must be chosen]		
	Additional Reference, if required		
	PART B: **PURPOSE OF REQUEST** **[*application column required to be ticked as filled in*]**		
a	**For correction of clerical error or for amendment under rule 37**		
	Details of corrections		
b	**Statement of grounds of Registrar's decision under rule 36**		
	Hearing Date		
	Order No. and date		
c	**For certificate of the Registrar or certified copy of a document under rule 122**		
	If request is for EXPEDITED certificate	YES or NO	
	[In case of request for expedited certificate, the fee will be ordinarily five times of normal request]		
	Details of certified copy required		
	No of copies of document required		
d	**For particulars of advertisement of a trade mark under rule 41**		
e	**Request for Review of Registrar's decision**		
	Hearing Date		
	Order No. and date		
	[Number of associated applications/registered trademark numbers and fee in Rs are to be entered here]		
f	**Request for extension of time under rule 109**		
	Reason for extension of time period	period of extension of time requested	

IndiaCode

g	**Preliminary Advice about the distinctiveness of the trademark, U/S 133**	mark to be entered/pasted here	
h	**Request of expedited examination of an application under rule 34**		
	Declaration of reason for expedited examination		
i	**Division of an Application under rule 108**		
	Class to be divided		
	Trademark(s) (in case of series marks) to be divided		
j	**Request for duplicate Registration Certificate under rule 56 (3)**		
k	**Request for Inclusion of Trademark in the list of Well- Known Trademarks Registration Certificate under rule 124**	Representation of the Mark (paste here)	Fee in Rs.
	Is requested mark is registered with Trademark Registry, India – if Yes (details there off		
l	**Request for the inspection of the document under rule 121**	Purpose	Fee in Rs
m	**Amendment of regulation for governing the use of a collective trademark or a certification trademarks under section 66**	Purpose	Fee in Rs
n	**A request to enter in the register and advertise a note of certificate of validity, under rule 127**	Purpose	Fee in Rs
o	**On Petition (not otherwise charged) for obtaining Registrar's order for any interlocutory matter in a contesting proceeding**	Purpose	Fee in Rs
p	**For payment of Misc. fee(s) for other purpose(s) apart from above**	Purpose	Fee in Rs
q	**Regulation for governing the use of a collective trademark or a certification trademarks**		
	Copy of the draft regulation should be attached		
r	**For submitting Authorization of Agent under rule 19**		
	[The copy of the Power of Attorney must be attached]		
	PART C **[details of the person making application/request and details of documents submitted]**		
a	**DETAILS OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION**		
	Signature		
	Name		
	Authority		
b	**LIST OF DOCUMENTS ATTACHED, IF ANY**		

IndiaCode

FORM TM-R
The Trade Marks Act, 1999
Application for Renewal/Restoration of registration of a trademark or for payment of surcharge towards the renewal

[The relevant information must be filled up in colored box against the respective head]			
1	**APPLICANT**		
	[The Applicant here means the person on whose behalf the request is being submitted. He will ordinarily be the registered proprietor of the mark]		
	FEE:	(See First Schedule for Appropriate Fee) As per requirement mentioned in column 6	
	Name: *		
	Trading as		
	Address:*		
		(State) (Country)	
	Address for service:		
		(State) (Country)	
	Mobile No.:		
	E-mail address*:		
	[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.		
	(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant does not carry business in India]		
	Mobile No :		
	E-mail address: *		
2	**APPLICANT'S AGENT (if any)**		

	Name*:	
	Address*:	
	Mobile No* :	
	E-mail address*:	
	Nature of the Agent*	
	[The applicant must choose either of the following categories-	
	1. Registered Trade Marks Agent 2. Advocate 3. Constituted Attorney]	
	Registration No.:	
	[In case of authorisation of agent, the address of the agent may be mentioned as the applicant's address for service]	
3	**TRADE MARK TYPE:**	
	[(a) one of the following categories must be chosen- *1. Standard trademark, 2. Collective Mark, 3. Certification Mark, 4. Series Marks* *(b) 'Standard mark' here refers to registration of a normal trademark not being Collective or Certification trademarks or Series of marks]*	
4	**Trade Mark No:**	
5	**Class(es)**	
	(In case of multiclass number of classes to be mentioned)	
6	**Payment for (Select from below)**	
	Renewal before expiry of last registration of trade mark	
	Renewal if filed within 6 months after expiry of last registration.	
	Restoration and renewal of registration of the trade mark removed from the register	
7	**DETAIL OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION**	
	Signature:	
	Name:	
	Authority:	
8	**List of Documents attached:**	

IndiaCode

FORM TM-C
The Trade Marks Act, 1999
Application for Search and certificate under section 45(1) of the Copyright Act, 1957
[The relevant information must be filled up in coloured box against the respective head]

1	**APPLICANT**	
	FEE:	(See First Schedule for Appropriate Fee)
	Name:*	
	trading as:	
	Address:*	
		(State) (Country)
	[This address should be the address of the applicant's principal place of business in India]	
	Address for service:	
		(State) (Country)
	[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India. *(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant does not carry business in India]*	
	Mobile No :	
	E-mail address: *	
	Nature of the applicant	
	[The applicant must choose either of the following categories- *1. Natural person-Single Proprietor, 2. Natural person-Partnership Firm, 3. Body-incorporate including Private Limited/limited Company, 4. Limited Liability Partnership, 5. Society 6. Trust 7. Government Department 8. Statutory Organization. 9. any other]*	
2	**APPLICANT'S AGENT (if any)**	
	Name:	
	address	
	Mobile No :	
	E-mail address:	
	Nature of the Agent	

	[The applicant must choose either of the following categories- *1. Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]*	
	Registration No	
	[In case of authorisation of agent, the address of the agent may be mentioned as the applicant's address for service	
3	Expedited (Y/N)	
	space of label/image	
4	**DETAIL OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION**	
	Signature	
	Name	
	Authority	
5	**DETAILS OF DOCUMENTS ATTACHED**	

FORM TM-O
The Trade Marks Act, 1999
Opposition/Application for Rectification of the Register/Counter statement / Refusal or invalidation of a trademark under Geographical Indication of Goods (Regulation and Protection) Act, 1999
[The relevant information must be filled up in coloured box against the respective head]

[*In case of off line filing, the form should be fined in duplicate***]**

1	**Applicant or Registered Proprietor/Opponent /Third Party Making The Application/Request**		
	[(a) Anyone from the above, must be chosen on whose behalf the Notice/Application/Request is being submitted.		
	(b) 'Applicant' or 'Registered Proprietor' here means the person who is recorded as such in TMR records in respect of the referred application or registered trademark. The 'Opponent' here means the Opponent in the referred opposition proceeding or an Applicant for Rectification desiring to cancel or vary the registration of the trademark of someone else. 'Third Party' means the person who is not a party to the application/opposition/Rectification referred to.]		
	FEE	(See First Schedule for Appropriate Fee)	
	Name*		
	trading as:		
	Address:*		
		(State)	(Country)
	Address for service:		
		(State)	(Country)
	Mobile No :		
	E-mail address*:		
	[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's/opponent's/third party's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.		
	(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant/opponent/third party as the case may be, does not carry on business in India]		
	Mobile No :		
	E-mail address: *		
2	**AGENT OF THE APPLICANT OR REGISTERED PROPRIETOR/OPPONENT/THIRD PARTY, AS THE CASE MAY BE, (if any)**		
	Name*:		
	Address*:		
	Mobile No* :		
	E-mail address*:		
	Nature of the Agent:		
	[The applicant must choose either of the following categories-		
	1. Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]		
	Registration No.		
	[In case of authorisation of agent, the address of the agent may be mentioned as the address for service of the applicant/opponent/third party as the case may be]		
3	**PURPOSE** *This column is divided in three subcategories and the same is required to be chosen by the applicant as per requirement and be filled accordingly.*		
a	**In the matter of filing opposition/rectification**		
	Application/Registered Trade Mark No.		Class(es)

	Trade Mark		
	Application published in Journal No.		
	[The copy of the journal publication needs to be attached]		
	GROUNDS OF OPPOSITION/RECTIFICATION		
	[Grounds of Opposition/Application for Rectification needs to be drafted in detail and verified by the Opponent/Applicant for Rectification and the same should be attached]		
b	**IN THE MATTER OF (for filing Counter Statement)**		
	Opposition/Rectification No.		Class(es)
	Application/Registered Trade Mark No.		
	Details of Counter statement		
	[Counter Statement needs to be drafted in detail and verified by the Applicant/Registered Proprietor for Rectification and the same needs to be attached]		
c	**Request to refuse or invalidate a trade mark u/s 25(a) (b) of GI Act, 1999**		
	Application/Registered Trade Mark No		Class(es)
	STATEMENT OF CASE	*[Statement of Case needs to be drafted in detail and verified by the Applicant; and an affidavit of the applicant in support, needs to be attached.]*	
4	**DETAIL OF THE PERSON SUBMITTING THE APPLICATION**		
	Signature		
	Name		
	Authority		
5	**LIST OF DOCUMENTS ATTACHED, IF ANY**		

IndiaCode

FORM TM-P
The Trade Marks Act, 1999
Application for Post registration changes in the trademarks

This form is divided into three Parts i.e. A, B & C.
Part A and C are required to be filled compulsorily.
Part B is further divided into several subcategories and the same is required to be chosen by the applicant as per requirement and be filled accordingly.
[Note: One form is meant for one request only. Different forms should be submitted for different requests. In case more than one request is claimed in one form the first one will be entertained and rest of the requests will be ignored.]
[(a) One form is meant for request of one change only. Different forms should be filed up for different changes
(b) The relevant information must be filled up in colored box against the respective head.]

	PART A **[application details]**		
1	*[The Applicant here means the person on whose behalf the request is being submitted. He will ordinarily be the registered proprietor of the mark or a person claiming to be subsequent proprietor of the mark by virtue of any assignment or transmission]*		
	FEE	(See First Schedule for Appropriate Fee)	
	Name: *		
	trading as:		
	Address:*		
		(State)	(Country)
	Address for service*:		
		(State)	(Country)
	[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.		
	(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant does not carry business in India]		
	Mobile No :		
	E-mail address: *		
2	**APPLICANT'S AGENT (if any)**		
	Name*:		
	Address*: *[In case of authorization of agent, the address of the*		

	agent may be mentioned as the applicant's address for service]	
	Mobile No*:	
	E-mail address*:	
	Nature of the Agent	
	[The applicant must choose either of the following categories- *1. Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]*	
3	**REQUEST/ APPLICATION FOR AMENDMENTS IN THE DETAILS OF REGISTRATION OF A TRADEMARK**	
	Registered TM No(s).	
	[In case of request made for more than one trademarks, the first trademark number should be written.]	
	Additional Nos., if any:	
	Reason for amendment:	
	TYPE OF MARK	
	[(a) The applicant must choose either of the following categories-	
	1. Standard trademark, 2. Collective Mark, 3. Certification Mark, 4. Series Marks	
	Standard mark' here means an application for registration of a normal trademark not being Collective or Certification trademarks or Series of marks]	
	PART B: **PURPOSE OF REQUEST** **[*application column required to be ticked as filled in*]**	
a	**Request for Amendment In Proprietor / Registered users detail** **[single request can be made under one application]**	
	Amendment Requested In	
	Proprietor Name / Registered user name : *[This block should be used only when there is no change in the proprietorship of the mark by virtue of assignment or transmission]*	
	Address:	
	Address For Service:	
	Agent/Attorney Details:	
	[Any of the above may be chosen and the change requested should be clearly mentioned against relevant column.]	
b	Amendment In the Trademark	*Enter or paste proposed trade mark here*
	Striking Out Goods or Services from the Register	*[Change requested should be clearly mentioned here.]*
	Conversion of Specification of Goods and Services	*[change requested should be clearly mentioned here]*
c	Cancellation of the Registration	*[Cancellation of the registration requested should be clearly mentioned here.]*
d	Dissolution of the association between a registered trademarks and other trademarks	
	Registered trademark No(s)	*[Enter the trade marks numbers whose association with the referred registered trademark is requested to be dissolved]*
e	**Assignment or Transmission of Registered trademark(s)**	
	Assignment	*Applicant must mentioned as assignment is **with goodwill** or **without goodwill***
	Date of assignment deed or the date of transmission	
f	**Assignment to different people for different parts of India**	
	Name of proposed assignee	
	Address of proposed assignee	
	[(a) Add details of assignees if there are more than one assignees, against relevant row.]	
	[(b) Please mention the region specifically with the proposed assignee]	
g	**Certificate of the Registrar under section 40 (2)**	
	Request for the certificate under rule 83	
	[The details of the request in terms of Section 40(2) must be mentioned here and the statement of case with copy of the assignment must be submitted.]	
h	**Approval of the Registrar under section 41**	
	Request for the approval	
	[The details of the request in terms of Section 41 must be mentioned here and the statement of case with copy of the assignment or transmission must be submitted.]	

IndiaCode

i	**Application under Section 42 for direction of the Registrar for advertisement of assignment without goodwill of a trademark**	
	Request for the direction	
	[The details of the request in terms of Section 42 must be mentioned here and the statement of case with copy of the assignment or transmission must be submitted.]	
j	**Application for the consent of the registrar to the assignment or transmission of certification trademark**	
	Draft deed of proposed assignment and statement of case be along with affidavit submitted	
k	**Application for extension of time under Section 42 for direction of the Registrar for advertisement of assignment without goodwill of a trademark**	
	Application for extension of time	
	[The details in terms of Section 42 must be mentioned here.]	
	Application submitted within the period from the date of acquisition or devolution	Not exceeding one month
		Not exceeding two month
		Not exceeding three month
l	**Application for extension of time under Section 46 (4) for registering a company as subsequent proprietor of a trademark**	
	Application for extension of time	
	[The details in terms of Section 46(4) must be mentioned here.]	
	Application submitted within the period	Not exceeding two months
		Not exceeding four months
		Not exceeding six month
		[Any one of the above should be selected]
	PART C **[details of the person making application/request and details of document is submitted]**	
a	**Signature**	
	Name	
	Authority	
b	**List of documents attached**	

FORM TM-U
The Trade Marks Act, 1999
Application for registration of Registered User/Variation of Registered User/Cancellation of Registered Users and Notice of intention to intervene in proceeding in cancellation/variation

This form is divided into three Parts i.e. A, B & C.
Part A and C are required to be filled compulsorily.
Part B is further divided in several subcategories and the same is required to be chosen by the applicant as per requirement and be filled accordingly.
[Note: One form is meant for one request only. Different forms should be submitted for different requests. In case more than one request is claimed in one form the first one will be entertained and rest of the requests will be ignored.]
[(a) One form is meant for request of one change only. Different forms should be filed up for different changes
(b) The relevant information must be filled up in colored box against the respective head.]

PART A
[application details]

	nature of the referred Registration	
	[(a) The applicant must choose either of the following categories- *1. Standard trademark, 2. Collective Mark, 3. Certification Mark, 4. Series Marks* *(b) In case of Collective Mark or Certification Mark the draft regulations with form TM-M must be submitted.]*	
	FEE	(See First Schedule for Appropriate Fee)
1	**Details of Applicants**	
a	**Name of the Registered Proprietor*:**	
	trading as:	
	Address*:	
		(State) (Country)
	Mobile No:	
	E-mail address:*	
	Address for service of the Registered Proprietor:	

		(State) (Country)
b	**Name of the proposed Registered User*:**	
	Nature of the proposed user	
	[The applicant must choose either of the following categories- *1. Individual, 2. Partnership Firm, 3. Body-incorporate including Private Limited/limited Company, 4. Limited Liability Partnership, 5. Society 6. Trust 7. Government Department 8. Statutory Organization. 9. Association of persons 10. Hindu Undivided Family*	
	trading as*:	
	Address:*	
		(State) (Country)
	Mobile No :	
	E-mail address: *	
	Address for service of the Proposed Registered user:	
		(State) (Country)
c	**Name of the intervener**	
	trading as:	
	Address:*	
		(State) (Country)
	Mobile No:	
	E-mail address: *	
[This address should be the address of the applicant's principal place of business in India] *[(a) Unless otherwise specifically stated, the applicant's address shall be the address for service of the applicant who has principal place of business in India.* *(b) The address for service in India must be provided, in case the applicant does not carry business in India]*		
2	**Applicant's agent (if any)**	
a	**Registered Proprietor's Agents**	
	Name:	
	Address:	
	Mobile No* :	
	E-mail address*:	
	Nature of the Agent	
b	**Proposed Registered User's agent**	
	Name:	
	Address:	
	Mobile No* :	
	E-mail address*:	
	Nature of the Agent	
	[The applicant must choose either of the following categories- Registered Trade Marks Agent, 2. Advocate 3. Constituted Attorney]	
3	**Registered trademark No(s). in respect of which the request is made**	
	Class(es):	
	PART B: **PURPOSE OF REQUEST** **[*appropriate column required to be ticked and filled in*]**	
a	**Request For Registration of Registered User**	
	Description of goods and services	
	Period	From_____ to _____
	Condition if any	
b	**For variation of the registration of registered user with regard to goods/service or the condition/restriction**	
	Details of variation requested	
c	**Cancellation of the registration of registered user**	
	Grounds for cancellation	*Statement of ground required to be submitted as attachment with TM-U**

IndiaCode

d	**Notice of intention to intervene in proceedings for variation or cancellation in regard to registration of registered user**	
	Ground for intervention in proceeding	
	PART C **[details of the person making application/request and details of document is submitted]**	
	DETAIL OF THE Applicant(s)	
	Signature	
	Name	
	Authority	
	Details of documents attached	

FORM TM-G
The Trade Marks Act, 1999
Trade Marks Agent Registration/Renewal/Restoration/Alteration

[The relevant information must be filled up in colored box against the respective head]		
	PART A **[applicants details]**	
	FEE	(See First Schedule for Appropriate Fee)
	Name in full beginning with surname (in capital letters)*	
	Father's /Husband's Name*	
	Address of residence*	
		(State) (Country)
	Principle place of business*	
		(State) (Country)
	Nationality*	
	Mobile No*:	
	E-mail address:*	
	PART B: **PURPOSE OF REQUEST** **[*appropriate column required to be ticked and filled accordingly*]**	
a	**Application for Registration as Trademark Agent**	
	Date of Place of Birth	
	Occupation in full	
	Particulars of qualification for registration as a trade mark agent	
	Whether at any time removed from the Register of Trade Marks Agents and if so the details thereof	
b	**Application for continuation/restoration of the name of a person in the Register of Trade Marks Agents**	
	Trade Mark Agent No.	
	Name:	
	address	
	Mobile No :	
	E-mail address:	
i	**Period for Continuation:**	From_____ to _____
ii	**Date of expiration of last registration:**	
	Years after which request for restoration and continuation is filed	
c	**Application for alteration in the Register of Trade Marks Agents**	
	Trade Mark Agent No.:	
	Name:	
	Details to be altered in and as	
	Name:	
	Address of place of residence	
	Address of principle place of business	
	Educational Qualification	
	Mobile No:	
	E-mail address:	

IndiaCode

	PART C [details of the person making application/request and details of document is submitted]	
	Signature	
	Name	
	Authority	
	List of documents attached	

THE THIRD SCHEDULE
Forms to be used by the Registrar
LIST OF FORMS

Form No.	Section	Title
RG-1	23(3)	Notice of non-completion of registration
RG-2	23(2)	Certificate of registration of trade mark
RG-3	25(3)	Notice of expiration of last registration.
RG-4	Rule 149	Certificate of registration of a person as a trademarks Agent

FORM RG-1
GOVERNMENT OF INDIA,
TRADE MARKS REGISTRY,
Trade Marks Act, 1999

Notice of non-completion of registration Section 23(3) Rule 52.

Application No

Notice is hereby given as required by section 23(3) of the Trade Marks Act,1999 , that the registration of the trademark, in respect of which application numbered as above was made on the day of 20 has not been completed by reason of default on the part of the applicant.

Unless the default is rectified within twenty-one days from the date of this notice, the application will be treated as abandoned.

All communications relating to this application may be sent to the following address in India:-

Dated this.....day of 20 Registrar of Trade Marks

To,

FORM RG-2

GOVERNMENT OF INDIA,

TRADE MARKS REGISTRY,

Trade Marks Act, 1999

Certificate of registration of trademark [section 23(2), rule 56(1)]

Trade Mark No.....

Date.....

Certified that the trademark, of which a representation appears here, has been registered in the register in the name ofin Class(es)..... under No.....as of the date in respect of

Sealed at my direction this:.day of20.....

Registrar of Trade marks.

Registration is for 10 years from the date first above-mentioned and may then be renewed for a period of 10 years, and also at the expiration of each period of 10 years thereafter. (See section 25 of the Trade Marks Act, 1999 and Rules 57 to 61 of the Trade Marks Rules, 2017).

This certificate is not for use in legal proceedings or for obtaining registration abroad.

Note- *Upon any change of ownership of this trade mark, or change in address of the principal place of business or address for service in India, application should AT ONCE be made to register the change.*

FORM RG-3

GOVERNMENT OF INDIA,

TRADE MARKS REGISTRY,

Trade Marks Act, 1999

Notice of expiration of registration of trademark [section 23(2); rule 58 (1)]

Registered Trade Mark No.....

Class.....

Notice is hereby given as required in section 25(3) of the Trade Marks Act, 1999 that the registration of the aforesaid trade mark will expire on..... and that the registration can be renewed for a further period of 10 years on receipt in the Trade Marks Registry of an application on the enclosed Form TM-12 accompanied by the prescribed fee of Rs..... on or before the said date.....

Dated this..... day of 20

Registrar of Trade marks.

To,

FORM RG-4

GOVERNMENT OF INDIA,

TRADE MARKS REGISTRY,

Trade Marks Act, 1999

Certificate of registration as Trade Marks Agent (rule 149)

No.....

This is to certify that.....

..... of

was registered on thisday of 20 in the Register of Trade Marks Agents maintained under rule 149 of the Trade Marks Rules, 2017.

Registrar of Trade Marks

THE FORTH SCHEDULE

Entry No.	Matter in respect of which costs to be awarded	Amount (In Rupees)
1	For one day's hearing involving examination of witnesses	1,000
2	For one day's hearing when there is no examination of witnesses	500
3	For adjournment of hearing granted on the petition of any party	Rs. 1000 plus cost for re- summoning were due to be examined on the day
4	For striking out scandalous matter from an affidavit.	5,000
5	For not contesting the Opposition proceeding by the applicant if opposition filed after reasonable notice	10,000
6	For not contesting the Opposition proceeding by the opponent after filing of the Counter statement in the opposition proceedings	10,000
7	For attendance of witnesses Subsistence allowance Travelling allowance	1000 (see note below) The fare by rail or steamer for the first class or the second class each way and if there is no rail or steamer communication Rs. 50 or Rs. 20 per km. depending upon the rank and status of the witness.
Note: the rates of subsistence allowance and travelling allowance for witness shall vary according to the status of the witness subject to the maximum prescribed above		

Scale costs allowable of in rule 118 proceedings before the Registrar

[F. No. 8/16/2015-IPR-IV-Pt. I]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.10 18:14:35 +05'30'